आपदा प्रबंध प्राधिकरण,मेरठ

''आपदा प्रबंधन में क्षमतावृद्धि हेतु जिले–स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण''

(फरवरी 4 से 14, 2015)

राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण

एवं

आपदा प्रबंध प्राधिकरण, मेरठ

(गौरव वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
प्रभारी अधिकारी (आपदा)
मेरठ

(पंकज यादव)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जि0आ0प्र0प्रा0
मेरठ

विषय सूची

- आपदा और मानव हितों की हानि 1
- भूकम्प 3
- बाढ़ 18
- वज्रपात 24
- सर्प दंष 26
- घरेलू 28
- वनग्नि 32
- सड़क दुर्घटना 35
- मानसिक आघात 40
- घायलों की आपातकालीन सहायता हेतु मुख्य बिन्दु 42
- पर्यटकों के लिये निद्रेष 46
- डपकरणों की सूची 48
- महत्वपूर्ण दूरभाश नम्बर 49

आपदा और मानव हितों की हानि

आपदाओं से होने वाले सीधा नुकसान निम्न प्रकार हैं :–

- जनहानि व कार्य क्षमता में कमी।
- पषुधन की हानि।
- ढाँचागत सुविधाओं व संसाधनों की क्षति।
- कृशि भूमि की क्षति।
- घर, सम्पत्ति व महत्वपूर्ण वस्तुओं की क्षति।
- महत्वपूर्ण अभिलेखों की क्षति।
- खाद्य पदार्थों की कमी।
- सामान्य फसल चक्र का प्रभावित होना।
- स्वच्छ जल की आपूर्ति प्रभावित होती है।
- बैमारियों/संक्रमण व महाबीमारियों के फैलने की आषंका।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपदाओं से कई परोक्ष क्षति होती है जो कि निम्न प्रकार है :–

- वन एवं कृशि उत्पादकता में कमी।
- जमीन के मूल्य में कमी।
- सरकार को राजस्व हानि।
- जल प्रदूशण।

भूमिका

आपदायें समय–समय पर अपनी विनाश लीला से जनजीवन, पशुओं के साथ–साथ समाज की आधारभूत संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित करती रही हैं कभी प्राकृतिक तो कभी मानवजनित आपदाओं से अपने देश का कुछ न कुछ हिस्सा प्रभावित होता रहा है। चाहे 1934 का बिहार भूकम्प हो या 2001 में गुजरात का भूकम्प, 1999 में उड़ीसा का सुपर साइक्लोन हो या 2004 में देश के कुछ हिस्सों में सुनामी कहर, 2008में बिहार का कोसी प्रलय हो या 2009 का सुखा हो।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की आपदायें पूरे वर्ष प्रदेश को प्रभावित करती हैं और इनकी वजह से प्रदेश की अर्थ व्यवस्था तथा सामाकिजक विकास पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहां पर ठंड, भीषण गर्मी, आग, सूखा, बाढ़, तुफान आदि आपदायें लगातार जनजीवन को प्रभावित करती है। प्रदेश का पूर्वी भाग प्रत्येक वर्ष भीषण बाढ़ का सामना करता है, उसी समय प्रदेश का दक्षिणी भाग सुख से प्रभावित रहता है।

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए देश की संसद में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम पारित किया और तद्नुसार आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर पर क्रमशः 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राजकीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' के गठन का प्रावधान किया गया। उपरोक्त दोनों प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों के तहत् संबधित जिलों के जिलाधिकारियों की निगरानी में आपदा प्रबन्धन हेतु 'जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' का गठन किये गये हैं जो सराहनीय कदम है। इसी के साथ ही सामुदायिक स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा स्वंय सेवी संगठनों की अहम् भूमिका रही है।

13वें वित आयोग का मानना है कि किसी भी प्रकार के आपदा के विषम परिस्थितियों के कारण एवं प्रभाव से होने वाली जान एवं माल के नुकसान को प्रभावी रूप से कम करने के लिए प्रशिक्षित लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता

है। इसी सोच एवं विचारधारा के तहत प्रदेश को आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार क्षमतावर्धन कार्यक्रम वर्ष 2010 से 2015 तक संचालिका करने के लिए अनुदान प्रदान किया है।

जब भी कोई आपदा–घटती है सबसे पहला मदद करने वाला स्थानीय व्यक्ति ही होता है। परन्तु वे किसी भी आकस्मिक घटना में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होता है। किसी भी आपदा में प्राथमिक कार्य जान व गाल की सुरक्षा होता है। स्थानीय समुदाय स्थानीय खतरों एवं संसाधनों को बेहतर तरीके से जानता है परन्तु उनके बेहतर उपयोग करना नहीं जानता है। अतः यह आवश्यक है कि इनकी आपदा प्रबन्धन में कार्य करने हेतु क्षमतावर्धन की जाय।

इस बाबत राज्य सरकार समुदाय के लोगों के क्षमतावर्धन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों के 9000 ग्राम पंचायतों में समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन के प्रशिक्षण करवाने की योजना बनाई है। इन प्रशिक्षणों को देने के लिए प्रशिक्षक दल का गठन किया गया है।

प्रशिक्षण में मूलभूत बातें सभी जगह एक समान रूप से जायें। इसके लिए प्रशिक्षण टीम को प्रशिक्षण में मूलभूत बातें सभी जगह एक समान रूप से जायें। इसके लिए प्रशिक्षण टीम को 'ग्राम स्तरीय समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण' को ध्यान में रखते हुए 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' मार्गदर्शिका लिखने की जवाबदारी सुनिश्चित की गई। इस संदर्भ में इस विषय पर राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के संसाधन संभाग ने सहज और सरल भाषा में मार्गदर्शिका तैयार की है। 'प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु लिखी गयी यह मार्गदर्शिका विषय पर बुनियादी और जरूरी समझ विकसित करने के लिए है। आशा है प्रभावित समुदाय के साथ–साथ प्रदेश व देश के अन्य भागों में आपदा प्रभावित लोगों और इस दिशा में कार्यरत संगठनों और उनके कार्यकताओं के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगी।

पुस्तिका/मार्गदर्शिका को और बेहतर बनाने हेतु आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण

मॉड्यूल के आधारभूत सिद्धान्त

यह मॉड्यूल मुख्यतः 3 सिद्धान्तों पर आधारित हैः

1. **सहभागी प्रशिक्षण**
2. **प्रौढ़ो के सीखनेके सिद्धान्त**
3. **अनुभव आधारित सीख**
4.

1.सहभागी प्रशिक्षण

सहभागी प्रशिक्षण : एक शैक्षणिक प्रक्रिया

मुख्यतः सहभागी प्रशिक्षण वह शैक्षिणक प्रक्रिया है जिसमें प्रौढ़ों के सीखने के सिद्धान्त अपनाये जाते हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सहभागियों को स्वंय को ज्ञान का स्त्रोत समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब लोगों को अपनी स्वंय की जानकारी के आधार पर समझने व काम करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है तो वह अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिये प्रयास करने के इच्छुक बनते हैं। यह प्रक्रिया कई महत्तवपूर्ण मान्यताओं पर आधारित हैं। कुछ प्रमुख निम्नवत् हैंः

- लोगों के पास उपलब्ध जन ज्ञान को पहचानना और मान्यता देना : सहभागी प्रशिक्षण इस मान्यता से शुरूआत करता है कि सहभागियों के पास कुछ ज्ञान है। सहभागी पूर्ण रूप से अनभिज्ञ नहीं है। अतः उस जन ज्ञान को पहचानना, उसको महत्व देना और उस उपलब्ध ज्ञान के साथ नये ज्ञान का सृजन सहभागियों की शिक्षा का माध्यम होता है।
- नया ज्ञान उपलब्ध ज्ञान के आधार पर ही स्थापित होता हैः सहभागी प्रशिक्षण में नये ज्ञान की संरचना लोगों के पास उपलब्ध ज्ञान से ही होती है, खासकर उस ज्ञान के सही अंशों से। जैसे–जैसे लोग अपने उपलब्ध ज्ञान के महत्व को पहचानते हैं, वैसे–वैसे वे नयी जानकारी प्राप्त करने के लिये इच्छुक होते हैं। नयी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा सीखने की प्रक्रिया में सहायक होती हैं।
- **सहभागी नियंत्रण करना सीखते हैंः** सहभागी प्रशिक्षण में सहभागियों द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाने में सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा की जाती है। इससे वे अपने सीखने के लिये स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। यह सक्रियता सीखने के लिये मददगार साबित होती है ओर उन्हें अपने सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण करने में सहायक होती हैं।
- **यह एक सामूहिक प्रक्रिया है :** सहभागी प्रशिक्षण में नये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। परिणामस्वरूप सहभागी एक–दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक स्तर पर सीखने और विश्लेषण करने की समझ और क्षमता प्राप्त करते हैं। इस परिस्थिति में सामूहिक विश्लेषण की प्रक्रिया अनेक विकल्प सामने लाती हैं। विश्लेषण की इस प्रक्रिया में ठोस जानकारीके आधार पर विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाता है। इसके आधार पर ही सहभागी किसी एक विकल्प को

चनते या ठुकराते हैं। जानकारी को समझकर उसका विश्लेषण करके इस्तेमाल करने से पैदा हुआ विश्वास सहभागियों में शक्ति लाता है। इस विश्लेषण से ठोस कदम उभरते हैं।

2. प्रौढ़ों के सीखने के सिद्धान्त

प्रशिक्षकों के सामने एक बड़ा प्रश्न यह है कि वे प्रौढ़ प्रतिभागियों तक कैसे पहुंच सकें। प्रौढ़ों को सिखाने और विकसित करने में तमाम बाधाओं और असफलताओं का सामना किया जा चुका है। कई बार हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि 'अरे ये बड़े पुरूष और स्त्रियां, ये तो कभी कुछ सीख नहीं सकते, कभी बदल नहीं सकते, इनको तो छोड़ ही दो।पर प्रौढ़ सीखते हैं, प्रौढ़ बदलते हैं, प्रौढ़ विकसित होते हैं। इसके बावजूद एक मान्यता व्यापक रूप से प्रचलित है कि एक बार जो सीख चुका, वह उसको भूल नहीं सकता और सीखने की प्रक्रिया बच्चों में ज्यादा सक्रिय हैं। प्रौढ़ों के सीखने के सिद्धान्त औपचारिक सीखने के सिद्धान्तों से भिन्न हैं। ये भिन्नतायें निम्नलिखित हैं :

- प्रौढ़ वही सीखते हैं जो उन्हें रूचिकर होता है।
- प्रौढ़ स्वचालित रूप से सीखते हैं।
- प्रौढ़ अपने व्यक्गित अनुभवों को सीखने में इस्तेमाल करते हैं।
- प्रौढ़ों का व्यवहार बाहरी और आन्तरिक दबावों के आधार पर परिवर्तित होता है। अतः प्रौढ़ अपने जीवन में हर समय सीखते रहते हैं।
- प्रौढ़ सीखने की प्रक्रिया में अपने बारे में कुछ विचारधारायें लेकर आते हैं। उनकी अपने बारे में समझ–सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अपने बारे में उनकी यह समझ उनके पुराने अनुभवों के आधार पर बनती है। अतः उनके पुराने अनुभव, उनकी नयी सीख को प्रभावित करते हैं।
- सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्रौढ़ों के पुराने अनुभव को मान्यता देना आवश्यक होता है, नही ंतो प्रौढ़ स्वयं को बेकार और अर्थहीन महसूस करेंगे और सीखनपे की प्रक्रिया में बाधा आयेगी।
- प्रौढ़ तभी सीखते हैं, जब सीखने का वातावरण सुरक्षित हो, सहयोगी हो, प्रोत्साहित करने वाला हो, तथा उनके अनुभवों को मान्यता देने वाला हो।
- प्रौढ़ सीखने की परिस्थिति में अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं, भावनाओं, अपेक्षाओं, उम्मीदों को लेकर सम्मिलित होते हैं। उनकी भावनाओं को पहचानना चाहिए और उनका आदर किया जाना चाहिए। तभी सीखने की प्रक्रिया के प्रति उनके उत्साह को जागृत किया जा सकता है।
- प्रौढ़ सीखने वाले जिन उत्तरों को खोजते हैं वह उनके स्वंय के अनुभवों और विश्लेषण से उभरना चाहिए तथा अपनी पद्धति से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो सफलता मिलती है, वह प्रौढ़ को आगे चलकर और कुछ सीखने के लिये जबरदस्त रूप से प्रोत्साहित करती है। अतः यह तत्व प्रौढ़ो के सीखने की प्रक्रिया में बनाये रखना चाहिए।
- सीखना प्रौढ़ो में तमाम भावनात्मक अनुभूतियां पैदा करता हैं जैसे– जोश, चंचलता, तनाव, भय, गुस्सा इत्यादि। इस तरह के तनाव के बने रहने से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अतः इन भावनात्मक अनूभूयिों को संवेदनशील तरीके से समझना और निपटाना चाहिए।
- अलग–अलग प्रौढ़ अलग–अलग तरीके से सीखते हैं। अतः प्रौढ़ों के सीखने के अवसर पर भिन्न–भिन्न तरीकों और आयामों को ध्यान में रखना चाहिए।

अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि उपरोक्त बातें महिला व पुरूष दोनों तरह के प्रौढ़ों पर समान रूप से लागू होती है फिर भी जब हम महिला प्रौढ़ों के सीखने की बात करते हैं तो कुछ अतिरिक्त बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है–

- हमारे सामाजिक परिवेश में महिलाओं के लिए अवसर सीमित रहे है। इसलिए महिला प्रौढ़ो के लिए अवसर मूल्यवान होते हैं। अतः वे इसका महतम लाभ उठाना चाहती है।
- महिला प्रौढ़ भावनात्मक स्तर पर अधिक सीखती है। इस दृष्टि से यह महत्तवपूर्ण है कि प्रशिक्षण में हम ऐसी परिस्थिति का निर्माण करे जो भावात्मक दृष्टि से संवदेनशील हो।
- महिलायें पारिवारिक व व्यक्तिगत चिन्ताओं से मुक्त रहकर अधिक सीखती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ महिलाओं पर लागू होते हैं बल्कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक दृष्टि से महिलाओं को कई तरह के उत्तरदायित्वों व चिन्ताओं से मुक्त करना सीखने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- इसके अलावा भी कई छोटी–छोटी बातें जैसे पद्धतियों का चयन सीखने में ऐसे तरीकों का उपयोग जो उन्हें जोड़ सके व्यक्तिगत व पारिवारिक उदाहरण आदि महिला प्रौढ़ों के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

3. अनुभव आधारित सीख

सहभागी प्रशिक्षण में अनुभव आधारित सीख एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अनुभव के द्वारा सीखने के सिद्धान्त में यह मूलरूप से माना गया है कि प्रौढ़ों के सीखने के लिए अनुभव एक प्रमुख एवं मूलभूत स्त्रोत है। इस प्रक्रिया में कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने की क्रियाओं को सीखने के लिए प्रमुख साधनों एवं तरीकों के रूप में मान्यता दी गयी है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत सीख को एक परिणाम नहीं परन्तु जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया माना गया है।

जब अनुभव आधारित सीखने की प्रक्रिया को हम व्यवहार में लाते हैं जब इस उपयोग अनेक रूपों में होता है। स्वयं के अनुभव से सीखना, भूतकाल के अनुभव से सीखना, स्वंय के वर्तमान अनुभवों से सीखना, अनुभवों के आदान–प्रदान से सीखना, दूसरों के भूत एवं वर्तमान अनुभवों से सीखना, इत्यादि।
इस सिद्धान्त के अनेक रूप हैं।
मॉडल को चार स्तर पर एक चक्र के रूप में चित्रित किया गया है,

1. वास्तविक अनुभव को प्राप्त करना
2. अवलोकन एवं विश्लेषण
3. अवलोकन एवं विश्लेषण के आधार पर अवधारणाओं व सिद्धान्तों का निर्माण करना एवं उन्हें सर्वमान्य बनाना।
4. सर्वमान्य अवधारणाओं को भविष्य के कार्यकलापों में जाँचना एवं परखना जो स्वंय नये अनुभवों को जन्म देता है।

इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कैसे करें

किसी भी मॉड्यूल का इस्तेमाल करने के लिए उसके उद्देश्यों और मॉड्यूल के ढाँचे की जानकारी जरूरी है।
प्रस्तुत प्रशिक्षण मॉडयूल आपदा पूर्व तैयारी के संदर्भ में समुदाय की क्षमता निर्माण के लिये है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा में प्राथमिक उपचार के महत्व पर समुदाय को संवेदित करना एवं विषय से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों की जानकारी देना है।
मॉउयूल उ0प्र0 के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण के उद्देश्य से लिखा गया है। मॉडयूल की भाषा और प्रयुक्त उदाहरण भी परिवेश और प्रशिक्षण समूह के अनुसार थोड़े बहुत फेरबदल के साथ ये मॉड्यूल,आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय को, आपदा विषयों पर संवेदित करने के लिये समान रूप से उपयोगी हो सकता है।
इस मॉड्यूल को दो भागों में बाँटा गया है :

भाग 1– प्रशिक्षक की तैयारी

- प्रशिक्षण से पहले
- प्रशिक्षण के दौरान
- प्रशिक्षण के बाद

भाग 2– प्रशिक्षण की रूपरेखा और प्रशिक्षण प्रक्रिया का सत्रवार विवरण

भाग–1 में प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु प्रशिक्षक की तैयारियों का विवरण है। साथ ही प्रशिक्षण के प्रभावी संचालन हेतु कुछ व्यवहारिक बातें भी बताई गई है।

भाग–2 में प्रशिक्षण की प्रक्रिया का सत्रवार विवरण है। प्रत्येक सत्र विवरण में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख है :

- सत्र का उद्देश्य
- विषय वस्तु
- पद्धति
- प्रशिक्षण सामग्री
- प्रशिक्षण प्रक्रिया

प्रत्येक सत्र की प्रक्रिया विवरण के साथ–साथ संदर्भ सामग्री को भी, बॉक्स और चित्र में दिया गया है, ताकि कम पढ़े–लिखे लोग इन चित्रों को देखकर समझ सकें।
मॉड्यूल के अन्त में सन्दर्भ सूची दी गई है।
प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल का इस्तेमाल करने के लिए मॉड्यूल को पहले ही अच्छी तरह पढ़ लें और विषय–वस्तु पर अपनी समझ बना लें किसी भी प्रकार की कठिनाई या दुविधा होने पर सन्दर्भ सूची में दिये गये सन्दर्भों का सहारा लिया जा सकता है। मॉड्यूल में प्रशिक्षण की रूपरेखा का लचीला रखा गया है। आवश्यकतानुसार भोजनावकाश, चाय अवकाश आदि के समय को घटाया बढ़ाया जा सकता है या उस रूप रेखा को आधार बनाते हुए अपने लिए दूसरी उपयुक्त प्रशिक्षण रूपरेखा भी बनायी जा सकती है। दूसरी रूपरेखा बनाते समय सीखनेकी आवश्यकताओं, प्रशिक्षण के उद्देश्यों, प्रशिक्षण समूह के स्तर और विषय–वस्तु की क्रमबद्धता का ध्यान रखें।
मॉड्यूल की विषय–वस्तु बहराइच की बाढ़ के संदर्भ में है और पद्धतियां प्रशिक्षण समूह को ध्यान में रखते हुए चुनी गयी है। प्रशिक्षक क्षेत्र और प्रशिक्षण समूह की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें थोड़े बहुत फेर बदल सकते हैं। किसी भी वैकल्पिक पद्धति का चुनाव करते समय मॉड्यूल के आधारभूत सिद्धान्तों का ध्यान जरूर रखें।
सत्र को शुरू करने से पहले सत्र के अन्त में दिए गए प्रशिक्षक के लिए नोट पर ध्यान दें। साथ ही मॉड्यूल के प्रत्येक सत्र विवरण के बाद दिये गये संबंधित चित्रों को भी पहले से देखकर समझ लें और मन में एक योजना बना लें कि प्रशिक्षण के दौरान इन चित्रों का इस्तेमाल कब करेंगे और कम पढ़े लिखे लोगों को इन चित्रों के माध्यम से कैसे जानकारी देंगे।
अगर आपका उद्देश्य इन विषयों पर समुदाय को संवेदित करना है तो आप मॉड्यूल में दिए गए चित्रों और अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए समुदाय को इन विषयों पर जागरूक या संवेदित कर सकते हैं।
आशा है कि प्रस्तुत प्रशिक्षण मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए आप प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर सकेंगे।

भाग – 1
प्रशिक्षक की तैयारी

प्रशिक्षक की तैयारी

किसी भी प्रशिक्षण की सफलता–असफलता में प्रशिक्षक की एक अहम भूमिका है। इसलिए जरूरी है कि प्रशिक्षक खुद प्रशिक्षण देने के लिए पूरी तरह से तैयार हों ताकि प्रशिक्षण के वास्तविक उद्देश्य पूरे किये जा सके।
कुछ तैयारियाँ प्रशिक्षण से पहले करनी जरूरी है तो कुछ बातों का ध्यान प्रशिक्षण के दौरान रखा जाना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षक की जिम्मेदारियां प्रशिक्षण के बाद भी हैं। जरूरी है कि प्रशिक्षक इन सभी बातों को प्रशिक्षण शुरू करने से पहले ही जान लें जिससे प्रशिक्षण के दौरान किसी तरह की कठिनाई न हो और प्रशिक्षण को सफल बनाया जा सकें।
प्रशिक्षण से पहले :

- प्रशिक्षण के उद्देश्यों की स्पष्टता प्रशिक्षक के लिये सबसे जरूरी है। इसलिए प्रशिक्षण से पहले इसके उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लें और पूरे प्रशिक्षण में – तैयारी में, प्रशिक्षण देते समय हमेशा याद रखें कि आपका अन्तिम लक्ष्य इन उद्देश्यों को पूरा करना है।
- सहभागियों को 15–20 दिन पहले ही प्रशिक्षण की सूचना दें। सम्भव हो तो सहभागियों से भी इस बारे में पूछ लें कि उनके लिए प्रशिक्षण का समय उचित है या नहीं। ध्यान रखें कि प्रशिक्षण की सूचना देते समय प्रशिक्षण के शुरू होने की तारीख और समय के साथ ही, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण स्थल और प्रशिक्षण में क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी और किन चीजों के लिए सहभागियों को खुद व्यवस्था करनी होगी, ये भी जरूर बताएं।
- प्रशिक्षण की रूपरेखा बना लें।
- प्रशिक्षण में आने वाले सहभागियों की सुविधाओं की पूरी तैयारी पहले से कर लें। जैसे प्रशिक्षण कक्ष का चुनाव, बैठने की व्यवस्था, भोजन और चाय आदि की व्यवस्था।
- संबंधित संदर्भ सामग्री को अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें। साथ ही प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों जैसे– भाषण, छोटे–बड़े समूह में चर्चा, रोल प्ले इत्यादि पर भी अपनी समझा मजबूत बना लें।
- जिस विषय पर प्रशिक्षण देन हैं, उस विषय पर हमेशा अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करें।
- इसलिए संदर्भ सामग्री के अलावा भी हमें नई–नई जानकारियाँ अर्जित करते रहना चाहिए फिर चाहें वो जानकारी अखबार के जरिये मिले, किसी पत्रिका के जरिये या अन्य किसी किताब के जरिये।

प्रशिक्षण के दौरान :

- समय–समय पर जाँचते रहें कि आप प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, आपकी योजनाएँ सही ढंग से कार्यान्वित हो रही हैं या नहीं। अपने साथी प्रशिक्षकों से,दिये गये प्रशिक्षण पर, अकेले में चर्चा करें और उनकी राय लें। इससे हम अपने प्रशिक्षण की रणनीति समय रहते बदल सकते हैं।
- सहभागियों से भी बीच–बीच में पूछते रहे कि वो आपकी बात समझ रहे हैं या नहीं। अगर सहभागी आपकी बात नहीं समझ पा रहे तो अपना तरीका बदल कर या उदाहरण देकर उन्हें समझाने की कोशिश करें।
- सहभागियों के गैर शाब्दिक हाव–भाव का ध्यान रखें, मगर उन पर टीका टिप्पणी न करें। यह चल रहे प्रशिक्षण के दौरान विषय के प्रभाव को नापने के लिए मददगार होता है।
- सहभागियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। उनके प्रश्न पूछने पर या किसी तरह की प्रतिक्रिया देने पर धैयेपूर्वक उसे सुने। इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और उनके प्रश्नों का उत्तर दें।
- अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपके पास न हो तो गलत या अस्पष्ट उत्तर देने के बजाय कह दें कि इसका जवाब किसी और स्त्रोत से जानकर बताएंगे।
- अगले दिन पहले सत्र की शुरूआत में इसका उत्तर दें।
- किसी भी अभ्यास, खेल आदि को केवल उत्प्रेरित (फैसिंलिटेंट) करें खुद न करें।

प्रशिक्षण के बाद :

- भौतिक साधनों को उचित स्थान पर लौटा दें।
- प्रशिक्षण की रिपोर्ट तैयार कर लें।

प्रशिक्षण के लिए कुछ व्यवहारिक बातें

यूँ तो हर प्रशिक्षण के लिए जरूरी बातें उसके उद्देश्यों के अनुसार तय होती हैं फिर भी कुछ सामान्य व्यवहारिक बातें हैं जिन्हें हर प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये समान रूप से ध्यान रखना जरूरी हैं।

- प्रशिक्षण के पहले दिन, प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, सहभागियों से जान लेना चाहिए कि इस प्रशिक्षण से उनकी क्या उम्मीदें हैं और प्रशिक्षण में वो क्या सीखना चाहते हैं। कोशिश करें कि आप प्रशिक्षण में इन बातों को शामिल कर सकें लेकिन अगर ऐसा

संभव नहीं है तो उन्हें शुरूआत में ही स्पष्ट कर दें कि इस प्रशिक्षण में आप क्या बता पाएंगे और किन चीजों को शामिल करना संभव नहीं होगा।

- किसी भी विषय में सीखी गयी बातों को दोहराने से, उस विषय पर हमारी समझ और मजबूत होती है। प्रशिक्षण के दौरान भी हमें सहभागियों को सीखी हुई बातों को दोहराने का समय और मौका जरूर देना चाहिए। अगर प्रशिक्षण की अवधि एक दिन से ज्यादा है तो हर दिन प्रशिक्षण की शुरूआत करने से पहले, पिछले दिन सीखी गयी बातों को दोहराने के लिये, आधे घंटे का समय दिया जा सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि दोहराने का ये अभ्यास सहभागी खुद अपने तरीके से करें या फिर उन्हें शामिल करते हुए कोई प्रश्नोत्तरी खेली जा सकती है।
- प्रशिक्षण की लम्बी अवधि में छोटे–छोटे अन्तराल देते रहना भी बेहद जरूरी है ताकि प्रशिक्षण के दौरान सहभागियों की एकाग्रता, रूचि और ऊर्जा को बनाए रखा जा सके।
- कठिन विषय को समझाने के बाद, खाना खाने के बाद या अगर कोई विषय बोझिल हो रहा हो तो बीच में छोटी–छोटी ऊर्जादायक गतिविधियाँ उपयोगी होती हैं। इसलिए प्रशिक्षण में समय और आवश्यकतानुसार इन ऊर्जादायक गतिविधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। ऊर्जादायक गतिविधियों के रूप में छोटे–छोटे चुटकुलों, ऊर्जा देने वाले खेलों या प्रेरक गीतो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर सहभागियों द्वारा उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है ताकि हम जान सकें कि प्रशिक्षण अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाने में कहाँ तक सफल रहा और आगे के प्रशिक्षणों में इस मूल्यांकन से मदद मिल सकें। इसलिए प्रशिक्षण के आखिरी कुछ घंटे प्रशिक्षण मूल्यांकन के लिए जरूरी रखें। साथ ही इन्हीं घंटों में सहभागियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण के फॉलोअप (प्रशिक्षण की सीख को सहभागी आगे किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसमें उन्हें किस सहयोग की जरूरत है, ये सहयोग आप कैसे करेंगे आदि) की योजना भी जरूर तैयार कर लें।
- जहाँ तक सम्भव हो प्रशिक्षण के लिए स्थानीय और सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ये सहभागियों की विषय पर समझ को आसान करने के साथ–साथ सहभागियों और प्रशिक्षकों के बीच एक आत्मीयता स्थापित करने में भी मदद करती है, जो प्रशिक्षण में एक सहज वातावरण का निर्माण करती है।

भाग 2

प्रशिक्षण प्रक्रिया का सत्रवार

प्रशिक्षण रूपरेखा

Day 1			
समय	**सत्र**	**प्रशिक्षण पद्धति**	**आवशयकता सामग्री**
10.30 to 11.00	परिचय एवं कार्यक्रम से अपेक्षायें तथा प्रषिक्षण का उद्देष्य		
11.00 to 11:30	आपदाः सामान्य जानकारी एवं आपदा प्रबंधन तन्त्र तथा अधिनियम	भाशण तथा विचारों का आदान–प्रदान	चार्ट पेपर आदि
11.30 to 1.30	स्थानीय आपदाएं एवं उनके प्रभाव तथा समुदाय द्वारा किये जाने वाले निराकरण के उपाय तथा चर्चा के आधार पर प्रस्तुतीकरण एवं संक्षेपण	समूह चर्चा (इस सत्र में सामाजिक व संसाधन मानचित्रण के द्वारा स्थानीय आपदाओं व प्रभावों तथा निराकरण के उपायों पर चर्चा की जायेगी)	
1.30 to 2.30	भोजन अवकाष		
2.30 to 3.45	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की आवष्यकता एवं उपयोगिता	वरननैबिलिटी चित्रण के आधार पर लोगों के रिस्क एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की जायेगी तथा चिन्हित वरनैबिलिटी एवं खतरों के आधार पर विकास के कार्यक्रमों मे DDR तत्वों के	

		समावेश पर चर्चा	
3.45 to 5.00	विकास के कार्यक्रम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तत्वों का समावेष		

Day 2

समय	सत्र	प्रशिक्षण पद्धति	आवशयकता सामग्री
10.00 to 10.030	प्रथम दिन का पुनरावलोकन		
10.30 to 12.00	आपदा राहत सहायता के मानकों एवं कुषल आपदा प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य, पषु पालन एवं पषु स्वास्थ्य, कृशि, आजिविका, पेयजल, स्वच्छता, जल निकासी, षिक्षा, आवास, षरणालय, भोजन/पोशण, प्र्यावरण सुरक्षा, आदि हेतु (क्या करें व क्या ना करें)		
12.00 to 1.00	आपदा प्रबन्धन हेतु ग्राम आपदा प्रबंध समिति एवं विभिन्न कार्यदलों की आवष्यकता एवं भूमिका पर प्रकाष एवं समिति तथा कार्यदलों का चयन		
1.00 to 2.00	भोजन		
2.00 to 5.30	विभिन्न ग्राम टास्क फोर्स का प्रषिक्षण (उपकरणों के माध्यम से) चेतावनी, समन्वय एवं पूर्व तैयारी हेतु गठित ग्राम टास्क फोर्स राहत–खोज बचाव एवं ग्राम सुरक्षा हेतु गठित ग्राम टास्क फोर्स प्राथमिक चिकित्सा, महामारी एवं Psychosocial Counsellingfor trauma management हेतु गठित ग्राम टास्क फोर्स षरणालय प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल प्रबंधन एवं जलनिकासी हेतु गठित ग्राम टास्क फोर्स		
समय	**सत्र विवरण**	**प्रशिक्षण पद्धति**	**आवशयकता सामग्री**
10.00 to 10.030	द्वितीय दिन का पुनरावलोकन		
10.30 to 12.00	विभिन्न विभागों/स्वंयसेवी संस्थाओं/समुदाय के लोगों की समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका		
12.00 to 1.00	आपदा प्रबंधन हेतु ग्राम स्तर पर समुदाय की स्वयं की तैयारी एवं ग्राम आपदा प्रबंध योजना निर्माण–अभ्यास		
1.00 to 2.00	भोजन		
2.00 to 5.30	मॉक ड्रिल–विभिन्न कार्यदलों द्वारा		
	प्रषिक्षण मूल्यांकन, प्रमाण–पत्र वितरण,		

प्रशिक्षण प्रक्रिया का सत्रवार विवरण

प्रथम दिवस

प्रशिक्षण का आरम्भ :

किसी भी प्रषिक्षण के आरम्भ में कार्यक्रम का परिचय और आपसी परिचय जरूरी होता है। सबसे पहले प्रषिक्षक अपना परिचय सभी सहभागियों को दे और अपने परिचय के बाद कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय और उसके उद्देष्य सभी सहभागियों को बताएं।
इसके बाद सभी संहभागियों को एक–एक कर अपना परिचय देने को कहें। सहभागियों के आपसी परिचय के लिये कुछ रोचक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जिससे सहभागियों को खेल–खेल में ही एक दूसरे का परिचय मिल जाए और उन्हें याद रखने में भी आसानी हो।

परिचय के कुछ रोचक तरीके :

- सहभागियों को एक गोले में बिठायें।
- बताएं कि हर सहभागी को अपना परिचय देना है जिसमें उसे अपने नाम के बाद अपना कोई गुण या विषेशता भी बोलनी है, जैसे सुखराम–मेहनती, सुनीता–चालाका आदि।
- परिचय की प्रक्रिया किसी एक सहभागी से षुरू की जाएगी। पहला सहभागी अपना नाम और विषेशता बोलेगा। दूसरा सहभागी अपना नाम और विषेशता बोलने के साथ ही पहले सहभागी का भी नाम और विषेशता बताएगा। इसी तरह तीसरा सहभागी पहले दो सहभागियों का, चौथा पहले तीन का और ये प्रक्रिया अंतिम सहभागी तक चलेगी। अंत में पहला सहभागी अन्य सभी सहभागियों का नाम और विषेशता बोलेगा।
- किसी एक सहभागी से षुरूआत करते हुए परिचय की प्रक्रिया को पूरा
- सहभागियों को एक गोले में बिठायें।
- बताएं कि आप एक वाक्य बोलेंगे जिस–जिस सहभागी के लिए ये वाक्य सटीक हो वाले गोले से बाहर आ जाएंगे।
- इस तरह उन सभी सहभागियों (जिन पर ये वाक्य सटीक बैठता है) के गोले से बाहर आने के बाद, इन सहभागियों को अपना नाम बताना है और साथ ही जो वाक्य बोला गया है उस पर भी एक लाइन बोलनी है। उदाहरण के लिए–अगर आपने बोला कि किस–किस के घर में गाय है? सुखराम, सुनीता देवी, धनीराम और बचऊ गोले से बाहर आए तो सुखराम को बताना होगा कि मेरा नाम सुखराम है, मेरे घर में दो गाय हैं और इसी तरह षेश तीनों सहभागी भी बताएंगे।
- एक–एक करके वाक्यों को बोलना षुरू करें। ध्यान रखें कि वाक्य स्थान और प्रषिक्षण समूह के अनुसार हो।
- छोटे समूह के साथ पहला और बड़ समूह के साथ दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है।

परिचय के बाद सहभागियों से पूछें कि इस प्रषिक्षण से उनकी क्या उम्मीदें हैं और इस प्रषिक्षण में वे क्या सीखने आए है? उनके उत्तरों को बोर्ड पर लिख लें। सभी के उत्तरों के बाद उन्हें स्पश्ट कर दें कि आप किन बिन्दुओं को इस प्रषिक्षण में षामिल कर पाएंगे और किन बिन्दुओं पर इस प्रषिक्षण के दौरान चर्चा संभव नहीं होगी।

सत्र–1

आपदा : सामान्य जानकारी एवं आपदा प्रबंधन तन्त्र तथा अधिनियम

उद्देश्य :–

- आपदा प्रबंधन में मूलतः प्रयोग होने वाले षब्दों पर जानकारी देना
- आपदा प्रबंध तंत्र तथा वर्तमान अधिनियम पर जानकारी देना

सत्र समय : 1 घण्टा पद्धति : भाशण तथा विचारों का आदान–प्रदान
आवष्यक सामग्री : चार्ट, पोस्टर आदि

सत्र–2

आपदा : स्थानीय आपदाएं एवं उनके प्रभाव तथा समुदाय द्वारा किये जाने वाले निराकरण के उपाय

उद्देष्य :–

- स्थानिय आपदाओं को तथा उनके प्रभाव की तरफ प्रतिभागियों का ध्यान ले जाना
- समुदाय द्वारा आपदा प्रबंध के लिए किये जाने वाले उपायों की तरफ ध्यान ले जाना

सत्र समय : 1 घण्टा पद्धति : भाशण तथा छोटे समूह में चर्चा
आवष्यक सामग्री : चार्ट, पोस्टर आदि

- चाहे आप रहे या कहीं सुरक्षित जगह पर जाए, पर लैटरीन में बालू से भरी बोरियाँ डालें और नाली या किसी भी प्रकार के छेद को कपड़े से बंद कर दें ताकि पानी वापस ना आएँ।
- घर में ताला लगाएं और बताए हुए सुरक्षित रास्ते का ही उपयोग करें।
- टगर पानी की गहराई की जानकारी ना हो तो उसे कभी भी पार करने की कोषिष ना करें।
- अगर बाढ़ के दौरान आप घर पर ही रूके हों या वापस लौटे हो तो :–
- रेडियो द्वारा ताजा जानकारी व सुझाव लेते रहें।
- बच्चों को बाढ़ का पानी के पास या पानी में ना खेलने दें।
- बाढ़ को पानी में जाने से बचें।

अगर पार करना आवष्यक हो तो जरूरी कपड़े व जूते पहने गहराई व बहाव लकड़ी की सहायता से जाँचे।

- बिजली वाली वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें जब तक कि उसे जांचा ना गया हो, हो सकता हैं उसमें बाढ़ का पानी चला गया हो।
- वैसा कोई भी भोज्य पदार्थ का सेवन ना करें जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।
- नल का पानी को उबालकर तब तक पीएँ जब तक कि जल विभाग उसे सुरक्षित ना घोशित कर दें। गाँव में चापाकल का पानी जमा करें और हैलोजेन की गोलियां पानी में डाले पीने के पहले।
- साँप से बचकर रहें।
- पालीथीन बैग या वाटरप्रुफ बैग आदि रखें जिसमें कपडें मंहगे सामान छाता, चीनी, नमक, और लकड़ी (सांप वैगर भगाने के लिए)
- प्राथमिक उपचर बॉक्स मान्युअल और मजबूत रस्सी अपने पास हमेषा रखें।

जब बाढ़ आने कि चेतावनी सुनें :–

- रेडियो या टी.वी. देंखे चेतावनी व सुझाव के लिए।
- ध्यान रखें स्थानीय अधिकारी की चेतावनीयों पर।
- अपवाह पर ध्यान ना दें और घबराएँ ना।
- सूखे भोज्य पदार्थ, कपड़े, पेयजल तैयार रखें।
- बैलगाड़ी, कृशि उपयुक्त सामान या मषीन और पालतु जानवर को ऊँची सुरक्षित जगह पर लें जाए।
- यह सोच कर तय कर लें कि कौन सा सामान आप फेंक सकते हैं अगर बाढ़ आ गई। आपातकालिन बॉक्स को चेक करें।

बाढ़ के दौरान :–

- डबला हुआ पानी पीएँ।
- खाना ढ़क कर रखें। ज्यादा खाना ना खाएँ। हल्का भोजन करें।
- कच्चा चाय चावल का पानी नारियल पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें और अपने नजदीकी स्वस्थय केन्द्र को संपर्क करें वते व अन्य उपचार के लिए।
- बच्चों को भूखा ना रहने दें।
- ब्लिचिंग पाऊडर आदि से घर के आस पास साफ रखें।
- अधिकारी/वाटालिंयन की सहायता सामग्री बांटने में मदद करें।

अगर जगह खाली करनी हो तो :–

- सबसे पहले गर्म कपड़े जरूरी दवाएँ, किमती वस्तु, निजी कागज आदि को वॉटर प्रुफ बैग में डाल दें और आपातकालीन बाक्स के साथ रखें।
- स्थानीय स्वयंसेवक (अगर हो तो) को सुचित करें आप जहाँ जा रहें है। फर्नीचर, कपड़े, किमती चीजों को पलंग के ऊपर रखें सबसे ऊपर बिजली के सामानों को रखें।
- मेन पॉवर बंद कर दें।
- सारे पर्दे लगा दें। खिड़कियां बंद रखे। बिजली से चलने वाली वस्तुओं क इस्तेमाल ना करें।
- टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें। आपातकाल में फोन करें पर विद्युत चालक वस्तुओं को ना छुएं। खाली पैर फर्ष या जमीन पर ना खड़े रहें।

प्राथमिक उपचार :

- तुरंत हृदय के पास मालिष करें, और मुंह द्वारा पुनरूज्जीवन क्रिया करें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि कोई मदद ना पहुंचे। (आपको रोगी से को बिजली नहीं लगेगी)

ब्रजपात के कुछ तथ्य और कुछ गलत धारणाएं :–

- जब किसी पर बिजली गिरती है तो वा`जल नहीं जाता बल्कि उसके हृदय और ष्वास नली पर असर होता है।
- करीबन 30: लोग जिन पर ब्रजपात होता है मरते हैं। अगर प्राथमिक उपचार सही समय पर दिया जाए तो कोई लंबी बिमारी की संभावना भी बहुत कम हो जाती है।
- अगर आपके कपड़े गीले हैं तो आप पर ब्रजपात का उतना असर नहीं होगा क्योंकि आवेगित चार्ज कण गीले कपड़े से गुजर जाएगा ना कि षरीर से
- एक ही जगह पर ब्रजपात कई बार हो सकता है।

बाढ़

सुरक्षा सुझाव :–

- घर को सभी सदस्य को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।
- अगर आपको घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो ते मकान मजबूती से सीमेंट आदि से बनवाएं। मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते हैं। आप ऐसा घर बनवा सकते हैं जिसकी दिवारें लाकल ईंटों से उस ऊँचाई तक बना हो जहाँ तक बाढ़ आती है।

- आपातकालीन बॉक्स हमेषा अपने पास रखें–
- एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी
- पनी, सूखा भोज्य पदार्थ (चूडा, मूडी, गुड, बिस्कुट आदि) किरासन तेल, मोमबत्ती और माचिस आदि हमेषा स्टॉक कर रखें।

लू लगने पर क्या करें–कुछ सुझाव

- लू लगे व्यक्ति को छाव में लिटा दें।
- ठंडे गीले कपड़े से षरीर पोछें या फिर ठंडे पानी से नहलाए। सामान्य तापमान का जल सिर पर डालें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि षरीर कम हो जाए।
- व्यक्ति को वते या नीबूं पानी या तोराणी पीने को दें जो कि षरीर में ल की मात्रा को बढ़ा सके।
- व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र लें जाएं। चूँकि लू जानलेवा भी हो सकता है अतः तुरंत अस्पताल में भर्ती करना आवष्यक है।

जलवायु अनुकूल :–

- वैसे लोगों को ज्यादा परेषानी होती है जो ठडे वातावरण से गर्म वातावरण में आते हैं। उन्हें कम से कम एक हफते तक बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि उनका षरीर गर्म प्रदेष के जलवायु के अनुकूल ना हो जाए। खूब पानी पीना चाहिए। बाहर निकलते वक्त सर्तकता बरतनी चाहिए, टोपी, छाता और पानी साथ रखें।

बिजली/तड़ित और ब्रजपात

ब्रजपात के दौरान खतरे :–

- तड़ित/ब्रजपात के दौरान कई लोग मरते या घायल होते हैं। कई घायल होते हैं। कई घायल होने कि घटनाए सामने आयी–ब्रजपात के समय टेलीफोन का इस्तेमाल करने से लगी बिजली के झटके से, ब्रजपात के दौरान निम्नलिखित सावधानियाँ ध्यान में रखें :–

  - **तुरंत कार्यवाही करें**

- बिजली–मिस्तरी से सलाह मष्वरा कर के घर में तड़ित–चालक लगवाएं,
  - अगर आप बाहर हों (ब्रजपात के समय)
- अगर आप बिजली चमकने के 10 सेकेण्ड के बाद गर्जन सुनाई देती है तो इसका मतलब तो वो आपसे 3 किमी0 दूर है। अतः तुरंत ही सुरक्षित आश्रय ढूढ़ गर्जन और बिजली चमकने में जितना कम समय लगता उतना ज्यादा पास में होता।

अगर आप घर के अंदर हो :–

- आँधी आने के पहले टी.वी., रेडियों और कम्प्यूटर सभी का मोडेम और पॉवर प्लग निकाल दें।
- अगर आपके कपड़ों में आग लगी हो तो कभी भी ना दौड़े। रूके–नीचे लेट जाए। जगीन पर रोल कर आग बुझाने की कोषिष करें।

लू/लहर

- लू से लोग मर भी सकते हैं। इसके असर को कम करने के लिए और लू से होने वाली मौत की रोकथाम के लिए निम्नलिखित सावधानियाँ बरतें :–
- कड़ी धूप में बाहर ना निकलें, खासकर 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच में।
- जितनी बार हो सके पानी पीए, प्यास ना लगे तो भी पानी पीएं।
- हल्के रंग के ढ़ीले–ढ़ाले सूती कपड़े पहनें। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, छाता, धूप का चष्मा, जूते और चप्पल का इस्तेमाल करें।
- ज्यादा तापमान में कठिन काम ना करें। 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच में बाहर का काम ना करें।
- सफर में अपने साथ पानी रखें।
- षराब, चाय, कॉफी या कोला जैसी पेय जल का इस्तेमाल ना करें जो आपके षरीर को निर्जलित कर सकती हैं।
- ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन का सेवन ना करें।
- टगर आपका काम बाहर का है तो टोपी, गमछा या छाता का इस्तेमाल जरूर करें और गीले कपड़ें को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखें।
- बच्चों और पालतू जानवारों पार्क किए हुए वाहनों में ना छोड़ें।
- अगर आपकी तबियत ठीक ना लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
- वते या घर में बनी पेय जल जैसे कि लस्सी, जोराणी, नींबू पानी, छाछ/आम का बना इत्यादि का सेवन करें।
- जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने को दें।
- अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे, षटर आदि का इस्तेमाल करें। रात में खिड़कीयों को खुली रखें।
- फैन, गीले कपड़े का उपयोग करें। ठंडे पानी से बार–बार नहाएं।

- ध्यान रखें कि गैस का स्विच तुरंत बंद कर दें अगर लौ नहीं जलता है और खाना पकाना खत्म होने के तुरन्त बाद ही स्विच बंद कर दें।
- हैंडल को स्टोव के बीचोबीच ना घुमाएँ और इसे बच्चों से दूर खें।
- ध्यान रखें कि फर्ष हमेषा सूखी रहे। अन्यथा आग लगने के समय आप गीले फर्ष के कारण गिर सकते हैं।
- बच्चों की पहुँच से माचिस को दूर रखें।

सावधानियाँ–क्या ना करें :–

- तौलिये या बर्तन साफ करने वाले कपड़ों को स्टोव के आस–पास ना रखें।
- खाना बनाते समय ढ़ीले–ढ़ाले कपड़े ना पहने और जब गैस जल रही हो गैस के ऊपर रखे सामान को ना उतारें।
- स्टोव या गैस के ऊपर तख्ता षेल्फ पर कोई सामान ना रखें। बेहतर होगा चूल्हे के ऊपर कोई तख्ता ही न लगाए। वरना छोटे बच्चे सामानप लेते वक्त गैस पर गिर सकते हैं और आग लग सकती है।
- स्प्रे कैन या ज्वलनषील सामग्री वाला डिब्बा स्टोव के पास कतई ना रखें।
- बच्चों को खुले अवन के पास न जाने दें।
- स्टोव के ऊपर ना झुकें।
- तौलिए या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन उतारने के लिए करें।
- बिजली के एक ही प्वांट पर कई स्विच या एक्सटैंषन न लगाए। तार पर अधिक भार पड़ने के कारण आग लग सकती है।
- तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी ना डालें या सिर्फ ब्रेकिंग सोडा, नमक डाले या उसे ढ़क दें। हमेषा बेंकिंग सोडा का डिब्बा स्टोव के पास रखें।
- रेडियो, मिक्सी, आदि बिजली से चलने वाले वस्तुओं को बेसिन के पास ना रखें।

सुझाव :–

- दमकल विभाग का नंबर फोन के पास रखे और ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्यों को नंबर का पता हों।
- माचिस या लाइटर बच्चों से दूर रखें।
- अपने कमरे का दरवाजा बंद कर के सोए ताकि आग फैलना धीमा किया जा सके।
- अगर नीचे आग लगी हो तो खिड़की के करीब रहें पर उसे खोले नहीं।
- अगर नीचे आग नहीं लगी हो तो खिड़की खोल दें तथा उसके करीब रहें।
- खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप वहाँ हैं और आपको मदद चाहिए।
- षांत रहें और आग बुझाने ाले दल का इंतजार करें।

(ख) रसोई में लगी आग :

- यह बहुत जरूरी कि आपको पता हो कि आप किस तरह कर चूल्हा इस्तेमाल कर रहें है–गैस, हीटर, स्टोव या मिट्टी का।
- स्टोव से सबसे ज्यादा आग लगने की संभावना होती है। ज्यादातर गांवों में मिट्टी का चूल्हा या स्टोव प्रयोग में आता है और वहाँ लगी आग पूरे घर को जला देती है क्योंकि छप्पर फूस का बना होता है और पुआल वैगरह रसोई में ही। रखा होता है बिजली या गैस के चूल्हों में जैसे ही खाना बनाना खत्म हो तंरत स्विच बंद कर दें। बिजली से चलने वाले चूल्हे बन्द करने के बाद भी कुछ देर तक गर्म रहते हैं।, जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए, सर्तक रहें।
- मिट्टी के चूल्हे जिसमें लकड़ी कोयले या गुबरैले/गोइठे का जलावन की तरह इस्तेमाल होता है, काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि खाना बनाने के बाद भी अंगारे रह जाते हैं।
- जलावन को जलाते समय चूल्हें को ऊपर से ढक दें ताकि चिनगारी उड़ कर छप्पर या पास रखें पुआल तक ना चहुँच सके। खाना बनाने के बाद ध्यान रखें कि आग पूरी तरह बुझ जाए। अंगार पर पानी डाल दें। पानी अवष्य डाले अगर खाना बनाने के बाद घर में कोई बड़ा ना रहता हो। चूल्हे को पास कोई जल सकने वाली सामग्री ना रखें जैसे–किरासन तेल, फूस आदि।

सावधानियाँ :–क्या करें :–

- जब खाना बन रहा हो कोई व्यस्क जरूर हो, बच्चों को अकेला ना छोड़ें।
- खाना बनाते समय अपने बालों को बाँध कर रखें और सिन्थेटिक कपड़े ना पहने।
- ध्यान रखें कि चूल्हे के पास की खिड़की में लगे पर्दे पीछे पास की तरफ कस कर बंधे हो, लौ ना उठे पर ना उडे।

अग्नि दुर्घटना के दौरान सावधानियाँ

(1) ऊँचे मकानों में लगी आग :–

- बिना डरे षांति से मकान से बाहर निकल जाएं, घर का दरवाजा बंद कर दें और चाबियाँ ना भूलें।
- बाहर निकलते समय अगर कोई अलार्म हो तो दबाएं या फिर सभी लोगों को चिल्लाकर चेतावनी दें।
- मकान के बाहर सीढ़ियों पर से ही निकले।
- अग्नि दुर्घटना के दौरान कभी भी लिफट का प्रयोग नहीं करें।
- अगर निकास आग या धुएँ के कारण अवरूद्ध हो यद्यपि दरवाजा बंद रहने दें पर ताला न लगाए।
- गीले तौलिए को दरवाजे के नीचे लगाएँ ताकि धुआँ बाहर ही रहे।
- दमकल विभाग में फोन करें और उन्हें अपना पूरा पता बताएँ। उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराएँ। फिर दमकल विभाग जैसा–जैसा करने को कहें वैसा ही करें।
- षांत रहें और आग बुझाने वाले दल की प्रतीक्षा करें।

अगर मकान का फायर अलार्म काम न करे

- दरवाजा खोलने के पहले उसे छूकर देखे अगर वो गर्म हो तो दरवाजा ना सा खोले।
- अगर दरवाजा ठंडा हो तो जरा सा खोल कर देखें कि गलियारे में आग है या नहीं। हो तेा ना बढ़े।
- अगर गलियारे में आग ना हो तो दरवाजा बंद कर के बाहर निकलें। पर याद रखे सीढ़ियों से उतरे कभी भी लिफट का इस्तेमाल ना करें, हानिकारक हो सकता है।

अगर मकार के अंदर आग लगी हो :–

- जमीन विभाग का नंबर, पुलिस, व अन्य आपातकालिन सेवा सभी का नंबर टेलिफोन के पास चिपका कर रखें। ताकि दुघर्टना के समय तुरंत फोन कर सकें। तथा उन्हें अपनी स्थिति से अवगत करा सकें।
- अगर आपके घर में बाल्कनी है और उसके नीचे कोई आग नहीं लगी हो तो बाहर चलें जाएं।
- विभाग द्वारा नियमित रू‍प से कार्यों की सूचना मुख्यालय स्थिति आपदा कंट्रोल रूम के 0522–2740832 पर देने का निर्देष है। विभागीय पत्रांक 166/ईपीडी/बाढ़ राहत/2012–1 दिनांक 13–03–12 से नवीनतम मानक दिये गये है।
  इस प्रकार ग्रामों में प्रषिक्षण द्वारा देवी आपदा के समय पर क्या एवं कौन करें कि जानकारी देकर सभी स्वयं ही कार्य करेंगे जोकि किसी के इषारे का इंतजार नहीं करेंगे ग्राम प्रधान राहत कार्य बाढ़ चौकी एवं टास्क फोर्स सदस्यों के साथ समन्वय के साथ पूर्ण करेंगे मनरेगा द्वारा राहत षिविर का निर्माण पूर्व में ही कराया जा सकता है। जो चबूतरा बाजार एवं अन्य कार्यों में भी प्रस्तुत हो सकेगा बाढ़ राहत से बचाव राहत से बचाव उत्तम है विचार का परिपालन कर ष्षु को सुरक्षित रख कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अंग नहीं होने में अपना सहयोग प्रदान करें।

आपदा :–आग लगने पर/षीत लहरी के दौरान

क्रंम संख्या	क्या करें	क्या न करें
1	पषु को ढ़के एवं खुले स्थान पर ही बांधे	पषु को बंद कमरे में ना बांधे
2	पषु को षीतलहरी के समय ढ़के हुए कपड़े से दूर गर्मी हेतु आग जलावें	पषु से दूर तसले के बाहर आग न जलावें
3	कपड़ा जलने पर पषु को कम्बर से ढ़के	कपड़ा जलने पर आग को पानी डालकर न बुझायें
4	पषु को तुरन्त बाड़े से बाहर करें	पषु का नीम हकीम से उपचार न करायें
5	पषु का दम घुटने पर उपचार करायें	ग्राम विकास योजनाओं की जानकारी के तहत ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें
6	यदि पषु फिर भी बच न पाये तो राहत उपलब्ध कराने में विभागों का सहयोग लेवे।	पषु को बंद कमरे में ना बांधे

प्रदेष के पुषपालन विभाग के पषुचिकित्सकों, पषुधन प्रसार अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित कर्मियों को विभागीय दिषा निर्देष निदेषालय के पत्रांक 112/इ0पी0डी0/बाढ़ राहत/2012–1 दिनांक 15.05.2012 द्वारा जनपदीय मुख्य पषुचिकित्साधिकारी एवं मंडलीय उपनिदेषकों को अवगत करा दिया गया है, विभागीय एवं बाढ़ चौकी के सदस्यों के साथ ग्राम के प्रत्येक सदस्य को बाढ़ विभागीय दिषानिर्देष के मुख्य अवयव हैं।

1. **रोग नियंत्रण**

मानसून आने से पूर्व संक्रामक रोगों से बचाव का टीकाकरण पोस्टर के माध्यम से कराया जायेगा ताकि कोई पषु वचिंत न रहे, वैक्सीन की समुचित मात्रा जनपदों में उपलब्ध करा दी गयी है। गत वर्श बाढ़ प्रभावित तथा इस वर्श संभावित बाढ़ प्रभावित ग्रामों में प्राथमिकता टीका लगवाना अनिवार्य है। औशधि की व्यवस्था हेतु बजट समय से पूर्व करा दी गयी है जीवन रक्षक दवाइयां की समुचित मात्रा उपलब्ध हो सकेगी।

2. **पषु स्थानान्तरण एवं राहत स्थल का चयन**

स्थल चयन पूर्व कर चिन्हांकन कर लिया गया है।

3. **भूसे की व्यवस्था**

ज्नपदों में भूसा की मांग के क्रम में भूसा व्यापारियों से रेट कान्ट्रेक्ट करने के लिए निर्देषित किया गया है।

4. **पेयजल व्यवस्था**
5.

स्वच्छ पानी की व्यवस्था में अन्य विभागों का सहयोग लें।

6. **राहत कार्यों का अनुश्रवण**

क्रंम संख्या	क्या करें	क्या न करें
1	पषुषाला के चारों ओर सफायी करें	पषुषाला के पास गंदगी न करें
2	रेडियों के समाचार नियमित सुने	स्माचार सुनाना न भूलें
3	स्वच्छ पानी में क्लोरीन की दवा मिलाकर पिलायें	गंदा पानी न पिलायें
4	सांप नेवले से बचाव करें	संप की आवागमन को चेक करें
5	बीमार पषु का नियमित एवं पूर्व उपचार करें	डपचार बीच में न छोड़े पूरी दवा पिलायें
6	पेट में कीड़े की दवा पान करायें	छवापान समुचित मात्रा में कराये ज्यादा न करायें
7	मृत पषु को गड्ढे में दबा कर निस्तारण करें	मृत पषु खुले में न छोड़े
8	दुधान से पूर्व अपने हाथ को लाल दवा से धोयें	ललदवा 1 प्रतिषत से ज्यादा न लें
9	पषुपालन को हुये नुकसान का आकलन कर प्रस्ताव बनाकर राहत दिलाने हेतु लेखपाल से सम्पर्क करें	श्राहत नये मानक के अनुरूप ही बनाकर पुराने मानक का प्रयोग न करें
10	राहत समय से मिलना उतना ही आवष्यक है जितना चारा तथा दवा	श्राहत प्रपत्र समय से भेजने में विलम्ब न करें
11	अफवाह फैलाने वाले को नियन्त्रित करें	बिना देखे सुने स्थिति का वर्णन दूसरे को प्रस्तुत न करें
12	पषुषाला के चारों ओर सफायी करें	पषुषाला के पास गंदगी न करें

आपदा :–सूखा पड़ने पर प्रबन्धन

क्रंम संख्या	क्या करें	क्या न करें
1	पषु के लिये स्वच्छ पानी का भंडारण कर लें	भंडारण सदैव पानी की ढ़की टंकी में करें
2	पषु को छायेदार स्थान पर पालन करें	धूप अथवा गर्म स्थान पर पषु न बांधें
3	हरा चारा, घास इत्यादि का ज्यादा प्रयोग करे	केवल सूखा भूसा ही न खिलायें
4	नहर, तालाब में पषु का स्नान करें	पषु को चरने के लिये छोड़कर न भेजें
5	पषु को सूखे के दौरान चरी न खिलावें ताकि एच0सी0एन0 विशाक्ता से बचा जा सके।	चरी के किसी भी हिस्से को न खिलावें
6	एच0सी0एन0 विशाक्ता होने पर पषु चिकित्सक से तुरन्त सम्पर्क करें एवं पषु को स्थानान्तिरित करेन की विधि को प्रचार प्रसार करें	एच0सी0एन0 (हाइड्रो सानिक एसिड) की विशाक्त पर नीम हकीम को ना दिखावें
7	सूचना तंत्र का नियमित श्रवण करें	दूरभाश संख्या को अपने पास ही छिपाकर न रखें
8	पषु के लिये स्वच्छ पानी का भंडारण कर लें	रेडियो समाचार को समय से सुनने में आलस्य न करें
9	पषु को छायेदार स्थान पर पालन करें	भंडारण सदैव पानी की ढ़की टंकी में करें
10	हरा चारा, घास इत्यादि का ज्यादा प्रयोग करे	धूप अथवा गर्म स्थान पर पषु न बांधें

11	नहर, तालाब में पषु का स्नान करें	केवल सूखा भूसा ही न खिलायें
12	पषु को सूखे के दौरान चरी न खिलावें ताकि एच0सी0एन0 विशाक्ता से बचा जा सके।	पषु को चरने के लिये छोड़कर न भेजें

बाढ़ आने पर पषु सुरक्षा एवं प्रबन्धन

क्रंम संख्या	क्या करें	क्या न करें
1	पषुओं को बच्चों सहित नाव द्वारा किसी ऊंचे स्थान पर सावधानीपूर्वक स्थानान्तरित करें	पषुओं का नाव से स्थानान्तरित करते समय उनका मुख पानी की ओर न करें
2	पषुओं को बिना बांधे रखें	पषुओं का बांधकर न रखें और न ही गले में कुछ बांधें
3	स्मय से चारे एवं दाने देने की व्यवस्था करें	मूक पषुओं को आहार देते समय गंदगी को साथ न आने देवे एवं समय से खाद्य वितरण की लापरवाही न आने दें
4	सथानान्तरण करने में लगी चोट का एन्टीसेप्टिक लोषन से साफ कर मलहम लगावें ताकि घाव में कीड़े न पड़ सकें	पषु को लगी चोट को गीला न होने दे अथवा कीड़े पड़कर घाव बड़ा हो जायेगा
5	पषुराहत षिविर पर ही समुचित मात्रा में राषन पानी तथा चारें को भी पहुंचा दें।	राहत षिविर पर सुरक्षा का प्रबंध करें और राषन भी गांव से लाकर न खिलायें
6	खाद्य सामग्री को पानी के स्तर से 04 फिट ऊपर रखने की व्यवस्था करें	भीगा खाद्य पदार्थ प्रयोग न करें अन्यथा विशाक्ता (एफलारोक्सीकोसिस) बीमारी पैदा हो जायेगी
7	पनी बढ़ने पर बिजली का कनेक्षन काट दें	विद्युत आपूर्ति काटना न भूले अथवा क्षति की संभावना बढ़ जायेगी
8	प्रकाष की वैचारित व्यवस्था करें ताकि सांप इत्यादि से बचाव करें	कैरोसीन चालित प्रकाष यंत्र लाना न भूलें पषु की नियमित देखभाल करें

बाढ़ जाने के पष्चात पषु सुरक्षा एवं प्रबंधन

क्रंम संख्या	क्या करें	क्या न करें
1	बढ़ के पानी को उतरने की षीघ्र व्यवस्था करें	पानी के उतरने में बाढ़/मेड़ को न बनावें
2	हरे चारे या घास जो भीगा न	पनी से भीगे घास चारे को न खिलावें अन्यथा

आपदा की स्थिति में पषुपालन का बचाव आवष्यक पहलू है

प्रदेष में प्रतिवर्श आने वाले बाढ़ की विपदा से बचाव की अत्यन्त आवष्यकता है। प्रतिवर्श 50 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है। पूर्व में बाढ़ आने वाले राहत देने पर प्राथमिकता दी जाती है और बाढ़, सूखा, अग्नि को देवी आपका माना जाता था प्रतिवर्श देष में बाढ़ से होने वाले नुकसान का 50 प्रतिषत उ0प्र0, बिहार एवं आसाम में ही होता है। देष का 12.5 भू–भाग बाढ़ से प्रतिवर्श प्रभावित होता है। वर्तमान तकनीकि युग में क्रांतिकारी बदलाव आया है और आज हम बाढ़ सूखा, इत्यादि आपदाओं की पूर्व सूचना प्राप्त कर ले रहे हैं, हमारे देष में मौसम की जानकारी देने हेतु अंतरिक्ष उपग्रह स्थापित किये है जो 24 घंटे पृथ्वी विषेश कर भारत पर नजर रखते हैं। इस सूचना से पूर्वानुमान लगाकर आपदा के बचाव के लिये तैयारी कर सकने में समर्थ हो जाते हैं जिससे क्षति न्यूनीकरण करना संभव हो पाता है। प्रत्येक आपदा से सर्वाधिक प्रभावित पषु, पक्षी ही होते हे। कृशि के साथ पषुपालन के रू‍प में ग्रामीणों की आय का साधन है। किसानों की परिवारित स्थिति पषुपालन की नियमित आय से समृद्ध होती है। गाय, भैंस, भेड, सुअर, घोडा, ऊंट का उपयोग दूध एव मांसं के उत्पादन के लिये होताह‍ै जो मानव खाद्य में प्रोटीन की उपलब्धता सुनिष्चित करते हैं। इनके नुकसान से किसान के नुकसान के साथ ही प्रदेष की समृद्धि पर विपरित प्रभाव पड़ता है।

अतःएव उपरोक्त विपरीत स्थिति से नुकसान व बचाव के लिये महत्वपूर्ण जानकारी आवष्यक जोकि तकनीकि आधारित हो तथा उसके प्रयोग एवं प्रबन्धन द्वारा क्षति को नियंत्रित किया जा सकता है। मानव की लापरवाही से मूक पषु की क्षति होती है जो किसान की रीढ़ होती है। प्रदेष में आपदा वाली दैवी आपदाओं से निम्न ही बहुतायत से होती है। 1 बाढ़ 2 सूखा 3 आग। बाढ़ की प्रभाव से बचने के लिये तैयारी को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। जो इस प्रकार है।

1. बाढ़ आने से पूर्व पषु सुरक्षा प्रबन्धन
2. बाढ़ के दौरान पषु सुरक्षा एवं प्रबन्धन
3. बाढ़ आने के पष्चात पषु सुरक्षा एवं प्रबन्धन

बाढ़ से पूर्व पषु सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु

क्रंम संख्या	क्या करें	क्या न करें

1	बाढ़ की संभावित पहुंच स्थल से ऊंचे स्थल की पषुओं के रख रखाव हेतु चयन करें जो नमी से मुक्त हो।	पषु षिविर के ऊंचे स्थल को खुला न छोड़ें तथा यदि वहां गड्ढ़ा या कुआं हो तो उसे खुला न रखे
2	पषु के हरे, सूखे चारे का भंडारण करें	भीगे हुये चारे का प्रयोग न करें
3	पषु के राषन का उचित मात्रा में भंडारण करें	राषन की मात्रा का निर्धारण कम न करें
4	पषु दाने तथा चारे का भंडारण ऊंचे एवं सूखे स्थान पर करें	भीगे दाने एवं चारे को सूखा कर प्रयोग न करें
5	पनी जो स्वच्छ हो का भण्डारण उचित मात्रा एवं स्वच्छता से करें	तलाब के गंदे पानी एवं घास को प्रयोग न करें
6	टीकारण हेतु वैक्सीन एवं औशधि का भंडारण करें	वैक्सीन का भंडारण छायेदार तथा ठण्डे स्थान पर करें तथा गर्म स्थान पर न करें
7	प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी करें	दुर्घटना की दषा में पषु चिकित्सक की सलाह लें।

(c) allocate funds for prevention of disaster, mitigation,capacity-building and preparedness,
(d) respond effectively and promptly to any threatening disaster situation or disaster in accordance with the State Plan, and in accordance with the guidelines or directions of the National Executive Committee and the State Executive Committee;
Responsibilities of departments of the State Government. (As per DM Act, 2005)
(e) review the enactments administered by it, its policies, rules and regulations with a view to incorporate therein the provisions necessary for prevention of disasters, mitigation or preparedness;
(f) provide assistance, as required, by the National Executive Committee, the State Executive Committee and District Authorities, for-
(i) drawing up mitigation, preparedness and response plans, capacity building, data collection and identification and training of personnel in relation to disaster management;
(ii) assessing the damage from any disaster;
(iii) carrying out rehabilitation and reconstruction;
(g) make provision for resources in consultation with the State Authority for the implementation of the District Plan by its authorities at the district level;
(h) make available its resources to the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authorities for the purposes of responding promptly and effectively to any disaster in the State, including measures for-
(i) providing emergency communication with a vulnerable or affected area;
(ii) transporting personnel and relief goods to and from the affected area;
(iii) providing evacuation, rescue, temporary shelter or other immediate relief;
(iv) carrying out evacuation of persons or live stock from an area of any threatening disaster situation or disaster;
(v) setting up temporary bridges, jetties and landing places;
(vi) providing drinking water essential provisions, healthcare and services in an affected area;
(i) Such other actions as may be necessary for disaster management.
Legislativback up for
Mainstreamirg
(DM (2005t ,AC
State Government shall take
measures for:
38. (1) Subject to the provisions of this Act, each State Government shall take all measures specified in the guidelines laid down by the National Authority and such further measures as it deems necessary or expedient, for the purpose of disaster management.
(2)The measures which the State Government may take under sub-section (1)include measures with respect to all or any of the following matters, namely:-
(a) coordination of actions of different departments of the Government of the State, the State Authoritv, District Authorities, local authority and other nongovernmental organisations;
(d) allocation of funds for measure-s for preventionof disaster, mitigation, capacity-building and preparedness by the departments of the Government of the State in accordance with the provisions of the State Plan and the District Plans;

State Government shall take measures for:
(e) ensure that the integration of measures for prevention of disaster or mitigation by the departments of the Government of the State in their development plans and projects;
(g) ensure the preparation of disaster management plans by different departments of the State in accordance with the guidelines laid down by the National Authority and the State Authority;
(i) ensure that different departments of the Government of the State and the District Authorities take appropriate preparedness measures;
(j) ensure that in a threatening disaster situation or disaster, the resources of different departments of the Government of the State are made available to the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authorities, as the case may be for the purposes of effective response, rescue and relief in any threatening disaster situation or disaster;
Responsibilities of departments of the State Government. (As per DM Act, 2005)
39. It shall be the responsibility of every department of the Government of a State to-
(a) take measures necessary for prevention of disasters, mitigation, preparedness and capacity building in accordance with the guidelines laid down by the National Authority and the State Authority,
(b) Integrate into its development plans and projects, the measures for prevention of disaster and mitigation;
Panchayati Raj
YUVA KALYAN/PRD/NYK/NCC
CIVIL DEFENCE
Sarva Shiksha Abhiyan
Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission
MGNREGS
Indira Awas Yojana
Key Steps
CHALLENGES
SDMAs and DDMAs not yet fully functional
Risk Assessments & where to integrate DM components is still unknown
What next after assessment
How do we reduce existing risk
On-going programmes still enhancing risk
How do we address vulnerability reduction through new projects.
Rigid guidelines on unit costs prevent approgal of incremental costs for incorporating safe features
Capacity of functionaries is not adequate to understand risk and address these through sectoral activities.
CHALLENGES
Mitigation still seen as DM Dept's job
Partnership with non-Government development partners
Governmnet alone cant ensure risk reduction; Local govts., NGO, Community, etc. play very important role
Weak legal provisions
Overcoming inadequate enforcement capacities
Dearth of professionals
Disaster management plan of departments of State. (As per DM Act, 2005)
40. (1) Every department of the State Government, in conformity with the guidelines laid down by the State Authority, shall-
(a) prepare a disaster management plan which shall lay down the following :-
(i) the type of disasters to which different parts of the State are vulnerable;
(ii) integration of strategies for the prevention of disaster or the mitigation of its effects or both with the development plans and programmes by the department;
(iii)The roles and responsibilities of the department of the State in the event of any threatening disaster situation or disaster and emergency support function it is required to perform;

(iv) present status of its preparedness to perform such roles or responsibilities or emergency support function under sub-clause (iii);
Disaster management plan of departments of State. (As per DM Act, 2005)
(v) the capacity-building and preparedness measures proposed to be put into effect in order to enable the Ministries or Departments of the Government of India to discharge their responsibilities under section 37;
(b) annually review and update the plan referred to in clause (a); and
(c) furnish a copy of the plan referred to in clause (a) or clause (b), as the case may be, to the State Authority.
(2) Every department of the State Government, while preparing the plan under subsection (1), shall make provisions for financing the activities specified therein.
(3) Every department of the State Government shall furnish an implementation status report to the State Executive Committee regarding the implementation of the disaster management plan referred to in sub-section (1)
Housing Rural and Urban
Techno Legal and Monitoring Actions required
Health Sectior
Education Section
RURAL DEVELOPMENT

समुदाय आधारित आपदा हेतु तैयारी एवं प्रबंधन

सत्र–3

दूसरा दिन : छोटे समूह में चर्चा

उद्देष्य :–

- लोगों को आपदा से निबटने हेतु तैयार करना
- जान–माल की क्षति कम करने में मदद करना
- बचाव एवं राहत कार्य षीघ्र किए जा सके
- अवष्यकतानुसार पुनर्वास कार्य किए जा सके
- समुदाय के सषक्तिकरण हेतु
- समुदाय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सही रूप में उपयोग
- बाहरी सहायता के सही उपयोगिता हेतु प्रबंधन

समय :

समुदाय आधारित आपदा पूर्व तैयारी एवं प्रबंधन प्रषिक्षण सत्र 3 घण्टे चलेगा और हर एक घण्टे पर पाँच मिनट का ब्रेक दें।
माध्यम :

समूह चर्चा/विष्लेशण

प्रस्तुतिकरण

सहभागी ग्रामीण आंकलन द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं :–

- समस्या चिन्हित करना
- समस्या चिन्हित करने के पष्चात उसके निदान एवं संसाधन जिसका इस्तेमाल किया जाएगा उनको चिन्हित करना। सारे सुझाव एवं समस्या के संसाधन स्थानीय लोगों के बची से ही आना चाहिए।

समुदाय सुरक्षा
:
समुदाय क्यों? समुदाय की सुरक्षा एवं बचाव हेतु हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि समुदाय से अभिप्राय है एक स्थान का जहाँ लोगों का एक समूह रहता है एक दूसरे के लिए।

3– षिक्षा कार्यक्रमों में बाधा

4– स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बाधा
5– महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं में बाधा

भौतिक

1– ढांचागत संसाधनों का नुकसान जैसे–बिजली, पानी, स्वच्छता, यातायात प्रणाली।
2– हाउसिंग
3– महत्वपूर्ण सुविधाएं जैसे अस्पताल, क्लीनिक, पुलिस और सरकारी विभाग।

आर्थिक

1– कृशि क्षेत्र–छोटे एवं बड़े किसान
2– पषु पालन–एनीमल हसबेन्डी, उद्यान, र्प्यटन, मत्स्य पालन और उद्योग।

खतरा कम करने वाले क्रियाकलाप (Risk Reducing Activities)

रिस्क प्रबन्धन प्रक्रिया में दो बातें होती हैं–

1– खतरा कम करने वाले क्रियाकलापों की पहिचान करें
2– उनको लागू करें।

खतरे को कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। खतरा निवारण में खतरा प्रबन्धन जीवन का एक प्रमुख भाग है। इसके दो पहलू हैं:–

1– तकनीकी पहलू
2– आर्थिक पहलू

तकनीकी पहलू जैसे–

1– किसी खतरा क्षेत्र से बाहर निकल जाना–खतरों से बचाव करने के लिए हे सकता है हमें भवन आदि को समस्या ग्रस्त क्षेत्र से बाहर स्थापित करें। उद्योंगों को हम दूसरे क्षेत्र में ले जायें खतरे से दूर के क्षेत्रों में व्यवसाय अथवा निर्माण हेतु छूट अथवा कम लागत पर सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
2– बचाव करना–प्राकृतिक घटनाएं जैसे–मौसम का विकृत होना, भूकम्प आना, बाढ़, सूखे का आना आदि को रोका नहीं जा सकता लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है कम करने हेतु तैयारी की जा सकती है जैसे–1–जल निकासी की ठोस व्यवस्था, पानी को रोकने अथवा दिषा बदलने की व्यवस्था, भाग लेने वाले लोगों की उपयुक्त षिक्षण एवं प्रषिक्षण तथा उपयुक्त तरीकों को लागू करने एवं कायम रखने हेतु सुविधाएं बिल्डिंग कोड को स्थापित करना एवं प्रस्तुत करना, भूजल निकासी हेतु नियम बनाना तथा लागू करना।

3– रिस्क से होने वाली क्षति को कम करना–इसमें बहुत से तरीके काम में लाए जाते हैं। जैसे–
1– पूर्व तैयारी (Preparedness/Contingency Planning)
2– न्यूनीकरण (अभियान्त्रिकी समाधान या मिटिगेषन)

आत्मीयता की भावना होती है और समुदाय की षांति एवं समृद्धि एकजुटता के लिए प्रयासरत होते है। इसी प्रयास को समुदाय के रू‍प में देखा जा रहा है।

समुदाय सुरक्षा योजना क्या है? [Community Based Disaster Risk Reduction Plan]

गाँव के परिवेष में विभिन्न समुदायों के बीच काफी भिन्नता होती है। समुदाय एक दूसरे से जाति, समुदाय, आर्थिक एवं भौगोलिक आधार पर भिन्न होते हैं। समुदाय सुरक्षा योजना इन भिन्नता के बावजूद पूरे समुदाय को एक मानते हुए उन्हें यह प्रषिक्षण देना है। इस प्रषिक्षण के पष्चात यह आषा की जाति है कि विशम परिस्थितियों में समुदाय के लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे।
हर गाँव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपदा के समय में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इन स्वयंसेवकों की पहचान कर समुदाय की योजना बनाने से पूर्व कर लेनी चाहिए। सभी गाँव वासी आपदा से निपटने के हेतु स्थानीय विकल्पों का उपयोग कर अपनी नीति निर्धारित करते हैं एवं तरीके लगाते है इन स्थानीय कौषल एवं ज्ञान का समुदाय की योजना में समावेस होना चाहिए।

योजना कौन बनाएगा?

योजना समुदाय के लोग बनाएगे एवं कार्यान्वित करेगें। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु एक छोटे टीम का गठन करना चाहिए जिसमें गाँव/वार्ड के चयनित प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाएँ कुछ नवयुवक एवं कुछ गाँव के वृद्ध व्यक्ति। इस कार्यक्रम में लोगों की बातें, उनके सुझाव एवं अनुभवों की बहुत महत्त्व है और इन्हीं के आधार समुदाय आधारित ग्राम योजना बनेगी।

सलाहकार समिति

- सरकारी पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी
- स्थानीय गैर सरकारी संस्थाएँ
- गाँव के मुखिया
- अनुमंडल विकास पदाधिकारी एवं गाँव के कार्यकर्त्ता
- चयनित प्रतिनिधि मुखिया वार्ड सदस्य पंचायत समिति के प्रमुख
- सहकारिता समितियों के सदस्य
- गाँव के वृद्ध एवं अनुभवी लोग
- गाँव के छोटे–छोटे समूह

समुदाय की विषेशता :–

- एकजुटता आपसी सदभावना एवं सहायता की सोच
- अनुभव एवं ज्ञान
- क्षमता एवं दक्षता
-

श्रोल प्ले–एक (1) घंटा

1– पहले एक समूह, जिसमें दस सदस्य होगें, गाँव में होने वाली आपदा की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी आयेंगे और योजना की तैयारी में अपना योगदान देगें। वे सभी की जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे। वे वित्तिय सहायता पर भी चर्चा करेंगे।
2– एक दूसरे समूह में समूह गाँव का सामाजिक चित्रण करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी आकर गाँव की समस्या पूछेंगे और वहाँ क्या–क्या सुविधाएँ उपलब्ध है इस पर चर्चा करेंगे। एक लिखित फॉरमेट के अनुसार सभी की भूमिका एवं जिम्मेदारी तय की जाएगी। सभी सदस्यों में जिम्मेदारी बाँट दी जाएगी।

चर्चा के दौरान, दर्षकों से प्रष्न :–

- पहले समूह में प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका?
- दूसरों समूह में प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका?
- दोनों समूह में सदस्यों की मानसिक स्थिति कैसी थी?
- दोनों प्र.वि.पदा. योजना बनाने की प्रक्रिया अपनाने में क्या भिन्नता दिखाई?
- किस प्रकार की योजना बनाने की प्रक्रिया आम जीवन में ज्यादा सही और सफल सिद्ध होगी?
- येाजना बनाने से क्या लाभ होगा?
- आपदा प्रबंधन की योजना बनाने की कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
-

समुदाय की मौलिक जरूरते :–

- गाँव में सभी सुविधाएँ
- सार्वजनिक संस्थान जैसे स्कूल, युवां क्लब, पुस्ताकलय, मंदिर
- विकास की योजनाएँ कार्यन्वित करने की क्षमता
- योजना निर्माण सही रू‍प से हो सके, इसके लिए निम्न विगंय पर चर्चा होनी चाहिए–

आपदा पूर्व तैयारी हेतु :–

- पिछले साल की आपदाओं में समुदाय की भूमिका
- गाँव के सामाजिक चित्रण का विषलेशण
- गाँव के आपदा चित्रण का विषलेशण। आपदा प्रबंधन एवं जोखिम चित्रण की तैयारी पर चर्चा हाकनी चाहिए।
- गाँव के कौन से हिस्से कि आपदाओं से प्रभावित होगें।

- आपदा पूर्व तैयारी क्या होगी एवं संचार माध्यम कैसा होगा।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु क्या निरोधात्मक कार्यवाही की जानी जाएगी?
- स्वयं सेवकों की पहचान एव ंदल का गठन
- आपदा पूर्व मौलिक जरूरतों की वस्तुएँ जैसे पेयजल, सुखा भोजन, दवाईयाँ इत्यादि का भण्डारण
- लोगो के बीच में जागरूकता
- लोगों में अनुषासन
- मौलिक जरूरतों का आंकलन
- स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ाई/षिक्षा
- सूचना एकत्रित करना एवं आपदा के लिए पूर्व तैसरी
- स्थानीय गैर–सरकारी संस्थानों से संपर्क एवं मदद
- सरकारी प्रयासों के बारे की सुरक्षा

आपदा के दौरान

- क्षति आंकलन
- बचाव कार्य
- जख्मी लोगों का उपचार
- प्रभावित लोगों का पुर्नवास
- भोजन एवं चारे की व्यवस्था
- सहायय कैम्प की व्यवस्था एवं प्रभावित लोगों को वहाँ पहुँचाना
- आवष्यक वस्तुओं का वितरण–जैसे भोजन, पेयजल, कपड़े, बर्तन इत्यादि
- लोगों को खतरे से अवगत कराना
- सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के बीच समन्वय
- गैर कानूनी एवं अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं गष्ती
-

आपदा के उपरान्त

- क्षति आंकलन तुरंत करना
- आवष्यकता आंकलन
- प्रभावित घरों की मरम्मति एवं पुर्नस्थापना
- आर्थिक पुर्नस्थापना
- बीमा राषि–फसल एवं जान/माल सुनिष्चित करना
- बीज एवं रूपानी के लिए भण्डारण कराना
- फसल की क्षति आंकलन, एवं क्षेत्र
- क्षतिग्रस्त सड़कों पुल/पुलिया/रेल लाइन की मरमत्ति
- विकास के लिए कार्य
- आपदा के प्रभाव पर लोगों की चर्चा की जानकारी एवं जागरूकता
  ठण्ड के सभी मुद्दों पर परिचर्चा उपरान्त कार्यदल आने वाली आपदा के लिए ज्यादा तैयार एवं प्रस्तुत हो सकते है। कुछ और मुद्दे जिन पर चर्चा की जा सकती है :–
- पूर्व की आपदास्थिति में सहायक पुर्नवास के लिए क्या प्रतिक्रिया अपनाई गई?
- विभिन्न कार्यदलों का गठन तथा उनकी जिम्मेदारी
- पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना के कार्यक्रम
- लोगों की जागरूकता के लिए निम्न कार्यक्रम किए जा सकते हैं
- कला जत्था द्वारा आपदा जागरूकता कार्यक्रम
- आपदा के लिए प्रषिक्षण षिविर
- आपदा के लिए पुर्व तैयारी में निम्न विश्यों पर ग्राम सभा में चर्चा की जा सकती है
- गाँव/पंचायत की भूगौलिक स्थिति
- मौसम का पूर्व–अनुमान वर्शा, पानी का स्मर इत्यादि
- आपदा इतिहास एवं पूर्व में हुई क्षति का आंकलन
- जनसंख्या–महिला/पुरूश/बच्चे एवं वृद्ध

- लोगों का रहन–सहन
- आमदनी के श्रोत एवं जीविकोपार्जनक के तरीके
- घरों की स्थिति
- सुरक्षित स्थान एवं उनकी स्थिति एवं संख्या
- संचार व्यवस्था सड़क– गाँव/मुख्य सड़क/की स्थिति
- वहनों की संख्या–कार/जीप/ट्रैक्टर/मोटर साइकिल/नाव इत्यादि
- किस प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं।
- तटबन्धों की स्थिति
- स्वास्थ्य सुविधाएँ
- लेगों की जानकारी, वैकल्पिक व्यवस्थाएं एवं स्थानीय ज्ञान

सूचना संग्रह

बाढ़ पूर्व :–

- क्या बाढ़ की चेतावनी दी जाती है? अगर हाँ तो किस प्रकार
- सूचना किस समय मिलती है?
- सूचना मिलने के बाद लोग क्या करते हैं?
- किस प्रकार के बचाव एवं रोकथाम की गतिविधियाँ की जाती है?
- समुदाय किस प्रकार जानमाल की सुरक्षा करती है?
- किस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है?

बाढ़ के दौरान

- बाढ़ दौरान क्या हुआ?
- लोग इस दौरान कहाँ थे और क्या कर रहे थे?
- सूचना स्थान कहाँ और कितने है?

आपदा उपरान्त :–

- बाढ़/आपदा उपरान्त लोग क्या करते हैं?
- कितने लोगों की मृत्यु हुई और जान–माल की क्षति हुई?
- सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए और क्यों?
- किस प्रकार के मदद की आवष्यकता पड़ी?
- किन लोगों की सहायता की गई?
- किस प्रकार समस्याओं का हल निकाला गया?

इन सवालों पर चर्चा के माध्यम से पिछली आपदा की जानकारी के माध्यम से सीख बनेगी तथा आगे क्या प्रयास होने चाहिए इस पर सोच विकसित हो सकेगी।

गाँव का सामाजिक चित्रण

किनके द्वारा तैयार किया जाएगा :–समुदाय, महिलाएँ, वार्ड सदस्य, मुखिया एवं अन्य सरकारी पदाधिकारी। निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा :–

- गाँव का नाम :–
- भूगौलिक स्थिति :–
- जनसंख्या :–
- गाँव के सार्वजनिक स्थान/स्थल–स्कूल, अस्पताल, आँगनवाड़ी केन्द्र, थाना, मुख्य मार्ग, इत्यादि।
- गाँव के कमजोर एवं मजबूत पक्ष
- ऊँचे स्थल
- नदी, नाले
- दूभाश सुविधा
- पक्की सड़क से दूरी
- पक्की/खपरैल एवं पक्के मकान
- थाना, प्रखण्ड कार्यालय एवं स्वास्थ्य सेन्टर से दूरी

जनसंख्या विवरणी

- परिवारों की संख्या
- बीमार, विकलांग लोगों की संख्या
- बच्चे, गर्भवती महिलाएँ एवं दूध पिलाती माताओं की संख्या

गाँव के संसाधन

- खेत
- जंगल
- पानी के श्रोत
- जीविका के साधन
- नाव की संख्या
- गाँव में भण्डारण की व्यवस्था

मनचित्रीकरण का उद्देष्य :–

नाजुकता मानचित्रीकरण का प्रमुख उद्देष्य है, कि खतरे कई प्रकार के वस्तु पर होते है जिससे आधारभूत संरचना, आवास पषु व रोजगार, कृशि व मानव आदि प्रभावित होते है। सम्पत्तियों की पहचान कर पूर्व तैयारी से प्रबन्धन कर नाजुकता को क्षमता में परिवर्तित किया जा सके और कार्यदल के पास एक खाका मौजूद रहे।

क्यों?

नजुकता मानचित्रण से पता चलता है कि गाँव में आपदा के समय सबसे ज्यादा कौन सी सम्पत्ति किस कारण से प्रभावित होती है? जिसकी पहचान इस मानचित्र से होता है।

मानचित्र बनाने की प्रक्रिया :–

सार्वजनिक स्थान की चयन।
सभी टोले के सदस्य महिला व पुरूश (2–3 बराबर की मात्रा) को पूर्व सूचना से उपस्थिति सुनिष्चित कराना।
सार्वजनिक बैठक का आयोजन।
अनुभवी व बुजुर्ग लोगों की सहायता लेना व उनके सुगमकर्ता के रोल में कार्य करना।
इस मानचित्र के निर्माण के समय जर्जर संसाधन को चिन्हित करना।

सम्बन्धित प्रष्न :–

नाजुकता से आप क्या समझते हैं?
क्या आपके गाँव में (बेस लाइन सर्वे/परिवार कार्ड से मिले डाटा) समस्त 0–5 वर्श के बच्चों का टीकाकरण हुआ है?
सम्पूर्ण टीका करण न होने का क्या कारण है?
क्या आपके गाँव में 6–14 (बेस लाइन सर्वे/परिवार कार्ड से मिले डाटा) के बच्चे पढ़ने जाते है?
आपके गाँव में जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं उसका क्या कारण है?
आपके गाँव में अधिक दिन से बिमार लोग कौन–कौन है?
आपके गाँव में वृद्ध व्यक्ति कौन–कौन से है?
गाँव में जो वृद्ध व्यक्ति है क्या रोगी पेन्षन योजना के अर्न्तगत आते हैं?
क्या सभी वृद्ध व्यक्ति को पेन्षन योजना का लाभ मिल रहा है?
आपके गाँव में विकलांग कितने हैं (बेस लाइन सर्वे/परिवार कार्ड से मिले डाटा)?
विकलांगों में महिला व पुरूश की संख्या कितनी है?
क्या समस्त विकलांगों के विकलांगता कारण एक ही है?
क्या समस्त विकलांग का प्रमाण पत्र बना है?
क्या समस्त विकलांग पेन्षन योजना के दायरे में आते हैं?
क्या विकलांगों को विकलांग पेन्षन योजना मिलती है?
थ्वकलांग को पेन्षन योजना नहीं मिलती है इसका कारण क्या है?
आपके गाँव में एकल महिला कितनी है?
एकल महिला का जीवन यापर कैसे होता है?
गाँव में कितने ऐसे लोग है जिनको अपने रिष्तेदारों से अधिक मदद मिलती है?

गाँव की आपदा चित्रण

- पूर्णतः प्रभावित क्षेत्र
- पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने वाले घर
- तटबन्ध के कमजातर बिन्दु, जहाँ से तटबन्ध टूट सकता है

- क्षेत्र जो पूर्णतः जलमग्न हो सकते हैं
- क्षेत्र जो मुख्य सड़क से बिल्कुल कट जाएगें (डंतबतदमक)
- गाँव को प्रभावित करने वाले सभी आपदाओं का विवरण

इन नक्षे पर निम्न की चिन्हित करना चाहिए :–

- नदी, नाले
- बाढ़ आने की दिषा, पानी का बहाव
- सार्वजनिक स्थान
- भण्डारण घर, बिजली ट्रान्सफारमर, अन्य सुविधाएँ
- खेत एवं अनुपजाऊ जमीन
- ऐसे घर, जो निचले इलाके में अवस्थित हैं

प्रभावित होने वाले लोग :–

- बूढ़े एवं विकलांग व्यक्ति
- बच्चे, महिलाएँ एवं गर्भवती महिलाएँ
- रोगी
- विधवा एवं अकेली महिलाएँ
- नदी के पास रहने वाले लोग
- फूस के घरों में रहने वाले लोग
- गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोग

अन्य वस्तुएँ जो जोखिम में हो सकती हैं :–

- पषु धन
- जरूरी कागजाम
- कमजोर घर
- जीविका के साधन–जाल, कीघा, पम्पसेट इत्यादि
- फसल, साग–सब्जि
- खेत
- पेयजल के श्रोत
- कमजोर पुलिया, तटबन्ध इत्यादि

सुरक्षित स्थान चिन्हित कर उसमें कितने लो षरण ले सकते हैं चिन्हित करें।

कार्यदल का गठन :–

एक सक्रिय कार्यदल का गठन किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न वर्ग के लोग होंगे। इस दल में जिम्मेदार, सक्षम महिला, पुरूश एवं युवा सम्मिलित हो सकते हैं। आगंनवाड़ी सेविका, वार्ड सदस्य एवं षिक्षित वर्ग भी इसके सदस्य हो सकते हैं। एक कार्यदल में 5–10 सदस्य होने चाहिए।

समुदाय आधारित आपदा प्रबन्ध की आवष्यकता एवं उपयोगिता

स्मुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन एक प्रक्रिया है जिसमें खतरे वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिन्हें प्रथम प्रत्युत्तरदाता कहते हैं को सक्रिय रूप से खतरा पहचानना, विष्लेशण करना, निवारण करना अनुश्रवण व मूल्यांकन के क्षेत्रों में षामिल किया जाता है। जिससे कि उनकी क्षमताएं बढ़ जायें व नाजुकुताएं घट जाएं।

भारत में प्राकृतिक आपदाओं की व्यापकता एवं भयानकता को देखते हुए राश्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबन्ध सोच को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। समुदाय आधारित आपदा रिस्क प्रबन्धन को स्थापित करने का अर्थ है, इसके मुख्य बिन्दुओं को समुदाय द्वारा ठीक से समझना तथा सरकार के नियोजन एवं नीति निर्धारण प्रक्रिया में हर स्तर पर इसको षामिल कर अर्थात विकास की मुख्य धारा में जोड़ना।

आज हम सभी लोग यह मानने पर मजबूर हो गय हैं कि विकास की अनसुलझी समस्याएं ही आपदा को जन्म देती हैं। समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन स्थायित्व को प्रोत्साहित करता है जिसमें खतरों का आंकलन व मूल्यांकन करके विकास कार्य करते समय खतरा कम करने वाले समाधान जोड़े जायें। इस पूरे प्रयास में प्रभावित लोगों, जन समुदाय की सहभागिता का उच्च स्तर का होना जरूरी है।

विकासषील देषों में जब कभी दैवीय प्रकोप होता है तो वहां के लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, आंकड़े यह बताते है कि पूरी दुनिया में आपदा से जो मौत होती है उसका 95 प्रतिषत विकासषील देषों में होता है। इसी प्रकार विकसित देषों की तुलना में विकासषील देषों में किसी भी आपदा के कारण 20 गुना ज्यादा आर्थिक क्षति होती है। जी0डी0पी0 के प्रतिषत के आधार पर भीशण प्रकोप के

कारणजमीन की उत्पाद कता, भवनों/इमारतों की नाजुकता तथा प्रभावी तौर पर समुदाय की सामना करने की क्षमता घट जाती है और तकलीफें बढ़ जाती हैं। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं का आपदा के रूप धारण कर लेती हैं।

गरीबों की स्थिति :–

गरीब लोग जो नदियों के किनारे और खतरनाक जगहों पर अपनी समस्याओं से लड़ रहे होत हैं तथा बहुत ही कमजोर भवनों में गुजारा करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से कुपोशित और खराब स्वास्थय के षिकर भी होंगे और जब कभी आपदाएं आती हैं तो इनकी तकलीफें और भी बढ़ जाती हैं और गरीबी से निकलना अत्यन्त मुष्किल लगता है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिश्ठानों की भी कमी होती है तथा नये व्यवसाय लगाने से लोग झिझकते हैं। आपदा से रानैतिक अस्थिरता तथा आरोप प्रत्यारोप बढ़ते हैं। यह कहा जाता है कि प्रभावित लोगों को मदद नहीं मिला और सरकार की तैयारी पर्याप्त नहीं थी।

प्राथमिकता के आधार पर तीन क्षेत्रों में खतरे के लिये विचार कर सकते हैं।
सम्भावित खतरे :–

सामाजिक
1– मृत्यु होना
2– चोट लगना
तथा एक जिम्मेदार व्यक्ति को उस दल की प्रबंधन होना चाहिए। सीाी की जिम्मेदारी पूर्व में सुनिष्चित कर दी जानी चाहिए। ये कार्यदल निम्न हो सकते हैंः–

- सूचना प्रसारण कमिटि
- स्वास्थय एवं स्वछता कमिटि
- क्षमि आंकलन कमिटि
- सहायता प्रबन्ध कमिटि

घर के स्तर पर तैयारी

घर के स्तर पर आपदा के लिए पूर्व तैयारी निम्न गतिविधियाँ करनी चाहिए :–

आपदा पूर्व :–

- अपने क्षेत्र में होने वाली सभी आपदाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पानी बढ़ने पर स्तर कहाँ पर देखा जाना है इसकी जानकारी।
- अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए मौलिक जरूरतों का भण्डारण रेडियो, टार्च, डिबिया, दवा इत्यादि
- दो सप्ताह तक के लिए सूखे भोजन तथा पेयजल की व्यवस्था
- पालिथीन, नाक, रस्सी, किरासन तूल का इन्तजात
- सभी मूल्यवान वस्तुओं एवं कागजात को पानी से बचाने के उपाय करना आपदा से 24–28 घण्टे पहले
- सुरक्षित स्थान पर चले जाना
- सुरक्षित स्थान पर सभी जरूरतों की व्यवस्था
- कार्यदल के सदस्यों अथवा सरकारी पदाधिकारियों के संपर्क में रहना
- निर्देषों का पालन करना

आपदा दौरान (24 घण्टे)

- चौकसी रहना
- सूचना प्राप्त करने के प्रयास करना–रेडियो हो तो उसे सुनना
- एक दूसरे की सहायता करना
- समुदाय के साथ आपदा का सामना करना
- अगर परिजनों से बिछडने का भय हो तो पूर्व से दो स्थानों का चयन कर आपस में तय करना
- एक सुरक्षित स्थान जो घर के करीब हो
- दूसरा सुरक्षित स्थान जो गाँव की सीमा में हो

समुदायिक सहभागिता :–

आपदा प्रबंधन मं समुदायिक सहभागिता बहुत महत्त्व रखती है। आपसी समन्व्य स्थापित रहने से एक दूसरे की मदद हो पाती है। गाँव के विकास तथा आपदा से बचाव के लिए विकास के कार्यक्रत कैसे होगे यह सुनिष्चित किया जा सकता है। आपसी सहयोग से समुदाय की आपसी आपदा राहत कोश भी षुरू की जा सकती है। पूर्व अभ्यास कर बेहतर तैयारी हो सकती है।

कार्यदल की जिम्मेदारी

- क्या गाँव में मेडवाइफ है?
- क्या गाँव में पोखरा है?
- गाँव में तालाब है?
- क्या गाँव में बोरिंग है?
- क्या गाँव सरकारी सिंचाई का साधन है?
- गाँव कुल कितने वार्ड है व उसके सदस्य कौन–कौन है?
- क्या गाँव में कोई रसोईया है?
- क्या गाँव में कोई धर्मगुरू है?
- क्या गाँव मे कास्मेटिक की दुकान है?
- क्या गाँव में नव युवक मंगलदल/महिला दल है?
- गाँव में स्वयं सहायता समूह है?

नाजुकता/निसहाय मानचित्रण (Vulnerabilty Mapping) :

नाजुकता/निसहायता :–वलनरेबिलिटी (Vulnerabilty) :

- नाजुकता वह स्थिति होती है जिसमें कि प्रकोपीय घटना में समुदाय की प्रत्युत्तर देने की क्षमता कम रहती है। जैसे कि यदि एक समुदाय में सारे मकान झोपड़ी हो तो आंधी के आने पर उस समुदाय के मकान नाजुकता माने जायेंगे जबकि भूकंप से नाजुक नहीं होंगे।
- नाजुकता तीन प्रकार की होती है :–
- भौतिक नाजुकता
- समाजिक नाजुकता
- एटीटयूडनल नाजुकता

क्षमता–कैपेसिटी

- क्षमता को आपदा प्रबन्धन में स्थानीय एवं अर्न्तराश्ट्रीय दोनों एजेन्सियों द्वारा स्थान दिया गया जो कि नाजुक समुदाय के साथ कार्य करती है तथा आपदा को विकास के साथ जोडकर देखती है।
- जैसा कि हम जानते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में आपदाग्रस्त लोगों के पास क्षमता होती है जिसके उपयोग में आपदा प्रत्युत्तर तथा क्षतिपूर्ति के लिये के करते हैं। यह उन्हीं को प्रभावित करती है जिनकी क्षमता सीमित होत है। तथा फिर यह विचारणीय प्रष्न है कि आपदा को कैसे कम करें?
- इसका उत्तर है क्षमता वृद्धि, क्योंकिं यही एक ऐसा अस्त्र है जो आपदा की भयावहता को कम कर सकता है।

  अर्थात्

  $$\text{आपदा} = (\text{प्रकोप} \times \text{नाजुकता}) / \text{क्षमता}$$

  उपर्युक्त सूत्र से पता चलता है कि प्रकोप की तीव्रता कितनी भी अधिक हो तो यदि समुदाय की क्षमता बढ़ा दिया जाये तो आपदा का प्रभाव कम हो सकता है।
  कई बार ऐसा देखा जाता है बाढ़, सूखा जैसी आपदा में जिनका घर आदि नश्ट हो जाता है तो वे कभी–कभी बीमा के माध्यम से वे अपनी क्षतिपूर्ति करते हैं जबकि कुछ लोग अपने कौषल के द्वारा, तथा कुछ लोग रोजगार के माध्यम से क्षतिपूर्ति करते हैं।

सम्बन्धित प्रष्न :–

- संसाधन से आप क्या समझते हैं?
- सबसे पहला संसाधन गाँव का कौन है?
- गाँव में सार्वजनिक संसाधन क्या–क्या है जिससे गाँव के सभी लोग लाभान्वित होते हैं?
- गाँव का व्यक्गित संसाधन क्या–क्या है?
- गाँव का कृशिगत संसाधन क्या–क्या है?
- गाँव में जिससे घरों में पैसा कौन–कौन से संसाधन के उपयोग से आता है?
- गाँव का आर्थिक लाभ किस–किस से होता है?
- गाँव के गुणवत्तापरक लोग कौन–कौन से होता है?
- गाँव के गुणवत्तापरक लोग कौन–कोन है जिनके अन्दर कुछ हुनर है?
- गाँव में सिंचाई हेतु क्या संसाधन है?

- गाँव में जहाँ खेती नहीं होती वह कितने एकड़ भूमि है?
- गाँव के लोग सामान्य जरूरत का सामान कहाँ से खरीदते है?
- गाँव के लाग दवा कहाँ से खरीदते हैं?
- क्या गाँव में आटा पीसाने व चावल कुटने हेतु फलोर मिल है?
- क्या गाँव में कोई डाक्टर है?
- गाँव के लाग अनाज कहाँ से खरीदते है?
- गाँव के लोग पैसा कहाँ बचत करते हैं?
- गाँव के लोग अनाज कहाँ से खरीदते है?
- गाँव के लोग पैसा कहाँ बचत करते हैं?
- गाँव के लोग बच्चों के लिए पढ़ाई हेतु समान कहाँ से खरीदते हैं?
- क्या गाँव में कोई नाव है?
- क्या गाँव में बिजली है?
- क्या गाँव में जनरेटर है?
- क्या गाँव में टी0वी0/रेडियो है?
- क्या गाँव में सार्वजनिक पी0सी0ओ0 है?
- क्या गाँव में व्यक्तिगत लैड लाइन फोन/मोबाइल है?
- गाँव के लोग किस पर खाना पकाते हैं?
- गाँव के लोग सामान ढुलाई किससे करते हैं?
- गाँव के लोग खेती की कटाई, जोताई व बोआई कैसे करते हैं?
- क्या गाँव में ऐसी कोई दुकान है जिससे उसकी सामग्री किसे से षादी विवाह में उपयोग होती है?
- क्या गाँव में पत्रकार है?
- क्या गाँव में वकील है?
- क्या गाँव में धर्मगुरू है जिनकी बातें अधिक लोग मानते हैं?
- क्या गाँव में कोई कब्रगा है?
- क्या गाँव में राजगीर मिस्त्री है?
- क्या गाँव में बढ़ई है?
- क्या गाँव में अध्यापक हैं?
- क्या गाँव में अनाज गोदाम है?
- गाँव में सरकारी कोटे की दुकान?
- आंगनवाड़ी भवन?
- सिकरेटरी कार्यालय?
- ए0एन0एम0 सेन्टर?

समाजिक मानचित्रीकरण का विवरण प्राप्त हेतु फारगेट :–

क्रम संख्या	परिवार के मुखिया का नाम	मनचित्र में प्रदर्षित मकान का चिन्ह	थ्नवास–टोले स्तर पर	सार्वजनिक सम्पत्ति का विवरण	सार्वजनिक सम्पत्तियों की संख्या

गाँव से प्राप्त सामाजिक विवरण :–

क्रम संख्या	जाति का विवरण	टोले की दिषा	संख्या परिवार स्तर	किये जा रहे कार्य
1	कुम्हार	दक्षिण	35	मिट्टी का बर्तन बनाना, खेती व मूर्त्ति बनाना
2	साहू	पष्चिम	35	खेती

3	चौपाल	दक्षिण	35	बहर नौकरी व खेती
4	मुस्लिम	गाँव के मध्य में	10	पेन्टर बाहर नौकरी व खेती
5	बरवो	गाँव के मध्य में	4	चूड़ी बेचना
6	ब्राहमण	दक्षिण	25	बहर नौकरी व खेती व सरकारी नौकरी
7	पासवान	उत्तर–दक्षिण	80	बटाई खेती, खेती, मजदूरी, ष्पुपालन
8	बढ़ई	पष्चिम	20	बटाई खेती, खेती, मजदूर, ष्पुपालन
9	यादव	उत्तर	10	रिक्षा, बाहर नौकरी, पषु पालन, खेली, बठाई खेती, षिक्षा का कार्य।
10	नाउ/हजाम	उत्तर	10	बहर नौकरी, पषु पालन, खेती, बटाई खेती, षिक्षा का कार्य बल काटना।

संसाधन मानचित्र

क्यों–किया ?

- स्ंसाधन मानचित्रण से समुदाय को यह जानकारी होगी कि गाँव में क्या–क्या संसाधन है जो उपयोगी है और किस जगह है। समुदाय गाँव में निवास करते हुए भी संसाधन की सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं होता अतः यह मानचित्र एक आईना की तरह काम करेगा।

प्रक्रिया :–

- सार्वजनिक स्थान का चयन।
- सभी टोले के सदस्य महिला व पुरूश को पूर्व सूचना से उपस्थिति सुनिष्चित कराना।
- सार्वजनिक बैठक का आयोजन।
- अनुभवी व बुजुर्ग लोगों की सहायता लेना व उनके साथ सुगमकर्ता के रोल में कार्य करना।
- इस मानचित्रीकरण के दौरान दिषा व दूरी का ध्यान रखें।

सामाजिक मानचित्रण

क्यों किया ?

समाजिक मानचित्रण से गाँव के भौगोलिक स्थिति की जानकारी होती है, इसके लिए गाँव के प्रत्येक टोले के सदस्य की उपस्थिति सुनिष्चित कराई जाती है, ताकि मानचित्रीकरण के दौरान किसी सदस्य का घर या अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति इस मानचित्र में दर्षाने से न छूटे।

प्रक्रिया :–

- ग्राम पंचायत की जनसंख्या व निवास करने वाले जातियों की पूर्णरूपेण जानकारी करना।
- समुदाय से सम्पर्क व विशय विषेश पर चर्चा व समुदाय को स्पश्टीकरण।
- सार्वजनिक स्थान का चयन स्थान समतल हो।
- सभी टोले के सदस्य महिला व पुरूश को पूर्व सूचना से उपस्थिति सुनिष्चित कराना।
- मानचित्रीकरण करते समय सभी टोले के बराबर–बराबर महिला व पुरूश होना अनिवार्य है।
- पंचायती राज समिति के प्रधान व अन्य सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना देना।
- लेखपाल व सिकरेटरी को 7 दिन पूर्व सूचना देना।
- ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के द्वारा मानचित्र का बनवाने की प्रक्रिया करना।
- मानचित्र को जमीन पर बनने के बाद चार्ट पेपर पर व ए4 साइज पर उतारना अनिवार्य है।

सामग्री :–

आटा, चावल, अबीर या रंगी हुई भूसी, गिट्टी का टुकड़ा आदि।

परिणाम :–

- गाँव में निवास करने वाले टोले स्तर पर जातियों की जानकारी।

- गाँव के टोले व दिषा।
- गाँव में पक्की सीमेंट की मकान एक मंजीला/दो मंजीला की संख्या।
- गाँव में कच्चे मकान की संख्या।
- गाँव में झोपड़ी की संख्या।
- गाँव की बनावट।
- गाँव में रास्ते।
- स्कूल प्राइवेट/सरकारी।
- मध्यमिक विद्यालय।
- मंदिर।
- सरकारी नल।
- कुआँ।
- पोखरा/तालाब।
- पंचायत भवन।
- नाली/नाला।
- बागीचा।

सत्र – 3

आपदा : समूह चर्चा के आधार पर प्रस्तुतीकरण एवं संक्षेपण

उद्देश्यः–

आपदा प्रबंधन में मूलतः प्रयोग होने वाले शब्दों पर जानकारी देना

आपदा प्रबंध तंत्र तथा वर्तमान अधिनियम पर जानकारी देना

सत्र समय : 1घण्टा पद्धति : भाषण तथा विचारों का आदान–प्रदान

आवश्यक सामग्री : चार्ट, पोस्टर आदि।

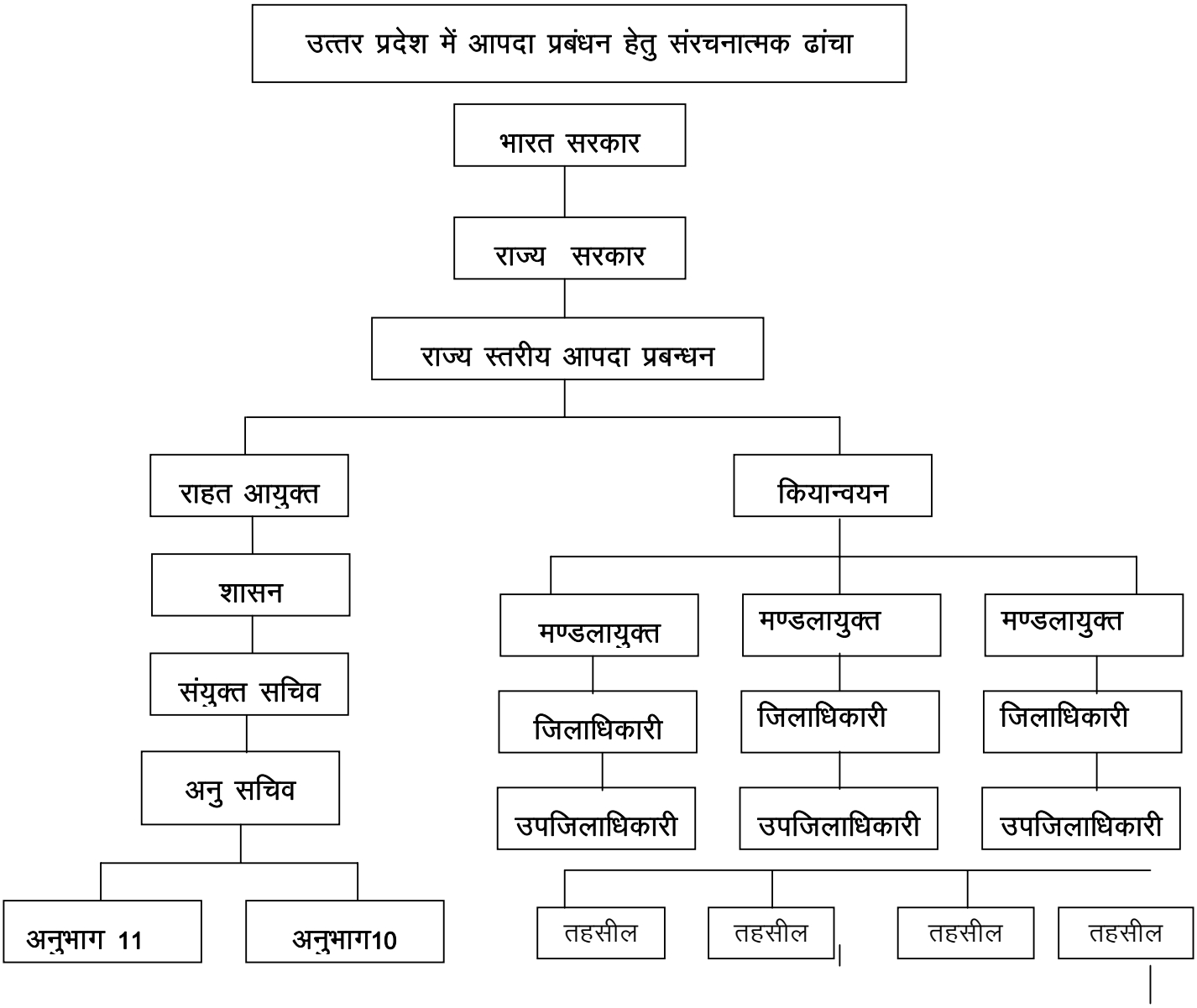

भूकंप

भूकम्प आने के पहले कोई चेतावनी नहीं देता है।

भूकंप आने के पहले :–

यह बिल्कुल सही समय है जब आप अपने व अपने परिवार के लिए सुरक्षा योजना बनाएं। भूकंप के आने का इंतजार ना करें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।

- निम्नलिखित वस्तुओं को हमेशा किसी निश्चित और असानी से मिलने वाली जगह पर रखें :– पानी की बोतल, वैसा भोजन जो जल्दी खराब न हो जैसे – चूड़ा, गुड़ आदि, प्राथमिक उपचार बॉक्स, टॉर्च, बैटरी, व बैटरी से चलने वाली रेडियो

- सभी सदस्य को बिजली और गैस बंद करना सिखाए।
- घर में ऐसी जगहों ढूंढे जो कि भूकंप के दौरान सुरक्षा प्रदान कर सकता हो।
- भूकंप के दौरान लंबी दूरी का फोन/एस0टी0डी आसानी से लगा सकता है। एक ऐसे रिश्तेदार का चयन कर जो शहर से बाहर रहता हो और आपातकाल में आपकी मदद कर सके। अगर किसी कारणवश परिवार के सदस्य अलग बिछड़ जाते हैं तो वे इस रिश्तेदार का पता व फोन नंबर परिवार के सभी सदस्य के पास होना चाहिए।

घर को सुरक्षित करें :–

- अपने घर की संरचना में भूकंप से सुरक्षित मापदण्डों को ध्यान में रखकर फेरबदल करें। नीव व बनावट ढांचा को मजबूत बनाए। किसी काबिल ठेकेदार से सलाह मश्वरा कर के मकान के गठन में बदलाव ला सकते हैं।
- कच्चे मकान भी कुछ आवश्यक फेरबदल कर के मजबूत बनाए जा सकते हैं।

भूकंप के दौरान

- भूकंप कोई पूर्व संकेत नहीं देता है। कभी–कभी कुछ सेकेण्ड पहले जोर की गड़बड़ाहट संकेत दे जाती है। ये कुछ सेकेण्ड आपको किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचने की मौहलत देते हैं।

भूकंप के दौरान क्या करें –

- टेबल, पलंग, या मजबूत व दृढ़ फर्नीचर के नीचे चले जायें। फर्श के नजदीक रहे बैठ जायें या लेट जायें। संतुलन के लिए फर्नीचर को कसकर पकड़ लें। फर्नीचर के हिलने पर हिलने के लिए तैयार रहें।
- अगर आस पास कोई मजबूत फर्नीचर न हो तो फर्श पर बैठ जायें या किसी मजबूत दिवार के पास अपने हाथों या फर्श पर रखें संतुलन के लिए।
- दरवाजे के रास्तें में ना खड़े रहें क्योंकि हड़बड़ाहट में झटके से दरवाजा गिर सकता हे। भूकंप के दौरान उड़ते हुए सामानों से भी चोट लग सकती है।
- खिड़की, आइना, किताब, के तख्ते या अन्य किसी भारी वस्तु से दूर चलें जाये।
- अगर आप पलंग पर है तो वहीं रह और अपने आप को तकिया व कंबल से ढंक लें।
- अगर आप घर के अंदर हैं तो बाहर न जाए और लिफ्ट तो कतई इस्तेमान न करें।
- अगर कच्चे मकान में रह रहें है तो तुरंत ऐसा खुले जगह में चले जाए जहाँ पेंड या बिजली या टेलीफोन के पोल ना हो।

अगर आप बाहर हैं तो :–

- तुरंत खुले जगह पर चले जाए बड़ी बिल्डिंग, बिजली के पोल बड़े पेड़ या बिजली या टेलीफोन के तार से दूर। जब तक भूकंप खत्म न हो जाए खुले जगह में ही रहें।

- अगर भूकंप से आपका घर बूरी तहर टूट चुका है तो पानी, सूखा खाना जरूरी दवा और कागजों को लेकर घर छोड़ दें।
- उन जगहों से दूर ही रहें जहाँ बिजली के तार बिखरे हुए किसी भी मेटल को ना छुए, जो बिजली के तार के संपर्क में हैं, झटके लग सकते हैं।
- दुबारा टूटे घर में प्रवेश ना करें और किसी भी क्षतिग्रस्त इमारत से दूर रहें।

अगर आप चलती गाड़ी :–

खाली जगह की तरह बड़ी–बड़ी इमारतों, पेड़, पोल, तार आदि से दूर रहें खाली व सुरक्षित जगह में पहुंचने पर रूक जाए व गाड़ी के अन्दर ही बैठे रहें। भूकंप रूक जाए तो भूकंप रूक जाये तो ध्यान से आगे बढ़े। भूकंप के दौरान पुल से कभी ना जाएं हो सकता आगे टूटा हो।

भूकंप के बाद :–

भूकंप के बाद बर्ती सावधानियों पर निजी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है :–

- मलबे से बचाव के लिए जूता चप्पल पहनें।
- पहले झटके के बाद और झटकों के लिए तैयार रहें। हालांकि दूसरा–तीसरा झटका उतना प्रभावशाली नहीं होता हैं फिर भी टूटे हुए इमारत को क्षति पहुंचती हे। बाद के झटके कभी भी आ सकते हैं घंटो, दिनों, हफ्तों या महीनों बाद कभी भी।
- मोमबत्ती या लालटेन की जगह टॉर्च के प्रयोग करें। अग्नि दुर्घटना की संभावना परखें और एहतियात बरतें।
- अगर आप जिस मकान में है वो भूकंप के बाद सही सलामत है तो उसके अंदर हो रहें और रेडियो सुनें किसी सलाह के लिए अगर आपको घर के क्षति का अनुमान नहीं है तो तुरंत मकान छोड़ दे व पॉवर कतई न छुए।
- घायल व फंसे लोगों की मदद करें, जहाँ जरूरत हो प्राथमिक उपचार दें। बुरी तरह घायल को न हिलाए जब तक कि अति आवश्यक ना हो। मदद के लिए आवाज दें।
- अपने पड़ोसियों की मदद करना ना भूलें, खासकर, बच्चे बूढ़े व विकलांग की।
- आपातकालीन सूचना के लिए बैटरी से चलनें वाली रेडियो सुनें।
- क्षतिग्रस्त इमारत से दूर रहें।
- घर तब ही वापस लौटे जब अधिकारी कहें। घर साफ करें उस क्षेत्र में ना जाए जहाँ से किसी गैस या रसायन की महक आ रही हो। दरवाजा या अलमारी को ध्यान से खोलें।
- अगर गैस की महक आए या सिसकार सुनाई दे तो खिड़कियाँ खोल दें, गैस सिलेंडर बंद कर दे और तुरंत घर से बाहर निकल जाएं।
- अगर तार जलने की बू आए या कोई चिंगारी दिखें तो मेन स्विच बंद कर दें। अगर मेन स्विच तक पहुंचने के लिए पानी पार करना पड़ता है तो बिजली मिस्त्री के सलाह से सुरक्षा इंतजाम करें।
- पानी के पाईप या लाईन में कोई क्षति हुई हैं या नहीं देखे अगर कोई क्षति हुई हो तो उस पानी को इस्तेमाल ना करें।

- जरूरी फोन करने के लिए टेलीफोन का प्रयोग करें।
- अगर भूकंप के दौरान परिवार के सदस्य बिछड़ गए है बड़े दफ्तर और बच्चे स्कूल तो कोई योजना पहले से बनाकर रखें कि कैसे और कहाँ दोबारा सब एक हों। किसी दूर के रिश्तेदार को परिवार के संपर्क का जरिया बना सकते हैं। और परिवार के हर सदस्य को उस रिश्तेदार का फोन व पता मालूम होना चाहिए।

गांव को आपदाओं से बचाने के लिए अल्प एवं दीर्घकालीन न्यूनीकरण योजनाएँ बनाना एवं क्रियान्वित करना अति आवश्यक है। इस अध्याय में सभी विभागों द्वारा चलायी जा रही न्यूनीकरण योजनाओं का पूर्ण विवरण देना आवश्यक है।

आपदा प्रबन्धन समिति एवं कार्यदलों का गठन

आपात स्थिति में विभिन्न कार्य करने के लिए कई प्रकार के कार्यदलों का गठन किया जाएगा। ये कार्यदल ग्रामपंचायत एवं ग्राम दोनों स्तरों पर बनाए जाएगें। यह दल किसी भी आपदा स्थिति में जवाबी कार्यवाही, सहायता एवं पुनर्वास का काम करने में अहम् भूमिका निभाएंगे। ग्रामपंचायत एवं ग्राम स्तर पर समुदाय के चुने हुए 10–12 लोगों को मिलाकर कार्यदल बनाया जाना चाहिए।

ये कार्यदल निम्न हो सकते हैं :

- प्राथमिक उपचार पेयजल एवं स्वच्छता कार्यदल
- पूर्व चेतावनी कार्यदल
- खोजी एवं बचाव कार्यदल
- अस्थाई शरणस्थल प्रबंधन कार्यदल
- वितरण कार्यदल
- क्षति आकलन कार्यदल

योजना का ग्राम की सभा की खुली बैठक में अनुमोदन

योजना निर्माण के पश्चात इसका ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित होना आवश्यक है।

योजना का पूर्वाभ्यास

इस अध्याय में ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाओं के मॉकड्रिल से सम्बन्धित विभिन्न विभागों, जनसमुदाय एवं अन्य हितभागियों की भूमिका एवं उत्तरदयित्व का उल्लेख आवश्यक है।

प्राथमिक चिकित्सा, महामारी एवं Psycho-Social counseling for Trauma Management टास्क फोर्स

प्राथमिक उपचार : एक परिचय

उद्देश्यः प्राथमिक उपचार पर सहभागियों की समझ बनाना और उन्हें प्राथमिक उपचार के महत्व पर संवेदित करनां

विषय वस्तु :

प्राथमिक उपचार क्या है?
प्राथमिक उपचार जाँच सूची
प्राथमिक उपचार बॉक्स
पद्धति : बड़े समूह में चर्चा और भाषण

प्रशिक्षण सामग्रीः व्हाइट बोर्ड / फ्लिप चार्ट, मार्कर, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स
प्रक्रिया :

⇒ प्रतिभागियों से पूछें कि यदि किसी को तेज बुखार हो, चोट लग गयी हो, खून बह रहा हो, बहुत उल्टी हो रही हो, तो आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से पहले क्या करते हैं। प्रतिभागियों के उत्तरों के आधार पर उन्हें बताएं कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उनके द्वारा किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है।

⇒ प्रतिभागियों को बताएं कि आपदा के समय ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं और उस समय सही प्राथमिक उपचार के अभाव में ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सही समय पर सही प्राथमिक उपचार बहुत जरूरी है।

⇒ इसके साथ ही प्रतिभागियों को ये बताएं कि प्राथमिक उपचार कभी भी डॉक्टरी चिकित्सा की जगह नहीं ले सकता और प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है कि घायल या रोगी को तुरन्त मदद मिले, कुछ समय के लिए स्थिति को संभाला जा सके और किसी गंभीर स्थिति में जान बचाई जा सके।

⇒ प्राथमिक उपचार किसी भी उम्र के व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर दिया जा सकता है। विशेष रूप से बहुत ज्यादा खून बहने पर दम घुटने पर, डूबने या जलने पर हड्डी टूटने पर, बिजली का झटका लगने पर, आँख नाक या कान में किसी तरह की रूकावट या चोट होने पर, गलत दवा या कोई दवा या चोट होने पर, गलत दवा या कोई दवा बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेने पर या किसी जानवर के काटने पर प्राथमिक उपचार देना बहुत जरूरी है।

⇒ बतायें कि प्राथमिक उपचार देने के लिए व्यक्ति में कुछ जरूरी विशेषताएँ होनी चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

⇒ सहभागियों से चर्चा करें कि प्राथमिक उपचार देते समय किन–किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

⇒ प्रशिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि नीचे बॉक्स में दिये गये सभी बिन्दु चर्चा में निकलकर आ गये हों अगर कुछ बिन्दु छूट गये हों तो उन्हें जोड़कर प्राथमिक उपचार देते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातों और सावधानियोंके अन्तर्गत समेंकित करें।

प्राथमिक उपचार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें/सावधानियाँ	अच्छे प्राथमिक चिकित्सक की जरूरी विशेषतायें
➢ शान्त रहें और कोई भी काम करने से पहले सोच–विचार कर लें। ➢ घायल और आसपास खड़े दर्शकों को प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुभवी और जरूरी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के रूप में अपना परिचय दें। ➢ जिन दुर्घटनाओं में घायल की जान जा सकती हो, ऐसे मामलां को प्राथमिकता देकर तुरन्तर जाँच करें। (जैसे–साँस का रूक जाना, नब्ज–नाड़ी का न मिलना, अत्याधिक खून बहना, जहर–विष का असर) आदि।	➢ व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। ➢ अनुभवी और प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। ➢ हिम्मती/साहसी होना चाहिए ताकि बिना विचलित हुए घायल को प्राथमिक चिकित्सा दे सकें। ➢ कुशलतापूर्वक प्राथमिक चिकित्सा देने की कला होनी चाहिए। ➢ निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ➢ धैर्यशील एवं स्थिर चित्त का होना चाहिए।

➢ बिना शोर–शराबा/हल्ला–गुल्ला किए रोगी/घायल को प्राथमिक चिकित्सा दें। प्राथमिक चिकित्सा देने से पूर्व एक बार घायल/रोगी की व्यवस्थित जाँच अवश्य कर लें। ➢ घायल/रोगी को लेटे रहने दें या वो जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रहने देना चाहिए, किसी खास परिस्थिति को छोड़कर। घायल को नमी या ठंड से बचाकर रखना चाहिए। ➢ यदि घायल होश में हो (व्यक्ति) तो उसे समझाना चाहिए कि वह हताश न हो। ➢ घायल व्यक्ति को अनावश्यक हिलाना–डुलाना नहीं चाहिए। ➢ हमेशा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स साथ में रखें। ➢ धैर्यवान बनेरहें। ➢ आवश्यक सामग्री बॉक्स में हमेशा रखें।	➢ सामाजिक सौहार्द का ध्यान रखना चाहिए व संवेदनशीलता के साथ बिना किसी भेदभाव के प्राथमिक उपचार देना चाहिए

⇒ सहभागियों को बताएं कि किसी भी स्थिति में प्राथमिक उपचार देने से पहले कुछ चीजों को जाँ लेना जरूरी है।

⇒ फ्लो चार्ट की सहायता से जाँच सूची को समझाएं।

⇒ अंत में किन्हीं चार सहभागियों को बुलाएं और दो को घायल या रोगी – एक को बेहोश और दूसरे को होश में, और दो सहभागियों को प्राथमिक उपचार देने वाले की भूमिका निभाते हुए रोल प्ले के माध्यम से जाँच सूची की प्रक्रियाओं को दोहराने को कहें। बाकी साथियों से कहें कि वो प्राथमिक उपचार देने वाले सहभागी अगर कुछ भूल रहे हों तो उसमें जोड़े।

⇒ सहभागियों को उदाहरण देकर बतायें कि जिस तरह किसी काम को करने के लिए सामग्रियों या चीजों की जरूरत होती है जैसे सिलाई करने के लिए सुई धागे की, घास काटने के लिए हंसिया की, उसी तरह प्राथमिक उपचार देने के लिए भी हमें कुछ सामग्रियों की जरूरत होती है। सुविधा के लिएहम इन सभी सामग्रियों को एक बॉक्स में इक्ट्ठा करके रखते हैं और इस बॉक्स को प्राथमिक उपचार बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं।

⇒ सहभागियों को प्राथमिक उपचार बॉक्स और उसकी सामग्रियों को एक–एक करके दिखायें साथ ही उन्हें बताये कि हर सामग्री की क्या उपयोगिता है और उसे कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं।

⇒ यह भी बतायें कि इन सामग्रियों को साफ रखना और समय–समय पर बाटस्क फोर्सते रहना जरूरी है।.

प्राथमिक उपचार की जांच सूची

किसी भी प्राथमिक चिकित्सक का आपातकालीन परिस्थिति में प्रथम उद्देश्य होता है। शांत रह कर शीघ्रता से और सही क्रम में घायल या घायलों को मदद करना ताकि जीवन की रक्षा की जा सके और उसके स्वास्थ्य को किसी भी और नुकसान से बचाया जा सके।

प्राथमिक उपचार के लिए साधारण नियम और जांच सूची –

जब कभी प्राथमिक चिकित्सक किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करें तो अपने विवके का उपयोग करें, अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और बहुत अधिक कोशिश न करें क्योंकि प्राथमिक चिकित्सक न ही डॉक्टर होता है न नर्स और न हीं अन्य किसी प्रकार का प्रशिक्षित चिकित्सक।

किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार देने से पहले प्राथमिक चिकित्सक को क्रमशः नीचे दिये गये बातों की जाँच कर लेनी चाहिए :

- स्थिति आकंलन (check for danger) सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सक को खतरे का अनुमान लगाना चाहिए कि उसके और घायल के जीवन को किसी भी प्रकार खतरा है या नहीं, यदि है तो पहले उस खतरे को दूर करें। पहले खुद को फिर घायल को खतरे की स्थिति से बाहर निकालना चाहिए और यदि खतरा बढ़ रहा है तो अन्य लोगों को भी आगाह कर देना चाहिए, जैसे किसी गिरती इमारत के मलबे में फंसे व्यक्ति को बचाने से पहले देख लेना चाहिए कि कहीं इमारत के और गिरने की सम्भावना तो नहीं है।
- घायल के सचेत होने का आंकलन (Check for Response) : इस चरण में प्राथमिक चिकित्सक को घायल सचेत है या अचेत, इस बात को निश्चित कर लेना चाहिए। घायल से सवाल पूछें कि उसे कहाँ दर्द है, उसे कैसा महसूस हो रहा है यदि घायल जवाब देता है तो इसका अर्थ है वह सचेत है। यदि कोई उत्तर का प्रतिक्रिया न आये तो मान लेना चाहिए कि व्यक्ति अचेत है।
- अचेत घायल की सांस नली की जाँच करें (Check for Airway) : देखें कि घायल का साँस लेने का रास्ता खुला है कि नहीं, कहीं जीभ, उल्टी या किसी अन्य बाहरी वस्तु ने साँस नली को बन्द तो नहीं कर दिया है। इसके लिए घायल को पीठ के बल लिटा कर प्राथमिक चिकित्सक अपनी पहली और दूसरी अंगुलियों से घायल की ठुड्ढी को ऊपर उठायें जबकि उसके माथे को दूसरे हाथ से पीछे की ओर दबायें। ऐसा करने से यदि जीभ ने सांस नली को बन्द कर दिया है तो वह हट जायेगी और सांस का रास्ता खुल जायेगा। एक बार जाँच करें कि घायल ने फिर सांस लेना शुरू किया या नहीं। यदि सांस लेना न शुरू हुआ हो तो दोबारा सांस नली की जांच करें। इसके लिए घायल का मुंह एक तरफ करें जबकि उसका शरीर पहले की भांति सीधा रखें ओर अपनी पहली दो अंगुलियो से घायल का निचला जबड़ा नीचे करें और देखें कि कहीं कुछ उल्टी या अन्य बाहरी पदार्थ मुंह में अटका तो नहीं है और दुबारा सांस की जांच करें।
- घायल की सांस करें, (Check for Breathing) : अचेत घायल की सांस चल रही है या नहीं इसकी जांच करने के लिए अपने कान को घायल के मुंह और नाक के पास ले जायें और सांस को महसूस करने की कोशिश करें। अगर आपको सांस सुनाई दे या अपने चेहरे पर महसूस हो तो घायल की छाती और पेट के ऊपर नीचे होने की जांच करें।
- खून के संचार की जाँच करें (Check for Circulation) : यदि घायल की साँस न चल रही हो तो उसकी नब्ज की जांच करें। घायल की धड़कन चल रही है या नहीं, इसके लिए अपने पहली दो अंगुलियों को घायल के निचले–जबड़े के थोड़ा नीचे एक और गर्दन पर रखकर देखें तो धड़कन का अनुभव होगा। इससे घायल के जीवित होने का एक और संकेत मिल जायेगा। यदि धड़कन का अनुभव न हो तो घायल के जीवित होने की पुनः जाँच करें और तुरन्त चिकित्सीय सलाह के लिए कोशिश करें या घायल को अस्पताल भेजें।

जाँच के इन नियमों को संक्षेप में ए बी सी का नियम भी कहते हैं। इस तरह किसी भी स्थिति में प्राथमिक उपचार देते समय एक प्राथमिक चिकित्सक को उपरोक्त बातों को जाँच लेना चाहिए।

प्राथमिक उपचार की जाँच सूची चित्र के द्वारा

उद्देश्य : सहभागियों में प्राथमिक चिकित्सा टास्क फोर्स की जिम्मेदारियों के प्रति समझ विकसित करना।

विषय वस्तु:

प्राथमिक चिकित्सा टास्क फोर्स की जिम्मेदारियाँ

प्राथमिक चिकित्सा टास्क फोर्स की कार्य योजना

प्रशिक्षण सामग्री : व्हाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट, मार्कर, पट्टी ड्रेसिंग

पद्धति : छोटे समूह में चर्चा, बड़े समूह में चर्चा

प्रक्रिया :

⇒ सहभागियें को तीन छोटे समूहों में बाँट दें और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा टास्क फोर्स की भूमिका एवं उत्तरदायित्व पर चर्चा करने के लिये कहें।

⇒ चर्चा के लिए 15 मिनट का समय दें।

⇒ चर्चा के दौरान प्रशिक्षक मदद करें कि समूह विषय से भटकने न पाएं।

⇒ चर्चा के बाद प्रत्येक समूह से अपनी चर्चा के बिन्दुओं को प्रस्तुत करने को कहें।

⇒ चर्चा में निकलकर आए बिन्दुओं में छूट गये बिन्दुओं को जोड़ते हुए प्राथमिक चिकित्सा टास्क फोर्स की भूमिका और उत्तरदायित्व को समेकित करें।

प्राथमिक उपचार टास्क फोर्स की भूमिका और जिम्मेदारियां

1. समुदाय को प्राथमिक उपचार के महत्व और विभिन्न समस्याओं में दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार पर लगातार संवेदित करना।

2. जरूरत पड़ने पर समुदाय को प्राथमिक उपचार देते रहना।

3. आसपास उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी रखना

4. बंधे पर और पुरवे में प्राथमिक चिकित्सा स्थल तैयार करना।

5. फर्स्ट एड बॉक्स एवं संबंधित अन्य उपकरणों की समय–समय पर जाँच करते रहना और समय पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

6. बाढ़ के समय बंधे पर उपलब्ध चिकित्सीय सरकारी सुविधाओं की जानकारी रखना एवं संबधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।

7. प्राथमिक उपचार में मानवीय पहलुओं और सामाजिक जुड़ाव को शामिल करना और समाज के सभी वर्गो, जातियों, धर्मों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के प्राथमिक उपचार देना।

8. बाढ़ के समय, बंधे पर दिये जाने वाले प्राथमिक उपचार का रिकार्ड (लेखा–जोखा) रखना।

9. विभिन्न टास्क फोसी विशेष रूप से खोज एवं बचाव टास्क फोर्स के साथ बाढ़ के पहले एवं बाढ़ के दौरान समन्वय रखना।

10. 'ग्राम आपदा समिति के साथ समन्वय रखना एवं समिति की बैठकों में प्राथमिक उपचार की पिटास्क फोसी गतिविधियों पर चर्चा करना ताकि विषय की प्रासंगिकता बनी रहें। साथ ही जरूरत पड़ने पर 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना के अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित आवश्यकताओं को शामिल कराना।

11. टास्क फोर्स की कार्ययोजना तैयार करना और समय–समय पर कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करना।

⇒ सहभागियों को उदाहरण देते हुए बताएं कि जिस तरह घर में शादी या अन्य किसी पारिवारिक समारोह को अच्छी तरह सम्पन्न करने के लिये हम महीनों पहले से उसकी तैयारी करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं – जैसे कौन सा काम किसके जिम्मे होगा, क्या सामान कहाँ से और कैसे आएगा ठीक उसी तरह प्राथमिक उपचार टास्क फोर्स के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियों को सुचारू से निभा सकें, इसके लिये भी एक कार्य योजना बनाना बहुत जरूरी है।

⇒ चर्चा करें कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये हमारी क्या कार्ययोजना होना चाहिए।

⇒ एक–एक भूमिका को लेते हुए उनके लिये कार्य योजना पर चर्चा करें और बताएं कि अभी हम एक माह की कार्ययोजना बनाएंगे।

प्राथमिक चिकित्सा टास्क फोर्स की कार्ययोजना (माह)				
क्र. सं.	काम	कौन करेगा	क्या करेगा	कब करेगा
1.				
2.				

3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				

⇒ सहभागियों को चार समूहों में बाँट दें और हर समूह को एक–एक माह की कार्ययोजना तैयार करने को कहें।

⇒ इस कार्य के लिए 10 मिनट का समय दें।

⇒ प्रत्येक समूह को अपनी–अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहें और हर माह की कार्ययोजना पर शेष सभी सहभागियों की आम सहमति बनाते हुए पाँच महीनों की कार्ययोजना तैयार करने में मदद करें।

⇒ सहभागियों को बताएं कि इन पाँच महीनों की कार्ययोजना को आधार बनाते हुए हम एक वार्षिक कार्ययोजना भी तैयार कर सकते हैं।

⇒ मूल्यांकन प्रपत्र का इस्तेमाल करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करें।

चेतावनी, समन्वय एवं पूर्व तैयारी टास्क फोर्स

परिचय और बाढ़ के संदर्भ में उपयोगिता

उद्देश्यः सहभागियों को पूर्व चेतावनी और इसके मुख्य तत्वों की जानकारी देना एवं बाढ़ के संदर्भ में पूर्व चेतावनी की उपयोगिता पर उन्हें संवेदित करना।

पद्धति : भाषण

स्थान : प्रशिक्षण कक्ष

प्रशिक्षण सामग्री : व्हाइट बोर्ड/फ्लिप चार्ट, मार्कर

प्रक्रिया :

⇒ सहभागियों से चर्चा करें कि गाँव/पुरवा में बाढ़ तो लगभग हर साल आती रहती है लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार हमारी फसल, संपत्ति और जानमाल की हानि हो। कभी–कभी बाढ़ का पानी हमारे घरों तक नहीं पहुँचता बल्कि हमारे खेतों तक आकर लौट जाता ह। ऐसे में हम अपने घरों में रहते हुए अपने रोजमर्रा के काम करते रहते हैं जैसे खेतों में जाना, घरों में खाना बनाना आदि। इस तरह की बाढ़ एक संकट है जब तक ये सामान्य जनजीवन को अस्त–व्यस्त नहीं करती। लेकिन कभी–कभी पानी ज्यादा आ जाता है, हमारे घरों को आने–जाने के रास्ते को डुबा देता है। हमें बंधे पर आकर रहना पड़ता है, साथ ही हमारी फसल और संपत्ति का भी नुकसान होता है। ऐसी बाढ़ आपदा कहलाती है।

⇒ सहभागियों से चर्चा करें कि हर साल बाढ़ से पुरवे में क्या समस्याएं होती हैं और इन्हें कम करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं।

⇒ सुनिश्चित कर लें कि बताए गये उपायों में पूर्व चेतावनी शामिल हो।

⇒ चर्चा करें कि इन समस्याओं और जोखिमों को कम करने में पूर्व चेतावनी बहुत मददगार हो सकती है और उदाहरण देते हुए समझाए कि जैसे बाढ़ के समय पशुओं का चारा भीग जाता है अगर हमें बाढ़ की पूर्व चेतावनी मिल जाए तो चारे को बचाया जा सकता है।

⇒ पूर्व चेतावनी का मतलब समझाते हुए बताएं कि किसी भी होने वाले घटना (जो नुकसान पहुँचा सकती है) के बारे में पहले और समय से सचेत कर देना, जिससे उस घटना के नुकसान और जोखिम को कम किया जा सके 'पूर्व चेतावनी' कहलाता है।

⇒ बताएं कि प्रभावकारी पूर्व चेतावनी के लिये, जिसके मिलने पर समुदाय अपने बचाव की तैयारी कर सकता है, चार मुख्य बातों पर ध्यान रखना चाहिए–

ϒ खतरे की जानकारी

ϒ चेतावनी के माध्यम

ϒ चेतावनी का प्रसार

ϒ चेतावनी पर समुदाय की बचाव क्षमता

⇒ पूर्व चेतावनी की इन चार मुख्य बातों या तत्वों को उदाहरण देकर समझाएं।

⇒ बताएं कि पूर्व चेतावनी के प्रभावकारी होने के लिये इन चारों बातों या तत्वों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है और किसी एक तत्व के छूट जाने पर पूर्व चेतावनी पूरी तरह प्रभावी नहीं होती।

पूर्व चेतावनी के लिये ध्यान रखने योग्य बातें/पूर्व चेतावनी के मौलिक तत्व

1. खतरे की जानकारी

किसी भी जगह पर क्या खतरा या जोखिम हो सकता है, ये जानने के लिए उस जगह के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर बाढ़ के बारे में बात करें तो ये जानना जरूरी है कि आपके गाँव या पुरवा में पहले कितनी बार बाढ़ चुकी है, आमतौर पर बाढ़ कब और कौन से महीने में और क्यों आती है,पिटास्क फोर्से वर्षो की बाढ़ में क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, बाढ़ का पानी सबसे पहले कौन से पुरवे में आता है, नदी पुरवे की जमीन को किस ओर से काट रही है आदि। ये जानकारियाँ आगेकी घटना का अनुमान लगाने में मददगार होती है, इसलिए

2. चेतावनी के माध्यम

कोई भी चेतावनी किसी प्रकार के संकेत या जानकारी पर आधारित होती है। जोखिम की जानकारी और आंकलन के बाद उन सभी घटनाओं पर ध्यान देना जरूरी है जो हमें आपदा का संकेत देती हैं जैसे अगर बारिश बहुत ज्यादा और लगातार हो रही है तो अनुमान लगाना चाहिए कि बाढ़ जा सकती है।

अगर हमें बाढ़ के आने का अनुमान है तो विभिन्न स्त्रत्री या माध्यमों जैसे बी0डी0ओ0, प्रधान आदि से इस बारे में जानकारी करना जरूरी हो जाता है ताकि हम ठोस रूप में जान सकें कि बाढ़ सच में आने वाली है या नहीं। इसलिए जानकारी के ये विभिन्न स्त्रोत या माध्यम पूर्व चेतावनी के आवश्यक तत्व हैं।

3. चेतावनी का प्रसार

बाढ़ के बारे में चेतावनी के माध्यमों से इकट्ठी की गयी तो जानकारी या चेतावनी अगर उससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों तक न पहुँचे तो पूर्व चेतावनी का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। इसलिए चेतावनी का पूरे समुदाय

में प्रसार करना बहुत जरूरी है ताकि समुदाय अपने बचाव की तैयारी कर सके।

4. चेतावनी पर समुदाय की बचाव क्षमता

पूर्व चेतावनी का उद्देश्य है आपदा से प्रभावित होने वाले समुदाय की तैयारी के लिए सक्रिय करना। चेतावनी देने के साथ ही समुदाय को चेतावनी मिलने पर बचाव की तैयारी के लिये प्रेरित करना भी जरूरी होता है जैसे–पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिये, जरूरी कागजों को पालीथिन में डालकर सुरक्षित करने के लिए अनाज आदि को घर में ऊँचे स्थान पर रखने के लिये, सूखा खाना इकट्ठा करने के लिये प्रेरित करना।

पूर्व चेतावनी की वर्तमान व्यवस्था

उद्देश्य :बाढ़ पूर्व चेतावनी के लिये समुदाय में प्रचलित परम्परागत तरीकों को सामने लाना और बाढ़ पूर्व चेतावनी की सरकारी व्यवस्था पर सहभागियों की समझ विकसित करना।
पद्धतिः छोटे समूह में चर्चा, बड़े समूह में चर्चा और भाषण
स्थानः प्रशिक्षण कक्ष
प्रशिक्षण सामग्रीः व्हाइट बोर्ड/फ्लिप चार्ट, मार्कर
प्रक्रिया :

⇒ सहभागियों के बड़े समूह को तीन या चार छोटे समूहों में बाँट दें।

⇒ सहभागियों को कहें कि अपने–अपने समूह में इस पर चर्चा करें कि वो अपने क्षेत्र में अब तक बाढ़ की पूर्व चेतावनी कैसे प्राप्त करते हैं, उनके अपने क्या परम्परागत तरीके हैं जिनसे वो अनुमान लगाते है कि बाढ़ आने वाली है।

⇒ इस चर्चा के लिए 10 मिनट का समय दें।

⇒ चर्चा के दौरान सहभागियों की मदद करें कि वो विषय वस्तु से भटकने न पाएं।

⇒ चर्चा के बाद प्रत्येक समूह को एक–एक कर अपनी चर्चा के बिन्दुओं को प्रस्तुत करने को कहें।

⇒ चर्चा से निकले विभिन्न बिन्दुओं को – 'बाढ़ पूर्व चेतावनी के लिये समुदाय में प्रचलित परम्परागत तरीकोंके अंतर्गत संमेकित करें।

⇒ सहभागियों को बताएं की बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने के लिये सरकार की भी एक व्यवस्था है और उनके पूछें कि बाढ़ की पूर्व चेतावनी उन्हें सरकारी तौर पर कहाँ–कहाँ से मिलती हैं, कौन से सरकारी लोग उन्हें बाढ़ आने की जानकारी देते हैं।

⇒ उनके उत्तरों को सम्मान देते हुए बताएं कि हर जिले मे एक 'जिला आपदा प्रबंधन केन्द्र' होता है जो जिले में आपदा की पूर्व चेतावनी, आपदा के समय संबंधित जानकारी और योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है।

⇒ सहभागियों को उनके क्षेत्र की बाढ़ पूर्व चेतावनी की सरकारी व्यवस्था की जानकारी दें।

पूर्व चेतावनी टास्क फोर्स की जिम्मेदारियाँ

उद्देश्य : सहभागियों की पूर्व चेतावनी टास्क फोर्स के रूप में भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर समझ बनाना।
पद्धति : छोटे समूह में चर्चा
स्थान : प्रशिक्षण कक्ष
प्रशिक्षण सामग्री : व्हाइट बोर्ड/फ्लिप चार्ट, मार्कर
प्रक्रिया :

⇒ सहभागियों के बड़े समूह को तीन छोटे समूहों में बाँट दें।

⇒ प्रत्येक समूह से कहें कि पूर्व चेतावनी टास्क फोर्स के रूप में उनकी क्या भूमिका और जिम्मेदारियाँ हैं, इस पर चर्चा करें।

⇒ चर्चा के लिये 15 मिनट का समय दें।

⇒ चर्चा के दौरान सहभागियों को मदद करें कि वो चर्चा से भटकने न पाएं।

⇒ प्रत्येक समूह से अपनी चर्चा के बिन्दुओं को प्रस्तुत करने को कहें।

⇒ चर्चा में निकलकर आए बिन्दुओं में जोड़ते हुए 'पूर्व चेतावनी' टास्क फोर्स की जिम्मेदारियों के अंतर्गत चर्चा को समेकित करें।

पर्वू चेतावनी टास्क फोर्स की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

⇒ प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए समुदाय के लोगों को पूर्व चेतावनी की जरूरत ओर महत्व पर संवेदित करना।

⇒ समुदाय के लोगों को बारिश के दिनों में रेडियो, अखबार आदि से बाढ़ की स्थिति जानने के लिये प्रेरित करना।

⇒ बारिश के दिनों में प्रधान और बी0डी0ओ0 से लगातार मिलते रहना और बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की जानकारी रखना।

⇒ जिले के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के विभिन्न संबंधित अधिकारियों प्रधान और बी0डी0ओ0 के फोन नम्बर की सूची अपने पास तैयार रखना।

⇒ टास्क फोर्स की भूमिका और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये टास्क फोर्स की कार्य योजना बनाना और समय–समय पर जरूरत के अनुसार उसमें फेरबदल करते रहना।

⇒ विभिन्न टास्क फोर्स को समय–समय पर मिलते रहना और बाढ़ के ष्पहले बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद उनके साथ समन्यव रखना।

⇒ पूर्व चेतावनी के प्रसार में मानवीय पहलुओं को शामिल करना और बिना किसी भेदभाव केक सभी तक पूर्व चेतावनी पहुँचाना।

⇒ समुदाय को प्रेरित करना कि वो पूर्व चेतावनी मिलने पर अपनी–अपनी कार्य योजना के अनुसार सुरक्षित स्थान पर पहुँचे।

⇒ बाढ़ के समय सभी पंचायतें के पूर्व चेतावनी टास्क फोर्स के साथ समन्वय करते हुए एक समूह के रूप में काम करना और बिना किसी ऊँच–नीच की भावना के सभी पंचायतों तक पूर्व चेतावनी का प्रसार निश्चित करना।

⇒ पूर्व चेतावनी के लिये लगायी गयी तकनीकी व्यवस्था को सीखना और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेना।

⇒ सहभागियों को उदाहरण देते हुए समझाएं कि जिस तरह किसी भी काम को करने के लिए एक योजना की जरूरत होती है, उसी तरह पूर्व चेतावनी टास्क फोर्स के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियाँ निभा सकें, इसके लिए भी एक योजना की जरूरत होती है।

⇒ बताएं कि योजना बनाने के लिए जरूरी है कि हम तय कर लें कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना और इस काम को कौन करेगा।

⇒ एक जिम्मेदारी का उदाहरण लेकर कार्य योजना केसे बनाएं, ये बताएं।

क्र. सं.	क्या करना है	कैसे करना है	कौन करेगा	कब करेगा
1.				
2.				
3.				
4.				

⇒ सहभागियों को पंचायत अनुसार चार समूहों में बाँट दें और हर समूह से कहें कि वो एक–एक जिम्मेदारी को लेते हुए अपनी एक कार्ययोजना तैयार करें।

⇒ इसके लिए 15 मिनट का समय दें।

⇒ सभी से अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहें और एक सही और ठोस कार्ययोजना बनाने में उनकी मदद करें।

शरणालय प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल प्रबंधन एवं जिलाधिकारी टास्क फोर्स

शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एक परिचय

उददेश्यः सहभागियों को शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य की उपयोगिता और महत्व पर संवेदित करना।

विषय वस्तुः

- व्यक्तिगत स्वच्छता
- वातावरण की स्वच्छता
- शुद्ध पेयजल

पद्धतिः बड़े समूह में चर्चा और भाषण।

स्थान : प्रशिक्षण कक्ष

प्रशिक्षण सामग्री : व्हाइट बोर्ड/फ्लिप चार्ट और मार्कर

प्रक्रियाः

- सहभागियों से चर्चा करें कि हमारे स्वस्थ जीवन के लिए साफ पानी ओर सफाई बहुत आवश्यक है। चाहे मानव हो, जानवर हो या पेड़–पौधे सभी का जीवन पानी है और पानी वातावरण के प्रदूषण से दूषित होकर बहुत सी बीमारियों का वाहक बनता है, इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए जितनी जरूरी व्यक्तिगत स्वच्छता है उतनी ही वातावरण की स्वच्छता और शुद्ध पानी भी है।
- सहभागियों से बड़े समूह चर्चा करें कि उन्हें गंदे पानी और गंदे वातावरण के कारण कौन–कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके उत्तरों को सम्मान देते हुए तीन विशयों व्यक्तिगत स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता और पानी की स्वच्छता के अन्तर्गत बोर्ड पर नोट करें।?
- सहभागियों को बताएं कि व्यक्तिगत स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता और साफ पानी तीनों आपस में जुड़ विशय हैं और इनका प्रभाव सीधे हमारे जानवरों और पेड़ पौधों के स्वास्थ्य पर पड़ता है विषेशकर बाढ़ के दिनो मे नदी अपने साथ बहुत सी गंदगी और मलवे को लाती है बाढ़ के दौरान हमारे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाने के कारण कई बार फसलें जानवरों का चारा, भूसा आदि सड़ जाता है मरे जानवरों और जीव जन्तुओं के षरीर वातावरण को दूशित करते हैं। मानव और जानवरों का मल भी पीने के पानी और रोजमर्रा के काम के लिए उपयोग में आने वाले पानी के श्रोतों जैसे कुएं, तालाब आदि को गंदा कर देता है। जिससे हमारे खेत, पीने के पानी और रोजमर्रा के काम के लिए उपयोगी में आने वाले पानी के श्रोतों जैसे–कुएं तालाब आदि को गंदा कर देता है। जिससे हमारे खेत, पानी के श्रोत और घर के आस–पास का वातावरण गंदा या दूशित हो जाता है और बहुत से संक्रामक रोगों के फैलने के लिए माहौल बन जाता है। इसलिए बाढ़ के दौरान और बाद में हमें अपने आस–पास के वातावरण और पानी की गुणवत्ता पर विषेश ध्यान देना चाहिए।

- सहभागियों को बताएं कि इस प्रषिक्षण में हम लोग इन तीनों व्यक्तिगत स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता और षुद्ध पानी के महत्व पर एक–एक करके चर्चा करेंगे।?

बाढ़ के दौरान दूशित वातावरण से होने वाली बिमारियाँ

- बाढ़ के दौरान बाढ़ के पानी के साथ इधर–उधर पड़ा कूड़ा–कचरा घरों और खेतों में घुस जाता है या बाढ़ के पानी के साथ घरों के आस–पास इकट्ठा हो जाता है।?
- खुले में पड़ा मानव मल और जानवरों क ामल भी बाढ़ के पानी के साथ घरों उनके आस पास, पीने के पानी और अन्य पानी के श्रोतों को दूशित करता है।
- बारिष और बाढ़ के कारण जानवरों का गोबर सूख नहीं पाता है बदबू और वातावरण में बहुत से रोगों कीटाणु पैदा होते हैं।
- जनवरों में चर्म रोग पैदा होता है।
- गीली लकड़ी, चारा, भूसा आदि में मच्छर मक्खी और अन्य कीट–पतंगे पतंगे पैदा होते हैं जो रोगों को फैलाते हैं। मलेरिया डेंगू, बुखार डायरिया आदि बीमारियां फैलाते हैं।
- षौच के लिए सूखी जगह न होने के कारण लोग बाढ़ के पानी में ही षौच करते हैं या उसी पानी में मल डाल देते हैं, जिसके कारण दस्त पेचिष, हैजा आदि पानी से होने वाली बीमारियाँ फैलती है।
- पीने के पानी के श्रोत बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं लोग बाढ़ का पानी पीने को मजबूर होते हैं। दूशित पानी पीने से पेचिष, हैजा डायरिया, पीलिया पेट में कीड़े और मलेरिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
- बाढ़ के दौरान जगह–जगह जल भराव हो जाता है स्थिर जल में मच्छर अंडे देते हैं, मच्छर की जनसंख्या बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और पीला बुखार फैलने की सम्भावनाएं बढ़ जाती है।

बाढ़ के बाद दूशित वातावरण से होने वाली समस्याएं

- बाढ़ के बाद घरों और खोतों में पानी के साथ आया कूड़ा–करकट भर जाता है। कोई साफ स्थान नहीं बचाता है, जो कीट पतंगों और मच्छर आदि के पैदा होने के लिए उपयुक्त माहौल बनाते हैं।
- जगह–जगह कीचड़ फिसलन (काई), जल भराव, साँप–बिच्छू का बाहर आने की घटनाएँ होती हैं।
- मक्खी, मच्छर कीड़े–मकोड़ों की संख्या बढ़ जाती है।
- जानवरों और मनुश्यों मे ंचर्म रोग का खतरा बढ़ जाता है।
- बुखार खांसी जुकाम पेट संबंधी परेषानिया ंबढ़ जाती हैं।
- डायरिया, डेंगू, मलेरिया, हैजा की समस्याएं भी कई बार सामने आती हैं।
- बाढ़ के दौरान बढ़ गए मच्छर कीट पतंगों को खाने के लिए मेंढ़क की संख्या बढ़ जाती है और मेढ़कों को खाने के लिए सांप बाहर आ जाते हैं।
- गाँव में ज्यादातर लोग खुले में षौच के लिए जाते हैं, नमी के कारण मल जल्दी नहीं सूखता है। और उसमें कीटाणु पैदा होते हैं। रोगी व्यक्ति का मल संक्रमण की समस्या को बढ़ा देता है, इस कारण संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की संख्या भी बढ़ जाती है।

बाढ़ के दौरान होने वाली विभिन्न बीमारियाँ और उनकी रोकथाम

उद्देष्य : बाढ़ के दौरान होने वाली विभिन्न बीमारियों और उनकी रोकथाम पर सहभागियों की समझ बढ़ाना।

विशय वस्तु :

दूशित पानी से होने वाली बीमारियाँ

दूशित वातावरण से होने वाली बीमारियाँ

अन्य संक्रामक बीमारियाँ

पद्धति : खेल, छोटे समूह में चर्चा

प्रषिक्षण सामग्री : व्हाइट बोर्ड/फिल्प चार्ट, मार्कर, विभिन्न बीमारियों के चित्रकार्ड

प्रक्रिया :

सहभागियों से चर्चा करें कि बाढ़ के दौरान उनके क्षेत्र में कौन–कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं।

उनके उत्तरों को सम्मान देते हुए बताएं कि ये सभी बीमारियाँ ज्यादातर या तों दूशित पानी की वजह से होती हैं या वातावरण की गन्दगी से होती हैं या कीटाणुओं से फैलती है।

कमरे के तीन कोने इन अलग–अलग श्रेणियों–दूशित पानी की वजह से होने वाली बीमारियों, वातावरण की गन्दगी से होने वाली बीमारियों और कीटाणुओं से फैलने वाली बीमारियों के लिए तय कर दें।

सहभागियों में चित्र कार्ड बांट दें और उन्हें बतायें कि उन्हें अपने कार्ड पर लिखी हुई बीमारी के अनुसार तय करना है कि उनके चित्र कार्ड पर लिखी बीमारी दूशित पानी के कारण होती है, वातावरण की गन्दगी से होती है या फिर कीटाणुओं से होती है और उसी अनुसार उस श्रेणी के लिए तय किये गये कोनों में चले जाना है।

गन्दे पानी से होने वाली बीमारियाँ • टाइफाईड • पेचिस • कॉलरा • डायरिया • जिगर में संक्रमण जैसे–पीलिया • पेट के कीड़े • मलेरिया	**रोगी मनुश्य से दूसरे मनुश्य को होने वाली संक्रामक स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याएँ** • जुकाम/खांसी • बुखार • त्वचा सम्बधी रोग • हैजा • पेचिस/दस्त • तपेदिक (टी.बी.) • छोटी चेचक • डेंगू • मलेरिया
गन्दे वातावरण से होने वाली बीमारियाँ • वरत/पेचिस • पेट के कीड़े • पोलियो • डेंगू • त्वचा और आँखों को संक्रमण • टाइफाईड • छोटी चेचक	

अषुद्ध पानी और गन्दे वातावरण के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ

समस्याएं	संक्रमण	लक्षण	बचाव/उपचार
पेचिस	(रोगी के मलमूत्र से फैलने वाली समस्या) (जब रोगी खुले में षैच करता है और सवंमित मल के पीने के पानी में मिलने, उस पर मक्खियों के बैठने और उड़कर	पेट में दर्द पानी जैसा दस्त हल्का बुखार पेट में मरोड़ मल त्याग के दौरान दर्द जल्दी–जल्दी दस्त और खूनी दस्त	ओ.आर.एस. घोल पिलाएं बार–बार नमक चीनी का घोल पिलाएं बीच–बीच

	भोजन पर बैठन या फिर स्वस्थ मनुश्य के उस मल से संपर्क में आने से फैलती है।)		
टाईफाइड	रोगी के मल–मूत्र से फैलने वाली समस्या	डायरिया सिर दर्द बुखार (धीरे–धीरे बढ़ता है) उल्टी जी मिचलाना कमजोरी	खुले में रोगी षौच न करे। बाढ़ के पानी को सीधे न पिये रोगी के सम्पर्क में आने के बाद हाथ अवष्य धो लें।
हैजा	सवंमित रोगी द्वारा खुले में षौच करने से षौच पर मक्खियाँ बैठती है और धूल में मिल जाती है। मक्खियाँ और धूल खाने तथा पानी को गंदा करती हैं जब स्वस्थ्य मनुश्य मक्खियों और धूल से संक्रमित भोजन और पानी को पीता है तो उसको भी डायरिया हो जाता है।	पेट खराब पानी जैसे दस्त मल में खून और आंव हल्का बुखार षरीर में पानी की तेजी से कमी	खुले में षौच न करें। षौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें साफ पानी पिएं पीने का पानी लेने से पहले हाथ धो लें भोजन को ढ़क कर रखें खाने से पहले फल सब्जी का अच्छी तरह धो लें
पीलिया/जिगर में संक्रमण (Hepatitis)	संक्रमित रोगी की मल–मूत्र और खून के सम्पर्क में आने से।	जी मिचलाना उल्टी बुखार मूत्र का गाढ़ा और पीला होना मल का हल्का रंग थकान षरीर और पैरों में सूजन जिगर का सूज जाना त्वचा और आँखों का पीला पड़ना	पीलिया संक्रमित रोगी की षौच खुले में न फेंके। संक्रमित रोगी के सम्पर्क में आने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोएं षुद्ध और साफ पानी पिएं यह जानलेवा रोग है इसलिए डॉक्टर से तुरन्त सर्म्पक करें। लक्षण दिखने पर डाक्टरी सलाह पर जांच जरूर कराएं
पेट के कीड़े	ज्यादातर बच्चों में मिट्टी में खेलने और मिट्टी में गिरे खिलौने और खाने को बिना धोए/साफ किए मुंह में डालने से थ्बना अच्छे से धोए फल–सब्जी खाने से मच्छर से	ज़ुकाम बुखार भूख न लगना पेट में दर्द मिट्टी खाने की इच्छा वनज कम होना खून की कमी जी मिचलना बड़ी आंत में रूकावट	ग्ंदे पानी और खाने से बचें फल–सब्जी को अच्छे से धोकर खाएं मिट्टी में गिरी चीजें बिना धोए काम में न लाएं खाना खाने, पकाने में पहले हाथ अच्छे से धोएं कीड़े वाले मल का सही

		कब्ज पेट में गैस/अफरन थकान/ध्यान में कमी चिड़चिड़ापन त्वचा पर लाली	से निस्तारण करें। इधर–उधर न फेकं।
मलेरिया	मच्छर के काटने से		
डेंगू	मच्छर के काटने से डेंगू संक्रमित रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को	बुखार भूख न लगना पेट में दर्द मिट्टी खाने की इच्छा वनज कम होना खून की कमी जी मिचलना बड़ी आंत में रूकावट कब्ज पेट में गैस/अफरन थकान/ध्यान में कमी चिड़चिड़ापन त्वचा पर लाली बुखार ठंड लगना प्सीना आना सिर दर्द मांस पोषियों में दर्द जी मिचलाना उल्टी थकान चक्कर आना	आस–पास मच्छरों को पैदा न होने दें। सफाई रखें। पानी इक्ट्ठा न होने दें। अगर पानी भर गया हो तो दवा डालकर मच्छरों को मार दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। अस्पताल से मलेरिया रोधी दवा लें।
छोटी चेचक	श्रोगी मनुश्य से स्वस्थ मनुश्य में रोगी जब छींकता और खांसता है तो रोग के कीटाणु अन्य मनुश्य की सांस के साथ उसके षरीर में प्रवेष कर जाते हैं। श्रोगी के बिस्तर कपड़े आदि के सम्पर्क में आने से	जुकाम, बुखार और खांसी षरीर पर लाल चकत्ते नक का बहना घूट भरने में मुष्किल आखों में लाली थकान सिर दर्द जोड़ों में दर्द	मुंह पर रूमाल या कपड़ा रखकर छींके। नाक साफ करने के बाद हाथ धोएं खाना बनाने और खाने के स्थान के पास नाक साफ न करें, थूकें नही।

चर्म रोग (दाद, खुजली)	रोगी मनुश्य, जानवर और मिट्टी में उपस्थित फंगस से गंदे रहन–सहन से रोगी के तौलिए साबुन आदि निजी वस्तुओं के उपयोग से बरसात, उमस के कारण पसीना न सूखने से	त्वचा पर उस स्थान पर लालीा, खुजल, जलन त्वचा पर निषान	लक्षण दिखने पर तुरन्त डाक्टर से मिलें रोगी के आस–पास सफाई का विषेश ध्यान रखें रोगी के सम्पर्क में आने के बाद हाथों को अच्छे से धोएं। रोगी के कपड़े और निजी उपयोग की चीजें अलग रखें। व्यक्तिगत स्वच्छता रखें। पसीना पोंछते रहें

बचाव/उपचार

<u>षुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य टास्क फोर्स की भूमिका और जिम्मेदारियाँ</u>

उद्देष्य : षुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य टास्क फोर्स के रू‍प में भूमिका और जिम्मेदारियों पर सहभागियों की समझ बढ़ाना।

विशय वस्तु :

षुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य टास्क फोर्स की कार्ययोजना

पद्धति : छोटे समूह में चर्चा

प्रषिक्षण सामग्री : व्हाइट बोर्ड/फिलप चार्ट, मार्कर

प्रक्रिया :

सहभागियों को बताएं कि अपने गाँव में आपदा प्रबंधन रणनीति के अंतर्गत जल एवं स्वच्छता टास्क फोर्स के सदस्य के रू‍प में उनकी भूमिका तीन स्तरों पर होती है :–

आपदा से पहले यानी कि आपदापूर्व।

आपदा के दौरान तथा

आपदा के बाद

सहभागियों को तीन छोटे समूहों में बाँट दें। एक समूह को बाढ़ से पहले, दूसरे समूह को बाढ़ के दौरान और तीसरे समूह को बाढ़ के बाद षुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य टास्क फोर्स के रू‍प में उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व पर चर्चा करने के लिय कहें।

चर्चा के लिए 15 मिनट का समय दें।

चर्चा के दौरान प्रषिक्षक मदद करें कि समूह विशय से भटकने न पाएं।

चर्चा के बाद प्रत्येक समूह से अपनी चर्चा के बिन्दुओं को प्रस्तुत करने को कहें।

चर्चा में निकलकर आए बिन्दुओं में छूट गये बिन्दुओं को जोडते हुए बाढ़ से पहले बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद षुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य टास्क फोर्स की भूमिका और उत्तरदायित्व को समेकित करें।

षुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य टास्क फोर्स की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

आपदा से पहले यानी कि आपदा से पूर्व।

आपदा के दौरान

आपदा के बाद

समुदाय के लोगों को षुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबधित जानकारी दे कर उन्हें जागरूक करना।

पानी को षुद्ध करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन की गोलियों की आपूर्त्ति।

बड़े पानी के स्रोतो को षुद्ध करने के लिए प्र्याप्त मात्रा में चूने का प्रयोग।

आपदा के समय जिन सुरक्षित स्थलों पर लोग आश्रय लेते हैं उन स्थानों पर प्र्याप्त मात्रा में पानी के टैंकों, केन तथा बोतल आदि में पानी की व्यवस्था

सुनिष्चित करना कि आपके पास तथा गाँव के लोगों के पास उन लोगों के फोन नम्बर तथा संपर्क नंबर उपलब्ध हों जिनसे जरूरत के समय पानी की उपलब्धता के लिए संपर्क किया जा सकता है।

समुदाय को इस प्रकार से जागरूक करना कि आकस्मिक जरूरत के समय वो किस प्रकार से पानी को षुद्ध करके इस्तेमाल कर सकते हैं

सुनिष्चित करना कि सरकार तथा दूसरे विभागों के समन्वय से पर्याप्त मात्रा में आपदा से बचाव के लिए ऊँचे प्लेटफार्म, गहरे टयूबवेल, आदि का निर्माण हो सके।

स्थानीय प्रषासन से मदद ले कर सुरक्षित आश्रय स्थलों पर तथा समुदाय के घरों में षौचालय जैसे स्वच्छता के साधनों का विकास करना

पर्याप्त मात्रा में पानी तथा पानी के साधनों की उपलब्धता सुनिष्चित करना

सुनिष्चित करना कि सुरक्षित आश्रय स्थलों पर षौचालय आदि साफ तथा प्रयोग करने की स्थिति में हों

बन्धे पर साफ–सफाई रखने के लिए लोगों को प्रेरित करना और कूड़े–कचरे का प्रबन्ध करना

पानी के स्रोतों तथा पाईप आदि की मरम्मत का काम जितना जल्दी हो सके

चूने या अन्य किसी साधन का प्रयोग करके पानी के बड़े स्रातों का षुद्धिकरण

सरकारी विभागों से समन्वय करके पानी के विभिन्न स्रोतों से पानी के नमूनों की जाँच आदि की व्यवस्था सुनिष्चित करना

सुनिष्चित करना कि पानी का वितरण तथा सभी स्रोतों पर सबकी पहुँच सुनिष्चित हो सके

सुनिष्चित करना कि राहत षिवरों में नहाने तथा षौचालय आदि के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलबध हो सके

इस प्रकार की व्यवस्था करना कि राहत षिवरों कि वो महिलाओं के लिए स्नानागार की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करे

ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य रसायनों का छिड़काव जिससे कि संक्रमण से बचाव किया जा सके

सुनिष्चित करना कि कूड़ा कचड़ा आदि का उचित प्रबंधन हो जैसे कि उन्हें या तो कूड़ों के डब्बों में अलग से रखा जाए या फिर उनको सही तरीके से जला दिया जाए

सुनिष्चित करना कि आस पास अस्पताल या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा कचरा न फैला हो जैसे कि प्रयोग की हुई सुईयाँ, रूई तथा दवाईयाँ आदि

प्राथमिक चिकित्सा टास्क फोर्स से समन्वय स्थापित करके लोगों को टीकाकरण तथा बचाव आदि की जानकारी प्रदान करना तथा इससे संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना जिससे कि लोगों को पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।

स्थानीय प्रषासन तथा लोगों के सहयोग से आस–पास अस्थाई षोख्ता गड्ढ़ो (षोकपीट) का निर्माण करना जिससे कि घरों तथा आस पास से निकलने वाले पानी का प्रबंधन किया जा सके।

मृत पषुओं तथा अन्य गंदगीयों का जल्द से जल्द निस्तारण करना

अगर क्षेत्र में कोई मृत्यु हुई है तो उसकी सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करा कर लोगों के सहयोग से उसका अंतिम संस्कार सुनिष्चित करना।

- सहभागियों को उदाहरण देते हुए बताएं कि जिस तरह घर में षादी या अन्य किसी पारिवारिक समारोह को अच्छी तरह सम्पन्न करने के लिये हम महीनों पहले से उसकी तैयारी करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं–जैसे कौन सा काम किसके जिम्मे होगा, क्या सामान कहाँ से और कैसे आएगा, ठीक उसी तरह प्राथमिक उपचार टास्क फोर्स के रू‍प में हम अपनी जिम्मेदारियों को सुचारू रू‍प से निभा सकें, इसके लिये भी एक कार्य योजना बनाना बहुत जरूरी है।
- चर्चा करें कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये हमारी क्या कार्ययोजना होना चाहिए।
- एक–एक भूमिका को लेते हुए उनके लिये कार्य योजना पर चर्चा करें और बताएं कि अभी हम एक माह की कार्ययोजना बनाएंगे।

षुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य टास्क फोर्स की कार्ययोजना

क्र.स.	काम	कौन करेगा	क्या करेगा	क्ब करेगा
1.				
2.				
3.				
4.				

5.				
6.				
7th				
8.				
9.				
10.				
11.				

मूल्यांकन प्रपत्र का इस्तेमाल करते हुए प्रषिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करें।

राहत–खोज बचाव एवं ग्राम सुरक्षा टास्क फोर्स

खोज और बचाव : एक परिचय

उद्देष्य : सहभागियों को खोज एवं बचाव कार्य के उद्देष्य, टास्क फोर्स के गठन और खोज एवं बचाव कार्य की प्रक्रिया से परिचित कराना।

विशय वस्तु :

- खोज एवं बचाव का परिचय
- खोज एवं बचाव कार्य का उद्देष्य
- खोज एवं बचाव टास्क फोर्स का गठन
- खोज एवं बचाव कार्य की प्रक्रिया

पद्धति : बड़े समूह में चर्चा और भाशण

प्रषिक्षण स्थान : प्रषिक्षण कक्ष

प्रषिक्षण सामग्री : व्हाइट बोर्ड/फिलप चार्ट, मार्कर

प्रक्रिया :

सहभागियों से चर्चा करें कि खोज एवं बचाव कार्य से वो क्या सकझते हैं और उनके गाँव या पुरवा में बाढ़ आने पर सामूहिक रूप से खोज एवं बचाव के लिये क्या कोषिष की जाती है।

उनके उत्तरों को सम्मान देते हुए बताएं कि खोज एवं बचाव एक तकनीकी कार्य है जिसके लिये विषेश प्रषिक्षण की जरूरत होती है।

सहभागियों को खोज एवं बचाव कार्य के उद्देष्यों को बताएं कि खोज और बचाव कार्य का मुख्य उद्देष्य है–

किसी भी प्रकार की आपदा या दुर्घटना में फँसे लोगों को खोजना और बाहर निकालना।

दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिये अस्थाई षरण–स्थल की व्यवस्था करना।

मृतकों को बाहर निकालना।

लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाना।

सहभागियों को बताएं कि खोज एवं बचाव कार्य को सम्मिलित और व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हमें खोज एवं बचाव टास्क फोर्स का गठन ऐसे लोगों को लेकर करना चाहिए जो–

षारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह मजबूत हों।

खोज एवं बचाव का काम (आपदा के समय) करने की इच्छा रखता हो।

महिलाओं को भी टास्क फोर्स में जगह दें।

अगर आपके गाँव या पुरवा में कोई सेवानिवृत्त सेना या पुलिस कर्मचारी हो और षारिक व मानसिक रूप से खोज एवं बचाव देने के लिये सही और तैयार हो तो उसे टास्क फोर्स में षामिल करें।

साथ ही बताएं कि टास्क फोर्स के गठन के बाद हमें टास्क फोर्स का एक नेता और एक उपनेता चुन लेना चाहिए।

खोज और बचाव के लिये हमें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिये, ये बताएं।

खोज और बचाव कार्य की प्रक्रिया :

खोज और बचाव कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए।

1– नुकसान का आंकलन : खोज और बचाव का काम षुरू करने से पहले नुकसान का आंकलन करना जरूरी है। ये आंकलन दो तरीके से किया जा सकता है।

स्थानीय लोगों या ग्राम प्रधान से इस बाते में जानकारी लेकर।

अपने अवलोकन द्वारा–देखकर, सुनकर और महसूस करके।

2– योजना बनाना : खोज और बचाव एक संगठित काम है जिसके लिए टास्क फोर्स के सभी सदस्यों में आपसी समन्वय और एक सुव्यवस्थित योजना की जरूरत होती है। आंकलन के बाद हमें खोज और बचाव का काम करने के लिए–

ळमारे पास कितने लोग हैं।

ळमारे पास क्या संसाधन है।

ळम किन तरीकों को अपना सकते हैं।

3– खोज और बचाव कार्य : इन तीन बातों पर आधारित योजना के बन जाने के बाद, टास्क फोर्स को खोज और बचाव का काम अपनी योजना के अनुसार षुरू करना चाहिए।

पषुधन का बचाव

उद्देष्य : पषुधन के बचाव और सुरक्षा पर सहभागियों की समझा बढ़ाना।

विशय वस्तु :

पषुधन के बचाव के तरीके।

पषुधन के बचाव में समस्यायें।

पषुधन के बचाव में समस्याओं को समाधान।

पद्धति : बड़े समूह में चर्चा और भाशण।

प्रषिक्षण स्थान : प्रषिक्षण कक्ष

प्रषिक्षण सामग्री : व्हाइट बोर्ड/फिलप चार्ट, मार्कर

प्रक्रिया :

सहभागियों से चर्चा करें कि बाढ़ आने पर हम सबसे पहले अपने पषुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाते हैं क्योंकि पषुओं से हमारी जीविका भी जुड़ी होती है, इसलिये खोज और बचाव में भी हम सबसे पहले पषुधन के खोज और बचाव के बारे में बात करेंगे।

सहभागियों में पषुओं के चित्र वाले कोर्ड बाँट दें।

सहभागियों से कहें कि बाकी सहभागियों से अपने चित्र कार्ड मिलाएं और इस तरह जितने पषुओं के चित्र बाँटे गए हैं उतने समूह बना लें।

प्रषिक्षक एक–एक करके पषुओं का नाम बोलें।

जिस समूह के सभी सहयातगियों के पास उस पषु का चित्र हो, वो समूह बताए कि बाढ़ के दौरान उस पषु को बचाने के लिये वो क्या करते हैं और उन्हें क्या समस्याएं आती हैं।

सभी समूहों के साथ बड़े समूह में चर्चा करें कि इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है।

इस तरह सभी पषुओं का नाम बोलने और उसके बचाव पर चर्चा करने के प्रषिक्षक सभी समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण और समूह में चर्चा के मुख्य बिन्दुओं को क्रमषः पषुधन बचाव के तरीके, बचाव में समस्याएं और समस्याओं का समाधान के अंतर्गत समेकित करें।

प्रषिक्षक के लिए नोट : स्थानीय पषुओं के चित्र कार्ड पहले से बना लें।

खोज एवं बचाव टास्क फोर्स की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

उद्देष्य : सहभागियों को खोज और बचाव टास्क फोर्स के रूप में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों पर समझ।

विशय वस्तु :

- खोज और बचाव टास्क फोर्स की भूमिका।
- खोज और बचाव टास्क फोर्स की कार्ययोजना।

पद्धति : छोटे समूह में चर्चा।

प्रषिक्षण स्थान : प्रषिक्षण कक्ष

प्रषिक्षण सामग्री : व्हाइट बोर्ड/फिलप चार्ट, मार्कर

प्रक्रिया :

- सहभागियों के बड़े समूह को तीन छोटे समूहों में बाँट दें।

- एक समूह को बाढ़ से पहले खोज और बचाव टास्क फोर्स की भूमिका और जिम्मदारियों पर, दूसरे को बाढ़ के दौरान और तीसरे को बाढ़ के बाद खोज और बचाव टास्क फोर्स की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के कहें।
- सहभागियों को मदद करें कि वो चर्चा के दौरान विशय से भटकने न पाएं।
- चर्चा के लिए 15 मिनट का समय दें।
- चर्चा के बाद प्रत्येक समूह से अपनी चर्चा के मुख्य बिन्दुओं को प्रस्तुत करने के लिये कहें।
- छूट गए बिन्दुओं को जोड़ते हुए चर्चा को खोज एवं बचाव टास्क फोर्स की भूमिका और जिम्मेदारियों के अंतर्गत समेकित करें।

खोज एवं बचाव टास्क फोर्स की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

बाढ़ से पहले :

- ब्चाव के सभी उपकरण तैयार रखना।
- बचाव किट तैयार रखना।
- सुरक्षित जगत पहले से चिन्हित करके रखना।
- अपने परिवार के बचाव की योजना तैयार करके रखना।
- सरकारी अधिकारियों और अन्य जरूरी फोन नम्बर की सूची तैयार रखना।
- समुदाय में विषेश जरूरत वाले लोगों जैसे–विकलांगों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जानकारी रखना।
- समुदाय को खोज और बचाव के महत्व पर जागरूक करते रहना।
- विभिन्न टास्क फोर्स से समय–समय पर मिलते रहना।

बाढ़ के दौरान :

- फँसे हुए लोगों को खोजकर बाहर निकालना और सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना।
- ज्रूरतमंद लोगों को–विकलांगों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों सही तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना।
- जरूरत पड़ने पर लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- विभिन्न टास्क फोर्स विषेश रू‍ से प्राथमिक उपचार टास्क फोर्स के साथ समन्वय रखना।
- बाढ़ की स्थिति की हर पल की जानकारी रखना।
- सरकार द्वारा बाढ़ पर दी जाने वाली किसी भी प्रकार जानकारी पर ध्यान रखना।

बाढ़ के बाद :

- बाढ़ के द्वारा हुए नुकसान का आंकलन।
  - चर्चा करें कि किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ती है, इसी तरह खोजन और बचाव टास्क फोर्स के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये हमें एक कार्ययोजना तैयार कर लेनी चाहिये।
  - सहभागियों को कार्य योजना का खाका तैयार करने को कहे और उसमें उनकी मदद करें।

खोज और बचाव टास्क फोर्स की कार्ययोजना

क्या करना है	कैसे करना है	कौन करेगा	कब करेगा

⇒ सहभागियों को पंचायत के अनुसार समूहों में बाँट दें और कार्ययोजना के खाके के अनुसार अपनी–अपनी पंचायत की कार्ययोजना तैयार करने को कहें।

समुदाय की आपदा पूर्व तैयारी और आपदा से बचाव हेतु परामर्श पुस्तिका

1

सुरजनलाल की
पूर्व चेतावनी

सुरजनलाल की पूर्व चेतावनी

राहतपुरवा और दुखनपुरवा दो पड़ोसी गाँव हैं, जो मगरा नदी के किनारे बसे हैं। यह नदी इन दोनों गांवों के साथ इलाके के कई गाँव में हर साल बाढ़ लाती है। साथ ही नदी का हर साल अपना रास्ता बदलने का भी स्वभाव है। इस कारण कभी बांयी तरफ तो कभी दांयी तरफ की खेती योग्य जमीन कट जाती है। करीब बीस साल पहले बाढ़ से बचाव के लिए एक तटबंध बनाया गया था। उससे पहले ये नदी बहुत बड़े इलाके में बाढ़ लाती थी। राहतपुरवा और दुखनपुरवा दोनों गांवों के हर एक तरफ तटबंध है और दूसरी तरफ नदी या यूँ कहे कि दोनों गाँव नदी और तरबंध के बीच पड़ते हैं। इन दोनों गाँवों की कहानी के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि, दोनों ही गांवों में आपदा से बचाव और उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी देने वाली एक गैर सरकारी संस्था ने सम्पर्क किया था। राहतपुरवा के लोगों ने संस्था की बातों को सुना समझा और अमल में लाया, जबकि दुखनपुरवा के लोगों ने संस्था की बातों को हवा में उड़ा दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कि बाढ़ आने पर दोनों गांवों में क्या–क्या हुआ। राहतपुरवा में गैर सरकारी

संस्था की मदद से पांच विषयों पर लोगों के बीच समझ बनी और इन विषयों पर कार्यदल का गठन किया गया। संस्था द्वारास कार्यदलों के सभी सदस्यों को आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच विषयों (पूर्व चेतावनी, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, शुद्ध पेयजल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक जुड़ाव) पर अलग–अलग प्रक्षिशण दिया गया। प्रशिक्षोपरांत कार्यदल के इन सदस्यों ने संस्था द्वारा बताए गए कार्ययोजना के अनुसार आपदा प्रबंधन की दिशा में बाकी कार्यदलों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तिका में हम लोग पूर्व चेतावनी कार्यदल के बारे में जानेंगे। राहतपुरवा पूर्व चेतावनी कार्यदल के एक सदस्य का नाम सुरजनलाल है।

गैर सरकारी संस्था के सदस्यों ने राहतपुरवा में कई बैठक की, इन बैठकों में सामने आया कि अगर पूर्व जानकारी मिल जाये तो गांव वाले अपने आप ही बचाव के कई इंतजाम करनें में सक्षम हैं। लेकिन गांव वालों के पास कोई कारगर पूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं हैं अतः पूर्व चेतावनी कार्यदल ने राहतपुरवा निवासियों को प्रभावी पूर्व चेतावनी और पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में समझाया। इसके बाद गांव वालों ने एक राहतपुरवा विकास समिति की बैठक के दौरान **'पूर्व चेतावनी कार्यदल'** का गठन किया और सुरजनलाल को गैर सरकारी संस्था की तरफ से पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। गैर सरकारी संस्था द्वारा विभिन्न पंचायतों के पूर्व चेतावनी कार्यदल के सदस्यों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसममें सुरजनलाल भी शामिल हुआ।

सुरजनलाल और कार्यदल के अन्य सदस्यों ने प्रशिक्षण पाने के बाद पहले राहतपुरवा के निवासियों के बीच पूर्व चेतावनी की जरूरत और महत्व पर चर्चा करना सुनिश्चित किया। इसके लिए सुरजनलाल ने अपने ही घर पर गांव वालों की बैठक बुलाई और उन्हें संकट और आपदा के भेद को समझाया। साथ ही पूर्व चेतावनी का मतलब समझाते हुए बताया कि किसी भी होने वाली घटना (जो जान–माल का नुकसान पहुंचा सकती है) के बारे में पहले और समय से सचेत कर देना, जिससे उस घटना के नुकसान और जोखिम को कम किया जा सके, **'पूर्व चेतावनी'** कहलाती है। जब पूर्व चेतावनी देने के लिए कोई सरकारी या तकनीकी व्यवस्था हो तो उसे पूर्व चेतावनी प्रणाली कहते हैं।

सुरजन लाल ने अगली बैठक में कार्यदल के अन्य सदस्य के सहयोग से पूर्व चेतावनी के चार मौलिक तत्वों के बारे में बताया। पहला **'खतरे की जानकारी'** जिसके अन्तर्गत क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को समझा जाता है जैसे–राहतपुरवा में कौन–कौन सी आपदा आ सकती है और उससे कौन लोग पहले प्रभावित होंगे और पूर्व में कौन सी आपदायें क्षेत्र को प्रभावित करती रही हैं और कितने अन्तराज पर, यह सब जानकारी आपदा का अनुमान लगाने और पूर्व तैयारी में सहायक होती हैं। अगला मौलिक तत्व है **'चेतावनी के माध्यम'** जिसके तहत प्राकृतिक संकेतों को भी चेतावनी के माध्यम के रूप में देखा जाता है जैसे अगर बारिश बहुत अधिक और लगातार हो रही है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बाढ़ आ सकती है। जब कई माध्यम से चेतावनी की पुष्टि हो जाये तो उसका प्रसार करना जरूरी होता है, इसे चेतावनी का प्रसार कहा जाता है। चौथा मौलिक तत्व है 'चेतावनी पर समुदाय की बचाव क्षमता'। इसका उद्देश्य है कि चेतावनी मिलने पर समुदाय आपदा से अपने बचाव की तैयारी शुरू कर दें। सुरजनलाल ने गांव वालों को बताया कि पूर्व चेतावनी प्रणाली तभी सफल मानी जाती है जब पूर्व चेतावनी मिलने पर समुदाय में तत्परता से अपने बचाव की क्षमता विकसित हो जाए।

सुरजनलाल और कार्यदल के अन्य सदस्यों ने राहतपुरवा में घूम–घूमकर ग्रामवासियों को प्रेरित किया कि वे बारिश के दिनों में रेडियो और अखबार के माध्यम से बाढ़ की स्थिति जानने का प्रयास करतें रहे, ऐसा करने से समुदाय समय रहते अपना बचाव कर सकेगा। दूसरा तरफ दुखनपुरवा में लोगों ने बाढ़ की पूर्व चेतावनी पाने के कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं किये।

सुरजनलाल और कार्यदल के सदस्यों ने बरसात के मौसम में, प्रधान और बी0डी0ओ0 साहब से अपना सम्पक बनाए रखा और साथ ही एक सूचना रजिस्टर भी बनाया जिसमें प्रधान बी0डी0ओ0 साहब, आपदा बाबू और आपदा प्रकोष्ठ के विभिन्न अधिकारियों के फोन नम्बर दर्ज किये। यह सूचना रजिस्टर सुरजनलाल के घर पर ही रखा गया ओर ग्रामवासियों को बताया गया कि कोई भी आपदा के समय रजिस्अर में दर्ज फोन नम्बरों पर संपर्क कर बाढ़ की जानकारी ले सकता है।

गैर सरकारी संस्था ने सुरजनलाल सहित कार्यदल को एक मेगाफोन और साइरन भी दिया ताकि बाढ़ की पूर्व चेतावनी मिलते ही राहतपुरवा में पूर्व चेतावनी पाने के लिए दो तरफ तैयारी की गयी, एक सरकार के स्तर से वर्तमान के अनुसार सूचना आना और पूर्व चेतावनी कार्यदल के सदस्यों द्वारा दिये गये मेगाफोन और साइरन के माध्यम से

समुदाय तक पहुंचना, दूसरी तरफ समुदाय के स्तर से पूर्व चेतावनी कार्यदल के माध्यम से प्रधान और सरकारी अधिकारियों के सम्पर्क में रहकर खुद ही बारिश और बाढ़ पर नजर रखना।

अगस्त माह की 2 तारीख को राहतपुरवास में रहने वाले तेरह वर्षीय नन्दू ने रेडियो पर नेपाल में मूसलाधार बारिश का समाचार सुना और उसने तुरन्त ही सुरजनलाल को इसकी सूचना दी। सुरजनलाल ने भी तत्परता से पूर्व चेतावनी कार्यदल के सदस्यों को बुलाया और विभिन्न माध्यमों से यह जानने का प्रयास किया कि क्या नेपाल की बारिश के कारण उनके गांव में भी बाढ़ आ सकती है। इस प्रक्रिया में आपदा बाबू से सुरजनलाल को ज्ञात हुआ कि राहतपुरवा सहित इलाके में बाढ़ आ सकती है। क्योंकि नेपाल स्थित बैराज से पानी छोड़े जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने स्तर से सजग रहें और जब पानी छोड़ा जायेगा तो वे स्वयं जानकारी देंगे। राहतपुरवा के कुछ लोगों ने दुखनपुरवा के लोगों को भी इस बारें में बताया लेकिन उन लोगों ने कहा कि बिन बारिश बाढ़ कहां से आयेगी?

3 अगस्त को प्रातः चार बजे सुरजनलाल और कार्यदल के सदस्यों के फोन पर बाढ़ आने की सूचना आ गयी, सरकार की तरफ से जानकारी मिली कि आठ घण्टों में राहतपुरवा सहित अन्य गांवों में चार से पांच फिट पानी होगा। जानकारी मिलतें ही पूरा पूर्व चेतावनी कार्यदल पूर्व में बनायी गयी अपनी आपदा योजना के अनुसार कार्य करने लगा। एक कार्यदल सदस्य मेगाफोन लेकर ग्रामवासियां को पूर्व चेतावनी देने निकल पड़ा, दूसरा सदस्य साइरन बजाने दौड़ा, जबकि तीन सदस्य अन्य कार्यदलों को सचेत करने और आपदा योजना बनाने के लिए चल दिए। सुरजनलाल निःसहाय लोगों/समूहों तक पूर्व चेतावनी देने पहुंचे और वे सुरक्षित स्थल की तरफ जायें, इसका जिम्मा उठाया जबकि कार्यदल के अन्य सदस्यों ने बाढ़ की पल–पल जानकारी हासिल करने का काम लिया।

पूर्व चेतावनी कार्यदल की जागरूकता और व्यवस्थित प्रयासों के कारण पूरा राहतपुरवा प्रातः दस बजे तक अपने जरूरी सामान और पशुओं के साथ सुरक्षित तटबंध तक पहुंच गया थां यही नहीं कार्यदल ने राहतपुरवा के पास के गांव में भी पूर्व चेतावनी पहुंचा दी थी। लेकिन अन्य गांवों में (जिसमें दुखनपुरवा भी सम्मिलित है) पूर्व चेतावनी मिलने पर समुदाय की बचाव क्षमता का विकास न होने के कारण पूर्व चेतावनी की गम्भीरता को नहीं समझा और इस कारण लोगों को धन–सम्पत्ति का नुकसान उठाना पड़ा।

राहतपुरवा निवासियों ने महसूस किया कि पूर्व चेतावनी कार्यदल की बात मानने के कारण उनका बाढ़ से नुकसान बहुत कम हुआ जबकि अन्य गांवों की स्थिति पहले जैसी ही हुई। इस घटना के बाद राहतपुरवा निवासियों ने निश्चय किया कि वे पूर्व चेतावनी कार्यदल के साथ पूरा सहयोग करेंगे, गैर सरकारी संस्था द्वारा दिए गए तकनीकी संसाधनों की भी देखभाल पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। उधर दुखनपुरवा में भी नुकसान उठाने के बाद समुदायय को प्रभावकारी पूर्व चेतावनी का महत्व समझ में आया और उन्होंने अपने गांव में भी प्रभावकारी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया।

राम सेवक सेवा

प्राथमिक उपचार

राहतपुरवा और दुखनपुरवा दो पड़ोसी गाँव है, जो मगरा नदी के किनारी बसे हैं। यह नदी इन दोनों गाँवों के साथ इलाके के कई गाँव में हर साल बाढ़ लाती है। साथ ही नदी का हर साल अपना रास्ता बदलने का भी स्वभाव है। इस कारण कभी बांयीं तरफ तो कभी दांयी तरफ की खेती योग्य जमीन कट जाती है। करीब बीस साल पहले मगरा नदी पर एक तटबंध बनाया गया था। उससे पहले ये नदी बहुत बड़े इलाके में बाढ़ लाती थी। राहतपुरवा और दुखनपुरवा दोनों गाँव को कहानी के लिए इसलिए चुना गया, क्योंकि दोनों ही गाँवों में आपदा बचाव और प्रबंधन के बारे में जानकारी देने वाली एक गैर सरकारी संस्था ने सम्पर्क किया था। राहतपुरवा के लोगों ने संस्था की बातों को सुना समझाा और अमल में लाया जबकि दुखनपुरवा के लोगों ने संस्था की ताबों को हवा में उड़ा दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कि बाढ़ आने पर दोनों गांवों में क्या हुआ। राहतपुरवा में गैर सरकारी संस्था की मदद से पांच विशयों पर लोगों के बीच समझ बनी और इन विशयों पर कार्यदलों का भी गठन किया गया। संस्था द्वारा कार्यदलों के सभी सदस्यों को आपदा प्रबंधन से जुड़े पाँच विशयों (पूर्व चेतावनी, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, षुद्ध पेयजल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक जुड़ाव) पर अलग–अलग प्रषिक्षण दिया गय। प्रषिक्षणोपरांत कार्यदल के इन सदस्यों ने संसथा द्वारा बताए गए कार्ययोजना के अनुसार आपदा प्रबंधन की दिषा में बाकी कार्यदलों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना प्रारंभ कर दिया।

इस पुस्ताका में हम लोग प्राथमिक उपचार कार्यदल के बारे में जानेंगे। राहतपुरवा प्राथमिक उपचार कार्यदल के एक सदस्य का नाम श्री राम सेवक है, इस कार्यदल में कुल नौ सदस्य है।

गैर सरकारी संस्था ने राहतपुरवा गाँव के लोगों के साथ कई बैठक की, उनको प्राथमिक उपचार की उपयेगिता और महत्व के बारे में बताया। गाँव वालों ने संस्था की मदद से एक ''राहतपुरवा विकास समिति'' का गठन किया, इस समिति के रामसेवक को प्राथमिक उपचार कार्यदल में लिया गया और उसे प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रषिक्षण दिया गया। जबकि दूसरी तरफ दुखनपुरवा में लोगों ने संस्था के लोगों को बात करने का समय नहीं दिया। गैर सरकारी संस्था के लोगों को बता करने का समय नहीं दिया। गैर सरकारी संस्था द्वारा विभिन्न पंचायतों के प्राथमिक उपचार कार्यदल के सदस्यों के लिए एक विषेश प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रामसेवक भी षामिल हुआ।

रामसेवक प्रषिक्षण पाने के बाद राहतपुरवा के घर–घर गया और लोगों को इकट्ठा करके बताया कि चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे देना चाहिए, डूबने से बचार गए व्यक्ति के सचेत होने की जाँच कैसे करें, यह कैसे जांचे कि सांस की नली में रूकावट तो नहीं सांस ठीक से आ रही है या नहीं और नब्ज चल रही है या नहीं।

एक बार जब रामसेवक राहतपुरवा के दौर पर था तभी राजकुमारी के बेटे के हाथ में चोट लग गयी। रामसेवक ने राजकुमारी के घर पहुंचकर तुरन्त उसके बेटे का प्राथमिक उपचार किया। कुछ दिनों बाद पता चला कि राजकुमारी का बेटा अब पूरी तरह ठीक है।

रामसेवक बीच–बीच में प्रधान से मिलता रहा और अपने ''जानकारी रजिस्टर'' में राहतपुरवा की ''आषा बहू'' और आंगनबाड़ी कार्यकत्री का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर दर्ज किया। साथ ही रामसेवक ने राहतपुरवा के उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक–स्वास्थ्य केन्दप्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमषः काम करने वाली ए.एन.एम., चिकित्साधिकारियों और पैरा–मेडिकल कर्मचारियों के नाम पता और टेलिफोन नम्बर अपने ''जानकारी रजिस्टर'' में नोट कर लिए, ताकि आपदा के समय जरूरत पड़ने पर उनकी मदद ली जा सके। रामसेवक ने राहतपुरवा में अपने दौरे के समय कार्यदल के अन्य सदस्यों और गाँव वालों की सहमति से राहतपुरवा और तटबंध पर प्राथमिक चिकित्सा के लिए जगह चिन्हित कर ली। अब रामसेवक और कार्यदल के सदस्य राहतपुरवा में चिन्हित जगह पर ही अपनी बैठकें करते हैं।

श्रामसेवक और कार्यदल के सदस्य अपनी हर बैठकों के दौरान प्राथमिक चिकित्सा स्थल पर रखे फर्स्ट एड बॉक्स की जांच करते हैं और इस बात की जानकारी रखते हैं कि दवाईयाँ, पट्टी, ड्रेसिंग आदि सामान है या नहीं। जो सामान खत्म हो गया है उसकी सूची भी बनाते हैं।

रामसेवक और प्राथमिक उपचार कार्यदल ने सावन का महीना षुरू होने से पन्द्रह दिन पहले राहतपुरवा में एक सघन बैठक की और गाँव वालों को एक बार फिर प्राथमिक उपचार के महत्व के बारे में बताया और बाढ़ के दौरान ध्यान रखने योग्य बातों को याद दिलाया, जैसे–चोट लगने पर तुरन्त उसका उपचार करना, बिना किसी प्रकार के भेदभाव

के दूसरों की मदद करना। समुदाय में बैठक के दूसरे दिन रामसेवक ने कार्यदल के कुछ सदस्यों के साथ उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक–स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का पुनः दौरा किय। ए.एन.एम. और चिकित्सा अधिकारियों से मुलाकात की अपनी तैयारियों के बारे में बताया और सरकार की तैयारियों के बारे में भी जानने की कोषिष की। वहीं दूसरी तरफ दुखनपुरवा में आपदा (बाढ़) से निपटने की कोई सामूहिक तैयारी नहीं की जा रही थी, सभी अपने–अपने काम में व्यस्थ थे।

अगस्त माह में जब मौसम की पहली बाढ़ आयी तब राहतपुरवा में गाँव वालों और प्राथमिक उपचार कार्यदल की सतर्कता के कारण जिनको भी चोट लगी थी या साँप ने काटा था, उचित उपचार के कारण कोई विषेश नुकसान नहीं हुआ था। जबकि गाँव वालों से पता चला कि दुखनपुरवा में साँप काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी है।

अगस्त माह के अनत में एक बार फिर बाढ़ आयी, इस बार बाढ़ गम्भीर थी और गाँव वालों को गाँव छोड़कर तटबन्ध पर जाना पड़ा और इस बार राम सेवक और प्राथमिक उपचार कार्यदल के चार सदस्य पहले से ही तटबन्ध पर बने अस्थाई प्राथमिक उपचार स्थल पर मौजूद थे, जबकि तीन सदस्य राहतपुरवा में बचे हुए लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवष्यकताओं का ध्यान रख रहे थे। जबकि दुखनपुरवा के लोग भी किसी तरह तटबंध पर पहुंचे थे और स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी न होने के कारण मुष्किलों का सामना कर रहे थे।

प्राथमिक उपचार कार्यदल ने सभी जरूरतमंदों को बिना किसी भी प्रकार के अलगाव के प्राथमिक उपचार दिया। साथ ही किस–किस को कौन सी समस्या के लिए प्राथमिक उपचार दिया गया यह जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज कर ली गयी।

बाढ़ के दौरान जब राहतपुरवा के गाँव वाले तटबंध पर रह रहे थे, रामसेवक और प्राथमिक उपचार कार्यदल के सदस्य अन्य कार्यदलों से रोज मिलते रहे ताकि सभी एक एक–दूसरे की योजना और कार्यवाही की जानकारी रहे।

बाढ़ से पहले, बाढ़ के बाद ''राहतपुरवा विकास समिति'' की बैठकों में भी रामसेवक या प्राथमिक उपचार कायर्यदल कोई न कोई सदस्य जरूर भाग लेता रहा, ताकि ''प्राथमिक उपचार कार्य दल'' की आवष्यकताओं और उनके प्रयासों की जानकारी पुरवा के सभी लोगों को मिलती रहे।

बााढ़ के बाद प्राथमिक उपचार कार्यदल की एक बैठक बुलायी गयी जिसमें बाढ़ के दौरान कार्यदल के काम की समीक्षा की गयी और आगे के महीनों के लिए कार्यदल ने एक कार्ययोजना बनायी।

बाढ़ के बाद रामसेवक और कार्यदल के साथ दुखनपुरवा में रहने वाले अपने एक परिचित के बुलाने पर वहां गए तो पता चला कि बाढ़ में सांप के काटने से दो व्यक्ति और तीन जानवरों की मौत हो गयी, लगभग सभी घरों में कोई न कोई बीमार है किसी को जुकाम–खांसी, बुखार तो किसी को चर्म रोग या किसी को चोट बारिष के दौरान सड़ गयी है। यह सब देखने के बाद रामसेवक और साथियों को एहसास हुआ कि गैर सरकारी संस्था की बात मानकर प्राथमिक उपचार कार्यदल बनाने के कारण इस बार बाढ़ के बाद उनके राहतपुरवा में बीमार पड़ने वालों की संख्या बहुत कम रही वरना हर साल जो दुखनपुरवा का हाल है वही उनके गाँव का भी होता था।

आपदा प्रबंधन में विभिन्न विभागों/स्टेकहोल्डर्स की भूमिका

(जिलाधिकारी)

1. पिछले वर्शों के अनुभव के आधार पर बाढ़ जैसी दैवी आपदा तथा उससे उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये पहले से ही की गयी तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा।
2. षासन स्तर से किसी जनपद या क्षेत्र विषेश को औपचारिक रूप से बाढ़ग्रस्त घोशित नहीं किया जाता है। अपितु अपेक्षा यह है कि बाढ़ आने पर जिला प्रषासन द्वारा तत्काल बचाव एवं राहत कार्य आरोप करने की स्थिति की समीक्षा।
3. जिला बाढ़ प्रबन्ध योजना के निर्माण की समीक्षा एवं जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने की स्थिति।
4. जनपद स्तर पर बाढ़ आपदा से जुड़ प्रत्येक विभाग अपनी विस्तृत आपदा सम्बन्धी योजना व तद्नुसार विभाग द्वारा योजना के बजट प्राविधान की स्थिति।

5. आपात सहायत सम्बन्धी टॉल फ्री दूरभाश 1077, आपदा नियंत्रण कक्ष में स्थापित कर चौबिस घण्टे संचालित रखने की स्थिति की समीक्षा।
6. प्रत्येक तहसील एवं जनपद मुख्यालय पर स्थापित ''रेनगेज'' (वर्शा मापक यंत्र), तापमान मापक यंत्र के कार्य करने की स्थिति एवं दिनांक (01 जून से 15 अक्टूबर तक) प्रत्येक दिवस पिछले 24 घण्टे का वर्शा सम्बन्धी सूचना प्रातः 8.30 बजे रिकार्ड करके 10 बजे तक प्रत्येक दषा में निदेषक मौसम अमौसी लखनऊ को फैक्स के माध्यम से अथवा मेल पर भेजे जाने की तैयारियों की समीक्षा।
7. नालों की सफाई और बांधों की मरम्मत की स्थिति।
8. जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी बांधों कटान से प्रभावित होने वाले, जल भराव से प्रभावित होने वाले तथा पानी निकासी के क्षेत्रों को चिन्हित कर बाढ़ योजना में विषेश प्रबन्ध की समीक्षा।
9. पर्याप्त नावों की उपलब्धता एवं उनके आकस्मिक प्रयोग की समीक्षा।
10. बढ़ के दिनों में जिन वस्तुओं को खरीदने या किराये पर लेने की आवष्यकता होती है तथा निजके षासकीय मूल्य निर्धारित नहीं है उनके मूल्य पारदर्षी पद्धति से अभी ही निर्धारित कर लिये जाने की समीक्षा।
11. बाढ़ सम्बन्धी पूर्व चेतावनी को तत्काल प्राप्त करने तथा प्रभावित क्षेत्र में इसके व्यापक प्रसारण की व्यवस्था।
12. षरणर्थी षिविर के प्रबन्ध की समीक्षा एवं बाढ़ राहत सामग्रियों का वितरण जैसे पानी, सूखा भौजय पदार्था (चूड़ा, मूड़ी, गुड़, बिस्कुट इत्यादि) मिट्टी का तेल, मोमबत्ती और माचिस चीनी, नमक व लकड़ी प्राथमिक उपचार बाक्स और मजबूत रस्सी आदि की उपलब्धता की समीक्षा।
13. स्थानीय/राश्ट्रीय/स्वैच्छिक संस्थाओं का व उनके संसाधनों के सहयोग की स्थिति।
14. बाढ़ प्रबन्धन हेतु जिला प्रषासन के लिये चेकलिस्ट पर उल्लिखित बिन्दुओं पर समीक्षा (संलग्नक–अ)।

सिंचाई विभाग

1. सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ के सम्बन्ध में की गयी तैयारियों की समीक्षा।
2. बाढ़ चेतावनी एवं पूर्वानुमान, बाढ़ चौकियों की स्थिति की समीक्षा।
3. बाढ़ चौकियों एवं बाढ़ सुरक्षा केन्द्रों को सम्भावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिन्हींकरण कर स्थापित करने एवं इन पर तैनात किये जाने वाले अधिकारियों की स्थिति की समीक्षा।
4. केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, सिंचाई भवन, एनेक्सी लखनऊ जिसके द्वारा बाढ़ की विषेश सूचना दैनिक बाढ़ बुलेटिन के रू‍प में जारी करने की तैयारियों की समीक्षा।
5. बाढ़ सम्बन्धी सूचनायें जिलाधिकारियों एवं निकटतम रेलवे स्टेषन मास्टर/अधीक्षक तथा रेलवे खण्डीय अधिकारी/दूरदर्षन/आकाषवाणी/प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रानिक मीडिया को दिये जने की व्यवस्था की समीक्षा।
6. नेपाल राज्य से आने वाली नदियों में जलाषयों से अवमुक्त किये जाने वाले जल की सूचना के सम्बन्ध में नेपाल के सीमावर्ती जिले के बाढ़ नोडल प्रभारियों से निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय की स्थिति की समीक्षा।
7. अस्थाई तटबंध व अवरोध बनाये जाने/मरम्मत की समीक्षा।
8. जलाषयों के आपरेटिंग मैनुअल, रेगुलेषन की समीक्षा।
9. नदी तटबंध पर अत्यधिक जल दबाव होने पर तटबंधों के टूटने की स्थिति उत्पन्न होने पर सिंचाई विभाग द्वारा जारी चेतावनी को प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में त्वरित गति से प्रचार–प्रसार कराये जाने व क्षेत्र को समय से खाली किये जाने की व्यवस्था।

(मौसम विभाग)

1–भारतीय मौसम विभाग द्वारा दिनांक 01 जून से 30 सितम्बर तक दैनिक वर्शा, औसत वर्शा तथा साप्ताहित वर्शा के आंकड़े एवं मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की समीक्षा।

(केन्द्रीय जल आयोग)

1. प्रदेष में बहने वाली नदियों के अपस्ट्रीम (उत्तराखण्ड, नेपाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेष) पर स्थापित बन्धों/जलाषयों आदि से पानी छोड़े जाने की सूचना के प्रबन्धन की समीक्षा।
2. फलड फोरकास्टिंग एवं इंफलो फोरकास्टिंग एवं वारनिंग स्टेषन के सूचना प्रबन्धन की समीक्षा।
3. नदियों के किनारे वर्शा मापी संयत्र के संचालन की समीक्षा।

(स्वास्थ्य विभाग)

1. राहत केन्द्रों पर आये बाढ़ पीड़ितों के चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था।
2. राहत षिविर तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बसावट/ग्रामों में मोबाइल चिकित्सीय दलों के निरन्तर भ्रमण व आवष्यक जीवन रक्षक औशधियों की प्रचुर व्यवस्था।
3. स्वास्थ्य विभाग तथा आई0सी0डी0एस0 के माध्यम से विभिन्न महामारियों के रोकथाम हेतु व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाये।
4. स्वास्थ्य विभाग द्वारा महामारियों को रोकने हेतु समस्त आवष्यक उपाय किये जाये।
5. बढ़ के दौरान व बाढ़ पष्चात पेयजल सम्बन्धी समस्त स्रोतों यथा–तालाब, कुएं, हैण्डपम्प आदि को विंसंक्रमित किया जाये।
6. बाढ़ आने पर जल विसंक्रमण की तथा जीवन रक्षक औशधियों की उपलब्धता यथा संभव ग्राम स्तर पर रखी जाये स्वास्थ्य सहायक तथा ए0एम0एम0 वर्कर के माध्यम से इसका वितरण कराया जाये।

(पषुपालन विभाग)

1. बाढ़ के दौरान पषुपालन विभाग द्वारा पषुओं हेतु टीकाकरण/जीवन रक्षक दवाइयों की व्यवस्था की समीक्षा।
2. सचल चिकित्सीय दलों की व्यवस्था की समीक्षा।
3. पषुओं हेतु विसंक्रमित पेयजल की व्यवस्था की समीक्षा।
4. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पषु राहत षिविर की व्यवस्था की समीक्षा।

(गृह विभाग)

1. बाढ़ के दौनान प्रभावित जनता को नियंत्रित करने, राहत वितरण की सुगत व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवष्यक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा।
2. बाढ़ के दौरान जलमग्न क्षेत्र को आपात स्थिति में खाली कराये जाने एवं राहत षिविरों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने की तैयारियों की समीक्षा।
3. पै0ए0सी0 की बाढ़ हेतु डेडीकेटेड कम्पनियों हेतु आवष्यक संसाधन एवं इसकी तैयारियों की समीक्षा।

(खाद्य एवं रसद)

1. बाढ़ के दौरान आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा।
2. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आवष्यक वस्तुओं यथा–खाद्य पदार्थ, मिट्टी का तेल, डीजल आदि की निर्बाध आपूर्ति एवं बफर स्टाफ की तैयारियों की समीक्षा।

(रिमोट सेन्सिंग)

1. रिमोट सेन्सिंग के माध्यम से मानसून की सूचना व मौसम विभाग केन्द्रीय जल आयोग तथा सिंचाई विभाग से समन्वय।

(लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा)

1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़कों के रख रखाव एवं परिगमन की स्थिति बनाये रखने हेतु आवष्यक तैयारियों की समीक्षा।

(ऊर्जा विभाग)

1. वर्शा काल में एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आबाध विद्युत आपूर्ति विभाग द्वारा की गयी आवष्यक कार्यवाहियों की समीक्षा।

(दूरसंचार)

1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दूर संचार सुविधा की व्यवस्था पर विचार।

(नगर विकास)

1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा।
2. जल स्रोतों यथा–हैण्डपम्प, कूपों, तालाबों के विसंक्रमण की स्थिति।
3. नगरीय क्षेत्रों में नालों/जल अपवाह सिस्टम की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था की समीक्षा।

(ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज)

1. जिला निधि, क्षेत्र पंचायत निधि, ग्राम पंचायत निधि के माध्यम से बाढ़ प्रभावित ग्रामों, ब्लाकों, जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति में जल निकासी की व्यवस्था पर समीक्षा।

आपदा प्रबन्ध योजना

ग्राम तथा ब्लाक स्तर पर जी0ओ0आई0, यू0एन0डी0पी0 आपदा कार्यक्रम के तहत गठित **''आपदा समिति''** का आपदा प्रबन्धन में कराया जाता है ताकि इस समिति समुदाय को नेतृत्व प्रदान करते हुए की आपदा प्रबन्ध योजना का स्वयं कर सके। आपदा प्रबन्ध योजना महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है :–

- जैसे क्षेत्र किस आपदा के प्रति संवेदनषील है, पूर्व में कौन–कौन सी बड़ी आपदा का समुदाय ने सामना किया है।
- इन आपदाओं की तीव्रता/गम्भीरता के कौन–कौन से कारक रहे हैं, क्या ऐसे कोई दीर्घकालिक अथवा अंषकालिक उपाय हैं जिसके माध्यम से आपदा को रोका जा सकता है अथवा आपदा के प्रभाव को न्यूनीकृत किया जा सकता है, उदाहरणार्थ बाढ़ की दषा में बन्धा का निर्माण, सूखे की दषा में वर्शा जल संग्रहण हेतु तालाब का निर्माण आदि।
- किसी आपदा के आने पर समुदाय के लोग किस प्रकार तथा कौन सी रीति से अपनी रक्षा करेंगे।
- आपदा काल में किसको सबसे पहले बचाया जायेगा अर्थात सर्वाधिक संवेदनषील लोग, बसावट कौन है।
- कौन से ऐसे संसाधन/उपकरण है जो आपदा के समय आपदा में फँसे लोगों को बचाने में काम आते हैं, ऐसे संसाधन/उपकरण कहाँ–कहाँ पर है।
- इनका प्रयोग समुदाय के कौन व्यक्ति करेंगे इसका निर्धारण पूर्व में तय किया जाना एवं उन्हें खोज एवं बचाव सम्बन्धी प्रषिक्षण प्रदान किया जाना।
- आपदाकाल में जलप्लावन की स्थिति में समुदाय/बसावट के लोग अपने पालतू पषुओं के साथ कहाँ पर षरण लेंगे इसका निर्धारण सरकारी कर्मचारी यथा लेखपाल/कानूनगो/नायब तहसीलदार के माध्यम से करना।
- आपदा प्रबन्ध योजना में चिन्हित किये गये आपदारोधी निर्माण कार्य हेतु ग्राम निधि/क्षेत्र पंचायत निधि से कार्य कराये जाने हेतु प्रयास करना।

- यदि आपदारोधी/बचाव सम्बन्धी निर्माण कार्य बड़ा है और इसमें उच्च तकनीकी का समावेष है यथा पुल आदि का निर्माण तो ऐसी दषा में इसे सम्बन्धित विभाग से ही कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जाना चाहिये।

आपदा प्रबंधन योजना निर्माण क्यों? ऐसा देखा जाता है कि यदि किसी भी आवष्यक कार्य के सही प्रकार स निपटारे के लिए पूर्व से ही योजना बना ली जाये, तत्पष्चात् सभी के दायित्वों को पूर्व निर्धारित कर कार्यों का योजना के अनुसार कार्यान्वयन किया जाये तो हम एक ऐहतर व व्यवस्थित तरीके से अपने उद्देष्यों की पूर्ति कर पाते है। ठीक उसी प्रकार आपदा प्रबंधन योजना निर्माण के तहत हम अपने संसाधनों एवं जोखिम सम्बन्धी सूचनाओं के द्वारा समिति का निर्माण कर लेते हैं। इसके अलावा समुदाय में से ही स्वयं सेवकों का चयन कर उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यदलों में विभक्त कर लिया जाता है, जिससे उन्हें अपने–अपने दायित्वों का पूर्व से ही पता रहता है। आपदा के आने पर ये सभी स्वयं सेवक त्वरित गति से बिना समय व्यर्थ किये निपुणतापूर्वक अपने–अपने कार्यों में लग जाते हैं, जिससे क्षति कम होती है। अतः यह आवष्यक है कि आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण सभी स्तरों पर किया जाये ताकि हम किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा का आपसी सहयोग से मुकाबला करने हेतु तैयार रहें। देखा गया है कि योजना निर्माण एवं छद्म अभ्यास से आपदा के मुकाबले में समुदाय के द्वारा जो सर्व प्रबम आपदा से जूझते हैं तथा सर्वप्रथम तवरित जवाबी कार्यवाही करते हैं, उन्हें काफी सराहनीय कार्य कर दिखाया है। हमारे पास अनेकों सफल कहानियाँ संकलित हैं, जिससे आपदा प्रबंधन योजना तथा कार्यदलों का गठन तथा उनका प्रषिक्षण से वास्तविक परिस्थिति में मुकाबले से जान–माल की क्षति कम की गयी। हमारे प्रदेष में बाढ़ की त्रासदी देखने को मिलती है। साथ ही अग्निकाण्ड बहुतेरे गाँव एवं षहरों में विभिन्न कारणवष परिलिक्षित होते हैं। इन आपदाओं के दौरान खोज एवं बचाव कार्यदल तथा प्राथमिक चिकित्सा कार्यदल समन्वय कार्यदल ने विषेश भूमिका निभाते हुए अपने तकनीकी प्रषिक्षण का सदुपयोग बड़े बहादुरी से किया तथा कईयों की जान बचाई। ऐसा देखा गया है कि विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर योजना निर्माण को एक दस्तावेज की तरह देखा जाता है तथा इसके व्यवहारिक प्रयोग को महत्व नहीं दिया जाता है। बहुत बार तो ऐसा देखने को मिला है कि योजनाओं का निर्माण एक सर्वे के रूप में, सूचनाओं को संग्रह कर प्रोफार्मा में भरे जाने तक ही सीमित रह गया। योजना निर्माण की विधि के विशय में सही तकनीकी जानकारी के अभाव में इसे अमलीजामा पहनाना कठिन हो गया। योजना निर्माण का जो मूल मंत्र है वह समुदाय आधारित है, जिससे न केवल समुदाय के द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है वरन् एक दूसरे से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, एक जागरूकता आती है, आत्मविष्वास बढ़ता है तथा एक व्यवस्थित रूप से किसी भी उत्पन्न आपदा से निपटने हेतु कार्यों के विभाजन के साथ अपने संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं। आपदा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत जोखिम एवं क्षमता विष्लेशण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की संवेदनषीलताओं की जानकारी प्राप्त होती है। यदि स्थानीय विकास योजना में आपदा संवेदनषीलता, जोखिम एवं अन्य आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धित मुद्दों को समेकित किया जाये, तो समग्र विकास की अवधारणा को फलीभूत किया जा सकता है साथ ही आपदा प्रबन्धन प्रक्रिया को भी सषक्त किया जा सकता है। विकासीय योजना में जोखिम न्यूनीकरण या समग्र रूप में आपदा प्रबन्धन के मुद्दों को षामिल न किये जाने के फलस्वरूप आपदा घटिट होने की स्थिति में अधिक हानि होती है। अगर विकास योजनाओं को बनाते समय उस क्षेत्र की जोखिम/संवेदनषीलता को ध्यान में रखा जाय, तो उस समय तो योजना के कुल बजट में कुछ वृद्धि हो सकती है लेकिन भविश्य में आपदा से इसकी सुरक्षा के कारण कुल मिलाकर लाभ की ही स्थिति रहेगी। इसके अलावा अपने संवेदन षील व्यक्तियों एवं स्थानों के विशय में पूर्व जानकारी होने से उन्हें बचाने का प्रयास सर्वप्रथम किया जाता है तथा जानमाल की क्षति कम होती है। मुख्य दूरभाश संख्या आपतकालीन संचालन केन्द्र की टॉल फ्री नम्बर की सूचना पूर्व से ही सूचना प्रसाण कार्यदल को रहने से सरकारी मदद भी जल्द मुहैया हो जाती है तथा सरकार के साथ एक समझदारी पूर्वक साझेदारी कायम रहती है। आपदा योजना की आवष्यकता है, क्योंकि–

आपदा प्रबंधन योजना की सफलता की घटनायें/कहानियाँ

अगस्त, 2007 में बहराइच जिलें में घाघरा नदी से बाढ़ आ गयी थी। जिले के एक ग्राम मन्सूरी में श्री राजित राम के मकान की दीवार बाढ़ के करण ढह गयी और राजित राम उसकी मिट्टी और ईंटों के नीचे दब कर बुरी तरह से घायल हो गये। श्री राजित राम द्वारा चिल्लाने पर बचाव दल के सदस्यों द्वारा तत्परता पूर्वक उन्हें अन्य ग्रामवासियों की सहायता से निकाल कर प्राथमिक चिकित्सा दी। इस प्रकार से श्री राजित राम की जान बचाव दल की तत्परता से बचाई जा सकी।

जुलाई 2007 में बस्ती जिले के उस्का गाँव में एक छोटा बच्चा संजय कुछ लड़कों के साथ मनौरी नदी में नहाने के लिए गया था। नदी में पानी का स्तर बाढ़ के कारण ऊँचा होने के

- किसी त्रासदी का सामना करने के समुदाय में तैयारी
- किसी क्षेत्र में आपदा से निपटने के लिए संसाधन सूची (Inventary)
- स्थानीय षासन एवं समुदाय में संवाद एवं समन्वय
- स्मुदाय में ऐसे प्रषिक्षण जनषक्ति जो उनकी जान–माल की रक्षा कर सके।

आपदा प्रबंधन योजना निर्माण के लिए निम्नलिखित मॉडल अपनाया जाना चाहिए :–

- स्मुदाय की सहभागिता से प्रत्येक स्तर पर समुदाय आधारित आपदा तैयारी योजना विकसित करना।
- आपदा प्रबंधन योजना को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना।
- त्वरित अनुक्रिया दल का गठन एवं प्रषिक्षण एवं कूट अभ्यासों द्वारा उनकी क्षमता अभिवृद्धि।

आपदा प्रबंधन योजन के सिद्धान्त

आपदा प्रबंधन योजना को बनाते समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए :–

सरलता :–प्रबंधन योजना सरल एवं संक्षिप्त होनी चाहिए ताकि उसका क्रियान्वयन षीघ्रतिषीघ्र हो सके। प्रबंधन टीम के सभी सदस्यों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व स्पश्ट होने चाहिए। आपातकालीन सुरक्षा प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसको टीम के सभी सदस्य याद रख सकें एवं षीघ्रतिषीघ्र उसका सरला से क्रियान्वयन हो सके।

लचीलापन :–योजना लचीली होनी चाहिए ताकि परिस्थितिनुसार उसमें परिवर्तन करना संभव हो। योजना इस प्रकार से बनानी चाहिए कि यदि योजना का मुख्य कार्यकर्ता उस दिन अनुपस्थित हो या योजना का कोई पूर्व निर्धारित क्रम किसी कारणवष क्रियान्वित न किया जा सके तो भी योजना क्रियान्वित की जा सके।

विस्तृत :–योजना इतनी विस्तृत होनी चाहिए कि उसमें योजना प्रक्रिया से संबंधित रूकावटों के प्रबंध का भी विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया हो। इसके अतिरिक्त योजना की तैयारी, क्रियान्वयन प्रभावों एवं आपातकालीन स्थिति के प्रभावों का भी उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन होना चाहिए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया :–योजना के अन्तर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी विवेचन किया जाना चाहिए जिसकी आपातकाल के समय बहुत आवष्यकता पड़ती है। निर्णय ऐसे हों जो प्रत्येक आपातकाल के समय अविचल हो।

परस्पर विचार :–विनिमय योजना ऐसी होने चाहिए जो समाज के विभिन्न स्तरों के सदस्यों के परस्पर विचार–विनिमय से बनी हो। योजना बनाते समय इस बात का अवष्य ध्यान रखना चाहिए कि यह उपयुक्त एवं सार्थक हो तथा सबकी समझ में आ जाये ताकि समय आने पर इसका भली भाँति अनुसरण किया जा सके। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि योजना का क्रियान्वयन करते समय उसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का व्यक्तिगत सुझाव भी महत्वपूर्ण प्रमाणित हो सकता है।

प्रचार–प्रसार :–समुदाय के सभी सदस्य योजना के सभी चरणों से सुपरिचित एवं प्रषिक्षित होने चाहिए। योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का प्रतिदिन अभ्यास होना भी इसके सदस्यों के लिए आवष्यक है। समुदाय के साथ–साथ विद्यार्थियों के अभिभावकों की भी इन आपदाकालीन प्रबंध योजनाओं से अवगत कराना चाहिए ताकि भविश्य में आपातकालीन स्थितियों में विद्यालय में किसी प्रकार की कोई अस्त व्यस्तता न हो।

पुनरीक्षण :–समय–समय पर योजना का पुनरीक्षण करना भी आवष्यक होता है। वर्श में एक बार पुनरीक्षण करना उचित रहता है। आपातकालीन स्थिति के बाद भी योजना के पुनरीक्षण की आवष्यकता होती है ताकि समयानुसार योजना की व्यावहारिकता बनी रहे।

समन्वयन :–आपदा प्रबंधन योजना का समाज के विभिन्न अभिरणों अथवा एजेंसियों जैसे आपातकालीन सेवाएँ एवं नगर निगमों की आपातकालीन सेवाएँ एवं नगर निगमों की आपातकालीन प्रबंधन योजनाओं से भी समन्वय होना चाहिए क्योंकि इन एजेंसियों की योजनाओं का संबंध अपने आसपास के क्षेत्रों, जिलों इत्यादि से होता है।

नीति :–आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनाई गई नीतियां योजना के क्रियान्वयन के समय सबकी जानकारी हेतु प्रसारित कर देनी चाहिए।

सामंजस्य :–आपदा प्रबंध योजनाएँ तत्कालीन प्रासंगिक प्राधिकरणों की स्थानीय नीतियों से सुसंगत होनी चाहिए।

उत्तरदायित्वों का क्षेत्र :–योजना के अन्तर्गत सभी के उत्तरदायित्वों के क्षेत्रों एवं सीमाओं का भी विवेचन किया जाना चाहिए।

परस्पर सहयोग की भावना :–योजना के अन्तर्गत आपातकाल के समय विभिन्न वैधिक आपातकालीन सेवाओं जैसे–पुलिस, अग्नि षमन सेवाएँ, एंबुलेंसों आदि के साथ विद्यालयों की सहयोग की भूमिका को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत/ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना से सम्बन्धित सामान्य दिषा–निर्देष

आपदा प्रबंधन में विभिन्न हितभागियों जैसे, सरकारी, गैर सरकारी एवं पंचायत राज प्रतिनिधियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है। भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण परिवेष में रहती है, जहाँ ग्रामीण गरीबी, कृशि प्रधान आर्थिक व्यवस्था एवं धीमी गति से विकास की प्रक्रिया मुख्य संसूचक है। ग्रामीण समुदाय को धनाभाव के कारण न्यूनतम जरूरतें पूरी करना मुष्किल होता है ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदाएँ उनका जीवन और संघर्शपूर्ण देती है। आपदा के दौरान बेहतर समन्वय हो सके इसलिए प्रयास किए जाएं जिससे आपदा रोकथाम, पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण (रणनीतियाँ तय की जा सकें) तवरित जवाबी कार्यवाही की क्षमता वृद्धि की आवष्यकता को किया जा सके, इसके लिए कार्यदल बना कर उन्हें प्रषिक्षण जा सकते हैं जिससे कार्यदल आपात स्थिति के लिए पूर्णतः तैयार रह सकें।

सुनामी से सीखे गए पाठ

हालांकि राज्य सरकार की प्रत्युत्तर षीघ्र हुई, एसओपी को विकसति करने की जरूरत है ताकि प्रत्युत्तर समय को कम किया जा सके।

राहत दलों को उपयुक्त उपस्करों से सज्जित किए जाने की जरूरत है।

विषेशकर गैर–सरकारी संगठनों के लिए बचाव और राहत हेतु अधिक मजबूत समन्वय तंत्र होने की जरूरत है।

राहत सामग्री की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन को कारगर सम्प्रेशण से दूर किया जाना चाहिए।

समय पर टीकाकरण, स्वच्छता और रोगाणुनाषन के कारण आपदा के बाद की जन–स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सका।

तटीय क्षेत्र सम्बंधी विनियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

ग्राम स्तर की योजना सफल हो यह इस पर निर्भर करता है कि पंचायत स्तर पर किस प्रकार के लोगों ने प्रषिक्षण प्राप्त किया है। पंचायत स्तर पर मुखिया, सरकारी अधिकारियों के साथ साथ, वार्ड सदस्य, युवा संगठन महिला संगठन को प्रषिक्षित किाय जा सकता है और इन सभी लोगों की सहभागिता से ही पंचायत आपदा प्रबंधन समिति, पंचायत स्तर की योजना का निर्माण किया जाय।

आपदा प्रबंधन में पंचायत की भूमिका :–आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि ग्राम आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मुखिया/प्रधान ही होते हैं। सहायता वितरण हेतु लाभान्वितों का चयन एवं सूची निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है परन्तु उन्हें सहायता वितरण हेतु मापदण्ड तथा तिथि निर्धारण, प्रभावित गाँव की पहचान आदि करने एवं नाव चलाने की स्वीकृति देने का अधिकार सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के पास ही रहेगा।

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना के विशय में ध्यान रखने योग्य बातें :–

(क) सर्वप्रथम गाँव की तथ्यात्मक विवरण का संकलन यथा गाँव के घरों की संख्या, जनसंख्या, भौगोलिक जानकारी, सिंचाई के संसाधन के विशय में जानकारी आवष्यक है। गाँव में जो आबादी वास करती है उसके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कैसे है, यह मालूम होना योजना निर्माण हेतु काफी आवष्यक है। गाँव की अर्थव्यवस्था को मालूम करने हेतु कृशि योग्य भूमि, सिंचाई के श्रोत, बंजर भूमि, चारागाह एवं आवास उपयोग हेतु उपलब्ध भूमि के विशय में जानकारी मिलने से वहाँ की अर्थव्यवस्था के विशय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। गाँव में कृशि प्रधान होने के कारण सिंचाई के श्रोत एवं संसाधन एवं उसके विपत्ति के समय अपने ही स्रोतों से विपत्ति ग्रसित परिवारों की मदद कर सकती है। गाँववासी खुद इन सूचनाओं के द्वारा अपनी आर्थिक सम्पन्नता/विपन्नता का एहसास कर सकते हैं।

(ख) आपदा के समय अस्थायी षरण हेतु गाँव/पंचायत में उपलब्ध ऊँचे स्थान जैसे मिट्टी के टीले, विद्यालय एवं सामुदायिक भवन के विशय में जानकारी ली जा सकती है। इसकी दूरी, गाँव जहाँ योजना का निर्माण हो रहा है, से कितनी है, जानना उचित होगा। इन सब जानकारियों को गाँवों में विचार–विमर्ष कर सभी आवष्यक व्यक्तियों से बांटना भी आवष्यक है। पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र के विशय में जानकारी राषन की दुकान, यातायात साधन, थान, सरकारी समिति, स्टेषन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित किया जाना आवष्यक है क्योंकि आपदा के समय इन स्थानों की आवष्यकता पड़ती है। निजी चिकित्सकों की सूची एवं दूरभाश संख्या मालूम होना अत्यंत आवष्यक है।

(ग) **कृशि एवं व्यवसाय के विशय में जानकारी** :–किसी भी ग्रामीण परिवेष में वहाँ के नागरिकों के विशय में जानकारी तभी पूर्ण हो सकती है जब वहाँ भूमि धारकों एवं भूमिहीनों के विशय में जानकारी प्राप्त हो सके। यह पता होना कि कितने लोग कृशि पर आधारित है, उसमें कितने घर सीमान्त किसान है, कितने लघु किसान हैं तथा कितने घर भूमिहीन के है, का पता पूर्व में ही लगाया जना चाहिए जिससे आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद पुनर्वास के लिए योजना के निर्माण में सहायता मिल सके। यह भी तय किया जना आवष्यक है कि गाँव में आपदा के बाद जोखिम में आने वाले प्रभावित लोगों को पुर्नस्थापित करने में कितना समय लगेगा। रोजगार के हिसाब से व्यक्तियों एवं परिवारों की संख्या का आंकलन करना भी काफी आवष्यक होता है इससे आपदा के बाद उन्हें पुनर्वास एवं पुनसर्थापित करने में योजनओं के निर्माण में सहायता मिलेगी।

ग्राम आपदा प्रबंधन की आवष्यकता एक लिखित दस्तावेज के रूप में इसलिए भी आवष्यक है कि किसी बड़ी दुर्घटना या आपदा जैसे–भूकंप, अप्रत्याषित बाढ़ या महामारी फैलने से जानमाल की व्यापक क्षति के समय अगर एक दस्तावेज

की प्रति खंड स्तर पर एवं एक कम्प्यूटरीकृत प्रति जिला स्तर पर उपलब्ध हो तो किसी भी बाहरी मदद के उद्देष्य से आगन्तुक को गाँव के विशय में सारी जानकारी ससमय मिल सकती है तथा राहत एवं बचाव का कार्य ग्राम स्तर पर समय से षुरू किया जा सकता है।

अतः यह समझना काफी आवष्यक है कि यह दस्तावेज सिर्फ कागज के टुकड़ों पर सीमित नहीं रहेगा वरन् विपत्ति के समय/आपदा के समय इसका उपयोग विषेशज्ञों, बचाव दल के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं में भी इन सूचनाओं का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) **जोखिम एवं संवेदनषीलता का विष्लेशण**–आपदा प्रबंधन योजना बनाने के समय यह अत्यन्त आवष्यक है कि ग्रामवासियों से चर्चा के दौरान जानकारी एकत्र की जाये। विगत 20 वर्शों में किस–किस तरह की आपदाओं का प्रकोप गाँव पर आया तथा इस घटना से मानव क्षति, पषुधन क्षति, फसल क्षति, मकान क्षति, ग्रामीण उद्योग एवं कुटीर उद्योग क्षति का क्या प्रतिषत रहा, कितना जानमाल का नुकसान हुआ। इन सूचनाओं से एक तरह से ग्रामीण समुदाय में आपदा के प्रति एक जागरूकता उत्पन्न होती है साथ ही, इसकी क्षति को कम करने हेतु प्रयास करने की भावना भी पनपती है।इसके उपरांत समुदाय के साथ मिल बैठकर यह भी विचार–विमर्ष करना आवष्यक है कि विभिन्न प्रकार की आपदाएँ–बाढ़, अधिक वर्शा, सूखा, भूकंप, षीतलहर, ओलावृश्टि आदि किस समय ज्यादा संभावित होते है, कौन–कौन से घर एवं व्यक्ति इन आपदाओं से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं तथा समुदाय के सहयोग से इनको सूचीबद्ध भी किया जाना आवष्यक होगा। यह पता कर लेना आवष्यक है कि कितने मकान कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, कितनी झोपड़ी हैं, कितने खपरैल के हैं ताकि असुरक्षित संपत्तियों की संख्या एवं आपदा के समय इनके बचाव की विषेश योजना पूर्व से ही निर्धारित की जा सके।

(घ) गाँव के स्तर पर गाँव के पास किन स्थानों पर खतरा महसूस किया जाता है यथा कौन–सा बाँध कहाँ से कमजोर है जिससे गाँव में बाढ़ का पानी घुस सकता है इत्यादि का पता ग्रामीण समुदाय की मदद से पता लगा लेना आवष्यक है। गाँव के स्तर पर जोखिम चित्रण के समय पांच साल से कम उम्र के बच्चे, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, 65 वर्श से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों की सूची बना लेना आवष्यक होगा। अतः इसे पूर्व में ही चिन्हित कर लेना समुदाय के लिए काफी आवष्यक होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यदल गठित करते समय उन्हें यह बताया जाना नितांत आवष्यक है कि सबसे ज्यादा संवेदनषील व्यक्तियों का सबसे पहले बचाव करना चाहिए क्योंकि उनको मदद की सबसे ज्यादा आवष्यकता है। ऐसा देखा गया है कि आपदा के दौरान योजना तैयार न होन की स्थिति में समुदाय में भगदड़ की स्थिति हो जाती है तथा लोग विपत्ति के समय धैर्य खो बैठते हैं तथा क्षति में काफी वृद्धि दिखाई देती है।

(छ) **समुदाय आधारित आपदा प्रबन्ध योजना** :–ग्राम पंचायत एवं ग्राम आपदा प्रबंधन योजना को समुदायिक सहभागिता के माध्यम से बनाया जाना चाहिए। इस हेतु पी0आर0ए0 (सहभागी ग्रामीण आंकलन) पद्धति का उपयोग अत्यंत लाभदायक होता है। समुदाय के अतिरिक्त स्वयंसहायता समूह, एन0जी0ओ0, युवा समूह, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ए0एन0एम0, लेखपाल एवं पंचायती राज तंत्र के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(ज) ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना में विभिन्न कार्यकारियों के फोन नम्बर एवं उपलब्ध संसाधनों की सूची, कहाँ उपलब्ध है, कौन चलायेगा/उपयोग करेगा, का विवरण होना अति आवष्यक है।

गाँव की आपदा प्रबन्धन योजना बनाने के लिए क्या–क्या करना चाहिए?

गाँव की आपदा योजना बनाने से पहले की तैयारी

- सर्वप्रथम गाँव की आवष्यक जानकारी जैसे वहाँ ग्राम स्तर पर तैनात कर्मचारियों के नाम पता व फोन नं0 मूलभूत सरचनाएं, जैसे बांध, सम्पर्क मार्ग, भवन एवं भौगोलिक स्थिति जैसे–नदी, तटबंध तथा गाँव के सामाजिक ढांचा आदि का चित्रण एवं सूची बनाना आवष्यक है।

- गाँव स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियेां, जनप्रतिनिधियों व अन्य जनमानस से पहले बातचीत कर मीटिंग का एजेन्डा समय व स्थान निर्धारित करना व स्थानीय कर्मचारियों/ग्राम्य प्रतिनिधियों को उस मीटिंग के लिए लोगों को पहले से सूचना देने, बैठने की व्यवस्था करने व एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपना चाहिए।
- योजना बनाने के लिए जाने से पहले यह अति आवष्यक है कि उस क्षेत्र/ गाँव में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्था के कार्यकर्त्ताओं के साथ बैठकर उनके साथ समन्वय स्थापित करें, क्योंकि वह स्थानीय स्तर पर समुदाय के साथ कार्य कर रहे हैं और उस गाँव की योजना बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं।

क्या–क्या सामान साथ ले जाना चाहिए–चेक लिस्ट

- चार्ट पेपर्स
- रंगीन स्केच पेन/रंगीन पेंन्सिल
- कुछ सादे पेपर
- चिपकाने के लिए टेप व छोटी कैंची
- पेन्सिल, रबर, कटर
- टार्च या रोषनी के लिए कुछ इंतजाम
- कैमरा
- एक रजिस्टर
- गेंद, अबरी/झंडी कागज
- चाक/खड़िया
- नील/गेरू/चूना

गाँव पहुंचने के बाद सर्वप्रथम क्या करना उचित होगा?

- उपस्थिति कर्मचारियों, गाँव के लोगों एवं स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि के साथ गाँव का भ्रमण करें और लोगों को निर्धारित स्थान पर आने के लिए आग्रह करना उचित होगा।
- उपस्थित लोगों से ग्राम में आयी किसी आपदा तथा समुदाय की प्रतिक्रिया पर चर्चा करें व उनके जानने की इच्छा जाहिर करें कि नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए उन्हें अपने आने का कारण, परियोजना का संक्षिप्त विवरण, योजना निर्माण की उपयोगिता के बारे में बताना उचित होगा।
- इसके बाद उन्हें बताएं व जानें कि गाँव की आपदा प्रबन्धन योजना बनाने के लिए क्या–क्या कार्य किये जा सकते हैं।

योजना बनाने में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं

समाजिक व संसाधन चित्रण :

सबसे पहले गाँव की महत्वपूर्ण जानकारी व गाँव की परिधि में उनकी उपलब्धता का ज्ञान कराने वाले नक्षे की उपयोगिता का जिक्र करें। गाँव के लोगों को जमीन पर अपने गाँव का नक्षा बनाने में सहयोग करने को कहें तथा प्रेरित करें कि उसे वे स्वयं बनाएं। उसके बाद उस नक्षे में निम्नांकित को दर्षाना चाहिए।

- सुरक्षित षरण स्थल (पक्के घर, समुदायिक भवन, ऊँचा टीला)
- पेयजल स्रोत (बड़े हैण्डपंप, कुंआ आदि)

- पनी के अन्य श्रोत (तालाब, ट्यूबवेल, नहर आदि)
- कृशि उपयोगी जमीन
- जंगल/बाघ
- स्वास्थ्य केन्द्र/पषु चिकित्सा केन्द्र
- दूरभाश सेवा
- पोस्ट ऑफिस
- संसाधन केन्द्र/प्राथमिक पाठषाला
- मन्दिर/मस्जिद
- गोदाम (सरकारी एवं निजी)
- खाद्यान्न, किरोसन तेल के विक्रेता
- आंगनवाड़ी केन्द्र
- टैन्ट आउस (जहाँ से बर्त्तन इत्यादि भाड़े पर लिए जा सकें)
- पुलिस चौकी
- नाव
- उद्योग/फैक्टरी/हस्तषिल्प

जोखिम एवं संवेदनषीलता चित्रण

इसके लिए ऊपर बनाये गये नक्षे में ही उन जगहों, वस्तुओं या लोगों को अंकित करें जो आपदा या जोखिम से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे–

- जलमग्न हो जाने वाले क्षेत्र
- कमजोर तटबन्ध
- जीविकोपार्जन के साधन/नाव/आटा चक्की/हथकरघा उपकरण
- खड़ी फसल, पोखर
- पानी के स्रोत
- कृशि उपकरण
- पोस्ट ऑफिस एवं अन्य भवन
- स्कूल, कॉलेज, समुदायिक भवन
- जोखिम में आने वाली आबादी, विकलांग, निराश्रित, विधवा, बीमार आदि
- पूर्णतः कट जाने वाले क्षेत्र
- कच्चे घर/झोपड़ी

मौसमी विष्लेशण

इसके लिए लोगों से पूछें कि किस मौसम में किस प्रकार की आपदा या परेषानियां आती हैं ताकि उनके आधार पर योजना बनायी जा सके।

समस्या तथा कमियों का चिन्हींकरण

- आपदा प्रबन्धन के लिए मौजूदा संसाधनों की सूची

- ग्रामवासियों से पूछें कि क्या और संसाधनों या व्यवस्था की आवष्यकता वे महसूस करते हैं।

अवसर चित्रण

गाँव के आपदा ग्रस्त हो जाने के दौरान किन संसाधनों या स्थानों का उपयोग किया जा सकता है, उसको भी नक्षें में चिन्हित करना होगा जैसे–

- वैकल्पिक रास्ते, नाव आदि की व्यवस्था
- सुरक्षित षरणस्थल
- ऊँचे टीले
- सुरक्षित प्राथमिक उपचार केन्द्र, अग्निषमन केन्द्र, पुलिस चौकी
- निश्काशित लोगों के लिए सुरक्षित स्थल
- कार्यदलों की पहचान
- अस्थाई षरण स्थल
- संचार के साधन जैसे ट्रैक्टर, जीप, नाव आदि

ग्राम प्रत्युत्तर योजना

पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण से लेकर पुर्नस्थापना तक की जाने वाली आपदा प्रबन्धन की सभी गतिविधियों को ग्राम प्रत्युत्तर योजना में रखा जा सकता है।

न्यूनीरकण योजना

समुदाय आधारित आपदा प्रबंध प्रषिक्षण मैनुअल

1. विशय सूची
2. विशय विस्तार
3. प्रषिक्षकों के लिए निर्देष
4. प्रथम सत्र
   सत्र–1
   सत्र–2
5. आपदा के प्रकार एवं आपदा के मुख्य कारण
6. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, तैयारी, प्रबंधन एवं सामाजिक चित्रण की तैयारी
   सत्र–3
7. घर के स्तर पर तैयारी
   सत्र–4

गाँव स्तर पर प्रषिक्षण

भारत एक बहुत बड़ा देष है और यहाँ विभिन्न जाति, धर्म और सोच के लोग वास करते हैं। आंधी को अधिक जनसंख्या अभी भी गाँव में निवास करती है। आज भी हमारे ग्रामवासी कृशि प्रधान अर्थव्यवस्थ के अर्न्तगत कृशि पर ही अपने गुजर बसर के लिए निर्भर है और गाँव षहर से कहीं ज्यादा आपदा प्रभावित होते हैं। गाँव की संवेदनषीलता विभिन्न आपदाओं जैसे बाढ़, सुखा, भूकंप, आगजनी, षहरों में कहीं ज्यादा है। आपदा से निरन्तर भारी क्षति होती है, फसलोत्पादन प्रभावित होता है जिससे गाँवों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित होती है। इन आपदाओं से विकस के विभिन्न कार्यक्रम जो ग्रामिण क्षेत्रों में चलाए जा रहे जाते हैं भी प्रभावित होते हैं। ग्रामीण सड़क योजनाएं, पुल,

स्कूल, एवं अन्य सार्वजनिक भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। गरीब ग्रामीणवासी जिनके पास सीमित संसाधन हैं इन आपदाओं से सामना करने के लिए कार्य मुख्यतः पूर्व तैयारी तथा न्यूनीकरण संबंधित होगे। लोगों के बीच समुदाय आधारित जागरूकता अभियान भी चलाने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि विभिन्न आपदा प्रबंधन समिति जिसे हर स्तर पर गठित किया जा रहा है और गाँव से लेकर प्रखण्ड स्तर तक उन सभी के बीच समन्वय स्थापित हो सके। ग्रामवासी की क्षमता वृद्धि इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे विभिन्न आपदाओं को झेलने में सक्ष्म हो।

समिति के सदस्यों को ग्राम सभा की सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिससे प्रषिक्षण प्राप्त करने के पष्चात् सभी कार्यदल अपनी–अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन कर सकें।

कोर्स का विवरण

1. नाम : आपदा प्रबंधन पर प्रषिक्षण 1
2. प्रषिक्षण : ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य
3. समय : दो दिवसीय
4. प्रषिक्षण का उद्देष्य : प्रषिक्षण के अन्त में प्रषिक्षार्थी के पास निम्न जानकारी होगी
   : आपदा की परिभाशा, प्रकार एवं कारण
   : प्राकृतिक आपदा सम्बन्धित पूर्व चेतावनी का प्रकार एवं प्रसार एवं न्यूनीकरण पर आम जन मानस से संचार–सम्प्रेशण
   : आपदा पूर्व तैयारी में मांस–भिड़ियां की भूमिका
   : विभिन्न नक्षे बनाना : सामाजिक चित्रण, जोखिम एवं संवेदनषीलता चित्रण अवसर या सुरक्षित स्थान का चित्रण एवं संसाधन चित्रण
   : गाँव स्तर की विभिन्न आपदाओं के लिए आपदा पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण
   : गृह स्तर की विभिन्न आपदाओं के लिए आपदा पूर्व तैयारी
   : आपात स्थिति के लिए आपदा पूर्व तैयारी (बचाव एवं निश्कासन सहाय्य कार्य)
   : प्राथमिक स्वस्थ्य एवं प्राथमिक उपचार पर प्रषिक्षण
   : क्षति आंकलन एवं परामर्ष
   : अस्थाई आवास का प्रबंधन
   : पेयजल एवं स्वच्छता/ट्रयूबवेल्स की देखरेख एवं मरम्मत्ति
   : वैकल्पिक बोआई/फसल तथा कीट–पंतग से बचाव एवं रोकथाम
   : घरेलु जानवरों की रक्षा एवं इलाज
   : सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा एवं बचाव
   : पर्यावरण की रक्षा

   प्रषिक्षण के लिए मार्गदर्षिका

   : प्रषिक्षण का सभी के स्वागत एवं परिचय सत्र से होना चाहिए।
   : उसके पष्चात् लोगों की इस प्रषिक्षण से अपेक्षाएँ एवं इन अपेक्षाओं का कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देष्य से तालमेल करना चाहिए।
   : प्रषिक्षक को विशय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
   : समूह चर्चा के दौरान हरेक प्रषिक्षार्थी को अपने विचार देना चाहिए।
   : षैक्षणिक एवं संचार माध्यमों का उपयोग करें प्रषिक्षण को रोचक बनाना चाहिए।
   : प्रषिक्षण के दौरान वातावरण दोस्ताना रखें एवं सभी की सहभागिता सुनिष्चित करने का प्रयास करें।
   : सभी की सहभागिता मिलने से प्रषिक्षण सफल होगा।
   : किसी भी विवादास्पद विशय को न छुए।
   : कई प्रकार की प्रषिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल कर प्रषिक्षण को निराष न होने दे। गाने, प्रषिक्षण खेल एवं रीाल प्ले का उपयोग करे।

: स्थानीय एवं संदर्भ के उदाहरण का ही इस्तेमाल करें।
: विशय को समझाकर बताएं और फिर अपने प्रषिक्षण का आंकलन।
: सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुने एवं आवष्यकतानुसार जवाब दें।

उद्देष्य :

इस सत्र के बाद, प्रषिक्षार्थी निम्न के बार में जान जाएगें :
–आपदा की परिभाशा
–आपदाओं का वर्गीकरण
–विभिन्न आपदाओं का वर्णन एवं उनके कारण
समय : एक घंटा तीस मिनट (1.30)
मध्यम : भाशण
–समूह चर्चा/खुला सत्र
–पोस्टर अथवा चार्ट पर आंकलन

प्रषिक्षण सामग्री :

–मार्कर
–कागज
–चार्ट/पोस्टर
–ब्लैक बोर्ड, चॉक
स्त्र प्रबंधन

प्रषिक्षक सबसे पहले चर्चा षुरू करेगें और पूर्व की चर्चा से जोड़ते हुए आपदा को परिभाशित करेगें, उसके प्रकार एवं मुख्य कारणों पर चर्चा करेगें। खुल सत्र में सभी प्रषिक्षार्थी अपनी बातें प्रषिक्षक की बातों में जोड़ेगें। आपदा के पष्चात् क्या होता है इस पर प्रषिक्षक पोस्टर/चार्ट के माध्यम से बताएगें तथा सभी प्रषिक्षार्थियों की बातों/सुझाव को भी इसमें जोड़ते हुए सत्र का अन्त करेंगे।

बिहार
इतिहास
आपदा क्या है?

आपदा एक ऐसी अस्कमात घटना है जिससे व्यापक रूप में जान माल और पर्यावरण की क्षति होती है। कई बार इस क्षति का आंकलन करना असंभव होता है यह क्षति भौगोलिक स्थिति, मौसम और जमीन के ऊपर भी निर्भर करती है। आपदा से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृति स्थिति पर प्रतिकूल असर देखने को मिलता है

आपदा से मुख्यतः निम्न प्रभावित होते हैं :–

–यह आम जन जीवन को क्षिन्न–भिन्न कर देती है।
–आपदा समाज की सार्वजनिक सम्पत्ति एवं आधारभूत संस्थानों को नश्ट कर देती है।
–मौलिक जरूरतें जैसे–भोजन, पेयजल, आवास एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो जाते हैं।

आपदा के प्रकार

आमतौर पर आपदाएँ दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक एवं मानव कृत। आपदा से होने वाली क्षति के आधार पर इन्हें पुनः दो चीज में चिन्हित किया जा सकता है।

आपदा

प्राकृतिक आपदा
मानव जनित आपदाएँ

प्रमुख

बाढ़
चक्रवात
सुखाड़

आगजनी
महामारी
पेड़ो का कटाव
रासायनिक प्रदूशण

अप्रमुख

षीत–लहर
धूल भरी आँधी
बर्फ
भूकम्प
सड़क एवं रेल दुर्घटना
दूशित खाना खाने से
विशाक्त भोजन
त्योहार पर दुर्घटना
(अत्यधिक मद्यपान, दंगा)
पर्यावरण प्रदूशण
युद्ध
ऊँचे डैम बनने से लोगों का विस्थापन
औद्योगिक दुर्घटना

आपदा की तीव्रता, अलग–अलग क्षेत्र में अलग हो सकती है और इसकी तीव्रता से ही इससे होने वाली क्षति को आकां जा सकता है।

बाढ़
सुखाड़
भूकम्प
टागजनी

आपदाओं का प्रभाव

आर्थिक प्रभाव
सामाजिक प्रभाव
राजनैतिक प्रभाव
स्वास्थ्य पर प्रभाव
पर्यावरण पर प्रभााव

प्रकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देष्य है कि

– आपदा से बचाव कर सकें और उससे समुदाय को सुरक्षित कर सकें।
– पुनर्वास की योजना बन सके
– सड़क, पुल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जा सके और विकास के लिए चल रहे अन्य कार्य को क्षति न पहुँचे
–पुनर्वास कार्य एवं आर्थिक संवर्धन के लिए स्वयं सहायता समूहों के साथ प्रयास

योजना का उद्देष्य :–

–लोगों में पूर्व तैयारी की जागरूकता उत्पन्न करना जिससे जान माल की क्षति को कम किया जा सके।
– सभी प्रकार की अक्समात् स्थिति के लिए तैयार हो कर रहना
– ग्रामिण समुदाय को आपदा से निपटने के लिए एकजुट होकर बहादुरी से सामना करना।
– बचाव की कार्यवाही के लिए मानव संसाधन/कार्यदल षीघ्र भेजना।
–कम से कम समय में प्रभावित सहाय्य पुनर्वास एवं विकास के लिए रूप रेखा तैयार करना।

समुदाय आधारित आपदा हेतु तैयारी एवं प्रबंधन

सत्र–3

छूसरा दिन : छोटे समूह में चर्चा

उद्देष्य :

– लोगों को आपदा से निपटने हेतु तैयार करना
– जान–माल की क्षति कम करने में मदद करना
– बचाव एवं राहत कार्य षीघ्र किए जा सके
– आवष्यकतानुसार पुनर्वास कार्य किए जा सके
– समुदाय के सषक्तिकरण हेतु
– समुदाय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सही रूप में उपयोग
– बाहरी सहायता के सही उपयोगिता हेतु प्रबंधन

समय :

समुदाय आधारित आपदा पूर्व तैयारी एवं प्रबंधन प्रषिक्षण सत्र 3 घण्टे चलेगा और हर एक घण्टे पर पाँच मिनट का ब्रेक दें।

माध्यम :

समूह चर्चा/विष्लेशण

प्रस्तुतिकरण

सहभागी ग्रामीण आंकलन द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते है।

समस्या चिन्हित करना

समस्या चिन्हित करने के पष्चात् उसके निदान एवं संसाधन जिसका इस्तेमाल किया जाएगा उनको चिन्हित करना। सारे सुझाव एवं समस्या के समाधान स्थानीय लोगों के बीच से ही आना चाहिए।

समुदाय सुरक्षा

समुदाय क्यों? समुदाय की सुरक्षा एवं बचाव हेतु, हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि समुदास से अभिप्राय है एक स्थन का जहाँ लेगों का एक समूह रहता है, एक दूसरे के लिए आत्मीयता की भावना होती है और समुदाय की षांति एवं समृद्धि एकजुटता के लिए प्रयासरत होते हैं। इसी प्रयास को समुदास के रूप में देखा जा रहा है।

समुदाय सुरक्षा योजना क्या है?

गाँव के परिवेष में विभिन्न समुदायों के बीच काफी भिन्नता होती है। समुदाय एक दूसरे से जाति, समुदाय, आर्थिक एवं भौगेलिक आधार पर भिन्न होते हैं। समुदाय सुरक्षा योजना इन भिन्नता के बावजूद पूरे समुदाय को एक मानते हुए उन्हें यह प्रषिक्षण देना है। इस प्रषिक्षण के पष्चात् यह आषा की जाति है कि विशम परिस्थितियों में समुदाय के लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे।

हर गाँव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपदा के समय में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इन स्वयंसेवकों की पहचान कर समुदाय की योजना बनाने से पूर्व कर लेनी चाहिए। सभी गाँववासी आपदा से निपटने के हेतु स्थानीय विकल्पों का उपयोग कर अपनी नीति निर्धारित करते हैं एवं तरीके लगाते हैं इन स्थानीय कौषल एवं ज्ञान का समुदाय की योजना में समावेस होना चाहिए।

योजना कौन बनाएगा?

योजना समुदाय के लोग बनाएगे एवं कार्यान्वित करेगें। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु एक छोटे टीम का गठन करना चाहिए जिसमें गाँव/वार्ड के चयनित प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाएँ, कुछ नवयुवक एवं कुछ गाँव के वृद्ध व्यक्ति। इस कार्यक्रम में लोगों की बातें, उनके सुझाव एवं अनुभवों की बहुत महत्ता है और इन्हीं के आधार समुदाय आधारित ग्राम योजना बनेगी।

सलाहकार समिति :

– सरकारी पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी
– स्थानीय गैर सरकारी संस्थाएँ
– गाँव के मुखिया

– अनुमंडल विकास पदाधिकारी एवं गाँव के कार्यकर्त्ता
– चयनित प्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख
– सहकारिता समितियों के सदस्य
– गाँव के वृद्ध एवं अनुभव लोग
– गाँव के छोटे–छोटे समूह

समुदाय की विषेशता :–

– एकजुटता, आपसी सदभावना एवं सहायता की सोच
– अनुभव एवं ज्ञान
– क्षमता

रोल प्ले : समय–एक (1) घंटा

पहले एक समूह, जिसमें दस सदस्य होगें, गाँव में होने वाली आपदा की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी आयेंगे और योजना की तैयारी में अपना योगदार देगें। वे सभी की जिम्मेदारी निर्धारित करेगें। वे वित्तिय सहायता पर भी चर्चा करेगें।

एक दूसरे समूह में समूह सदस्य गाँव का सामाजिक चित्रण करेगें। प्रखंड विकास पदधिकारी आकर गाँव की समस्या पूछेगें और वहाँ क्या–क्या सुविधाएँ उपलब्ध है इस पर चर्चा करेंगे। एक लिखित फारमेट के अनुसार सभी की भूमिका एवं जिम्मदारी तय की जाएगी। सभी सदस्यों में जिम्मेदारी बाँट दी जाएगी।

चर्चा के दौरान, दर्षकों से प्रष्न :–

– पहले समूह में प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका?
– दूसरे समूह में प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका?
– दोनों समूह में सदस्यों की मानसिक स्थिति कैसी थी?
– दोनों अ.वि.पदा. योजना बनाने की प्रक्रिया अपनाने में क्या भिन्नता दिखाई?
– किस प्रकार की योजना बनाने की प्रक्रिया आम जीवन में ज्यादा सही और सफल सिद्ध होगी?
– योजना बनाने से क्या लाभ होगा?
– आपदा प्रबंधन की योजना बनाने की कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए?

समुदाय की मौलिक जरूरतें :–

– गाँव में सभी सुविधाएँ
– सार्वजनिक संस्थान जैसे स्कूल, युवा क्लब, पुस्तकालय, मंदिर
– विकास की योजनाएँ कार्यान्वित करने की क्षमता।

योजना निर्माण सही रूप से हो सके, इसके लिए निम्न विशय पर चर्चा होनी चाहिए :–

आपदा पूर्व तैयारी हेते :–

– पिछले साल की आपदाओं से समुदाय की भूमिका
– गाँव के सामाजिक चित्रण का विष्लेशण
– गाँव के आपदा चित्रण का विष्लेशण। आपदा प्रबंधन एवं जोखिम चित्रण की तैयारी पर चर्चा हाकनी चाहिए।
– गाँव के कौन से हिस्से कि आपदाओं से प्रभावित होंगे।
– आपदा पूर्व तैयारी क्या होगी एवं संचार माध्यम कैसा होगा।
– स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु क्या निरोधात्मक कार्यवाही की जानी जाएगी?
– स्वयंसेवकों की पहचान एव ंदल का गठन
– आपदा पूर्व मौलिक जरूरतों की वस्तुएँ जैसे पेयजल, सुखा भोजन, दवाईयाँ इत्यादि का भण्डारण
– लोगों के बीच में जागरूकता
– लोगों में अनुषासन
– मौलिक जरूरतों का आंकलन
– स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ाई/षिक्षा

– सूचना एकत्रित करना एवं आपदा के लिए पूर्व तैयारी
– स्थानीय गैर–सरकारी संस्थानों से संपर्क एवं मदद
– सरकारी प्रयासों के बारे की सुरक्षा

आपदा के दौरान

– क्षति आंकलन
– बचाव कार्य
– जख्मी लोगों का उपचार
– प्रभावित लोगों का पुर्नवास
– भोजन एवं चारे की व्यवस्था
– सहाय्य कैम्प की व्यवस्था एवं प्रभावित लोगों को वहाँ पहुँचाना
– आवष्यक वस्तुओं का वितरण–जैसे भोजन, पेयजल, कपड़े, बर्तन इत्यादि
– लोगों को खतरे से अवगत कराना।
– सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के बीच संमन्वय
– गैरकानूनी एवं अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं गष्ती

आपदा के उपरान्त :–

– क्षति आंकलन तुरंत करना
– आवष्यकता आंकलन
– प्रभावित घरों की मरमत्ति एवं पुर्नस्थापना
– आर्थिक पुर्नस्थापना
– बीमा राषि–फसल एवं जान–माल सुनिष्चित करना
– बीज एवं रूपनी के लिए भण्डारण कराना
– फसल की क्षति आंकलन एवं क्षेत्र
– क्षतिग्रस्त सड़कों पुल/पुलिया/रेल लाइन की मरम्मत्ति
– विकास के लिए कार्य
– आपदा के प्रभाव पर लोगों की चर्चा की जानकारी एवं जागरूकता

प्रषिक्षण षुरू करने से पहले ही सभी प्रषिक्षण सामग्री तैयार होनी चाहिए एवं जहाँ तक संभव हो स्थानीय भाशा की ही प्रयोग करे।

सत्र 1

परिचय

उद्देष्य

इस सत्र के पष्चात्, सभी प्रषिक्षार्थी इस सत्र के उद्देष्य के बारे में जान जाएगें।

– सभी प्रषिक्षार्थी का स्व–परिचय
– प्रषिक्षण कार्यक्रम के नियम
– प्रषिक्षण के लिए सही वातावरण निर्माण

समय : एक घंटा

मध्यम : स्वागत भाशा, चर्चा, परिचय, विषेशज्ञों द्वारा संबोधन

प्रषिक्षण–सामग्री : बैनर, मार्कर, पेन, फिलप चार्ट

सभी प्रषिक्षार्थी अर्थ गोलकर में बैठेगें अथवा न आकार में बैठेंगे

पहला 15 मिनट :

ट्रेनर सबसे पहले खुद का परिचय देंगे। वह सभी को प्रषिक्षण के नाम तथा नियम के बारे में बताऐंगे। तत्पष्चात् वह परिचय सत्र को आगे बढ़ाएगें।

टगला 15 मिनट :

किसी खेल द्वारा ''आइस ब्रेकिंग'' अभ्यास

अन्तिम 15 मिनट :

प्रषिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देष्य पर चर्चा, प्रषिक्षण से अपेक्षाएँ एवं सभी प्रषिक्षण के लिए साथ एवं सभी प्रषिक्षार्थियों की भूमिका की स्पश्टान धन्यवाद ज्ञापन के साथ सत्र समाप्ति।

आइस ब्रेकिंग खेल

किसी भी प्रषिक्षण के लिए एक साथ कई जगह के नए–नए लोग एकजुट होते हें, सभी चिन्हित होते है कि क्या करना होगा अथवा क्या होगा क्या करना अथवा क्या पूछा जाएगा इससे वातावरण सौहादयपूर्ण नहीं बन पाता। इस वातावरण को बदलते और प्रषिक्षण के लिए सही वातावरण निर्माण ही यह खेल कराया जाता है जिससे सभी प्रषिक्षार्थी आपस में घुलमिल जाए और एक सकूल के रूप में सामने आएं।

खेल : पूरा समूह एक गोला में बैठता है। बीच में एक व्यक्ति वकील बन कर बैठता/ती है और किसी से भी सवाल पूछता/ती है और किसी से भी सवाल पूता/ती है। परन्तु जिसे सवाल पूछा गया हो उसे जवाब देना है। सवाल का गलत जवाब देने पर वह व्यक्ति वकील बन जाता है। इस खेल से समूह में आपसी समझ बनती है।

सत्र–2

बाढ़ के सम्बन्ध में नागरिकों हेतु चेकलिस्ट

बाढ़ का आकलन

1. क्या आपके जानकारी है कि आपका क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है अथवा नहीं?
2. आपके क्षेत्र में पीछे जितने भी बाढ़ आयी उसका दुश्प्रभाव क्या रहा? क्या आपने इसका आकलन किया है?
3. यदि आपका क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है तो बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है?
4. बाढ़ से आपके आसपास की कितनी आबादी/बसावट/ग्राम खतरे में आ सकते हैं, क्या उन्हें आपने/आपकी ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका वार्ड ने चिन्हित कर लिया है?
5. क्या इसकी सूची बना ली गयी है?
6. क्या आपके क्षेत्र में आने वाली बाढ़ की सूचना पूर्व से आकाषवाणी/दूरदर्षन/ब्लाक/तहसीलकर्मी/सिंचाई विभाग के कर्मी के माध्यम से प्राप्त होती है, क्या सूचनाओं के प्रति सजग हैं?

आपदा प्रबन्ध योजना

7. क्या आप आपदा प्रबन्ध योजना के बारे में जानते हैं?
8. यदि नही ंतो इसके बारे में अपने लेखपाल/पंचायत सचिव/खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करें।
9. यदि हाँ तोक्या चिन्हित आबादी हेतु आपदा प्रबन्ध योजना बना ली गयी है?
10. यदि आपदा प्रबन्ध योजना बनायी गयी है तो क्या स्थानीय लोगों तथा बाढ़ एवं राहत कार्य से जुड़ लाइन डिपार्टमेन्ट की सहभागिता ली गयी है,
11. क्या उक्त योजना की जनता को जानकारी है,
12. आपदा प्रबन्ध योजना में चिन्हित आपदारोधी निर्माण कार्य को पूरा किये जाने हेतु समुदाय का श्रमदान अथवा कौन–कौन से सरकारी विभाग का सहयोग लिया जा सकता है।

बाढ़ सुरक्षा समिति

13. क्या आपके गांव/नगर/वार्ड में बाढ़ सुरक्षा समिति का गठन हो चुका है,
14. यदि हाँ तो समिति के क्या दायित्व हैं, आपको पता है,
15. यदि नहीं, तो इस हेतु ग्राम में तैनात राजस्व कर्मी से सम्पर्क किया जाना आवष्यक है।

16. बाढ़ आपदा हेतु जिला, तहसील, ब्लाक स्तर पर कौन सा विभाग, उसके अधिकारी, कर्मचारी क्या काम करेंगे (स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) यह आपको पता है?
17. यदि हाँ, तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों से आकस्मिक रूप से सम्पर्क करने के लिये क्या इनका आवास, आवास का दूरभाश नम्बर, मोबाइल नम्बर आपको पता है?
18. क्या आपको जनपद, तहसील स्तर के बाढ़ नियन्त्रण केन्द्र, सिंचाई विभाग की बाढ़ चौकियों के बारे में जानकारी है? क्या आप इनसे सूचनाओं का आदान–प्रदान करते हैं?

मॉक ड्रिल

19. क्या आपने गांव में बाढ़ हेतु अतिसंवेदनषील चिन्हित क्षेत्र में आपदा प्रबन्ध योजना के अनुरूप बाढ़ से पूर्व बाढ़ से रक्षा हेतु मॉक ड्रिल किया है,

बाढ़ पूर्व संवेदनषील अधिसंरचना का सुदृढ़ीकरण

20. क्या आपके गांव में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के बन्धे/तटबंध आदि का अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य मानसून से पूर्व कर लिया गया है,
21. बाढ़ के समय अत्यधिक जल प्रवाह/जल दबाव के कारण बन्धे/तटबंध के कमजोर होने की स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा क्या उसको ठीक करने हेतु कोई कार्यवाही की गयी है।
22. यदि नहीं, और आप समझते हैं कि मरम्मत/अनुरक्षण के अभाव में तटबंध/बंधा जल दबाव/ बाढ़ के समय घातक हो सकता है तो क्या इसकी सूचना खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी के माध्यम से सिंचाई विभाग को दी गयी?
23. क्या मानसून आने से पूर्व नगरीय क्षेत्रों में नाली–नालों की सफाई कर ली गयी है,
24. यदि नही तो क्या आप ने इसकी सूचना अधिषासी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पालिका नगर महापालिका के नगर आयुक्त को दे दी है।
25. ज्ल भराव की आषंका वाले क्षेत्रों की सूचना क्या नगर पंचायत/नगर पालिका/ग्राम पंचायत को दे दी गयी है?
26. यदि सम्बन्धित पंचायत द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्या आपने अपने विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य लाया है।

राहत व्यवस्था एवं राहत षिवर

27. क्या षसन द्वारा चिन्हान्कित बाढ़ राहत षिविरों की जानकारी आपको है,
28. बाढ़ राहत षिविर में सरकार द्वारा क्या–क्या सुविधा प्रदान की जायेगी, क्या आपको इसकी जानकारी है,
29. क्या आप को पता है कि बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हताहत व्यक्तियों/पषुओं/परिसम्पत्तियों के नुकसान होने पर सरकार राहत सहायता वितरित करती है।
30. क्या आप जानते है कि राहत सहायता हेतु आप लेखपाल/कानूनगो/नायबतहसीलदार/ तहसीलदार उपजिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
31. क्या आप जानते हैं कि अनुमन्य राहत सहायता सामान्यतः 24 घंटे के अन्दर प्राप्त हो जानी चाहिए।
32. क्या आप जानते हैं कि कौन–कौन सी प्राकृतिक आपदाएँ है जिसके अर्न्तगत जानमाल के नुकसान पर राहत सहायता मिलती है।
33. किन दैवीय/प्राकृतिक आपदाओं में आपको जिला प्रषासन द्वारा राहत प्रदान की जायेगी और कितनी धनराषि प्राप्त होगी इस हेतु इस पुस्तिका में उल्लिखित आपदा राहत निधि नियमावली को ध्यान से पढ़े।

नाव की व्यवस्था

34. बाढ़ बचाव हेतु सरकार द्वारा की गयी नावों की व्यवस्था के अतिरिक्त अपने ग्राम/मोहल्ला / बसावट में उलब्ध अतिरिक्त नावों को बाढ़ के लिये तैयार कर ली गयी है।
35. क्या आप को पता है कि निजी नावों के प्रयोग पर जिला प्रषासन निष्चित दरों पर नाव स्वामी / मल्लाह को किराया भी उपलब्ध कराता है।
36. क्या आप को पता है कि नाव में क्षमता से ज्यादा व्यक्ति अथवा बोझ नहीं डालना चाहिये अन्यथा तेज बहाव में इसका डूबने का खतरा होता है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

37. क्या जनपद स्तर पर बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के उपरान्त फैलने वाली बीमारी/महामारी के प्रति आप जागरूक हैं। बीमारी की दषा में षासन द्वारा उपलब्ध चिकित्सा सुविधा कहाँ–कहाँ से प्राप्त होगी, इसकी जानकारी आपको है,
38. बाढ़ के समय कुवें व हैण्डपम्प का पानी दूशित हो जाता है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये की जानकारी आपको है,
39. पनी पीने वाले घड़ों की सफाई समय–समय पर करते रहें तथा घड़ों के मुँह पर साफ कपड़ा बाँध कर रखें। घड़े के मुँह पर बाँधे गये कपड़ को भी समय–समय पर साफ कर रखें, घड़ों के आस–पास रेत/ऐसा उपाय कर लें, जिससे पानी, कीचड़ इत्यादि से जल दूशित न हो। वर्शा षुरू हो जाने के 0–15 मिनट बाद घड़ों में जल संग्रह करें। इससे हवा में दूशित पदार्थ जल में नहीं मिल पायेंगे।
40. यदि हाँ, तो पेयजल के विसंक्रमण हेतु जिला प्रषासन क्या–क्या व्यवस्था कर रहा है। इसके बारे में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त करें।
41. क्या आप को पता है कि स्वास्थ्य विभाग बाढ़ में फँसें बीमार व्यक्तियों हेतु सचल चिकित्सीय दल की भी व्यवस्था करता है, इस हेतु आप प्राथमिक/सामुदायिक/जिलाचिकित्सालय/ खण्ड विकास अधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
42. बाढ़ में मारे गये हताहत पक्षियों/पषुओं को खुले/पानी के स्थान पर फेंक कर उसे गड्ढे में दफनाना चाहिये, कि जानकारी आपको है।

मोबाइल चिकित्सीय दल

43. स्रकार द्वारा बाढ़ ग्रस्त जलमग्न आबादी वाले क्षेत्र में सचल मोबाइल चिकित्सीय दल द्वारा चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाती है। क्या आपको इसकी जानकारी है,
44. बाढ़ के समय इसका लाभ उठाने के लिये क्या आपने अपने साथियों को बताया है?

आपदा नियन्त्रण केन्द्र

45.	क्या आपको जानकारी है कि बाढ़ राहत कार्यों केलिये जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग ने अपना नोडल अधिकारी नामिल कर दिया है,उसका नाम, पता व दूरभाष नम्बर आदि जनपदीय आपदा नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध है?		
46.	क्या बाढ़ सम्बन्धी पूर्व चेतावनी को प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रसार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा कर ली गयी है और आपको इसकी जानकारी है।		

47.	आपदा सहायता सम्बन्धी टॉला फ्री नम्बर 1077 आपदा नियंत्रण कक्ष से सम्बन्धित है, क्या आपको इसकी जानकारी है।		
48.	नदी किनारे स्थापित अति संवेदनशील बसावट/ग्राम मुहल्ले के आप निवासी है तो आप क्या आपके समुदायने अपने ग्राम के बुजुर्गों के अनुभव के आधार पर कोई आपका बाढ़ पुर्वानुमान केन्द्र, स्थापित किया है।		
49.	क्या आपको आपात सूचना हेतु थाना, तहसील तथा ब्लाक स्तरीय समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के फोन नम्बर एवं मोबाइल नम्बर ज्ञात है।		

बाढ़ में हुई क्षति का ब्योरा

50.	क्या आपको जानकारी है कि बाढ़ में हुई क्षति का आंकलन तहसील कर्मियों द्वारा किया जाता है। जिसके अनुरूप आपदा राहत निधि के मानकों के अनुसार राहत उपलब्ध करायी जाती है?		
51.	क्या आपको आपदा रात निधि के मानक मदों एवं इनकी दरों कीजानकारी है।		

मानसून की विभिन्न परिस्थितियों में फसल प्रबन्धन की रणनीति

उत्तर प्रदेश में सकल बोए गए 253.07 लाख हेक्टेयर में से 116.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल खरीफ फसलों के अन्तर्गत आच्छादित है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 78.6 प्रतिशत क्षेत्रफल सिंचित है जबकि खरीफ फसलों के अन्तर्गत बोए क्षेत्रफल का मात्र 61.7 प्रतिशत क्षेत्रफल की सिंचित है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि प्रदेश का बहुतायत क्षेत्रफल अभी भी वर्षा पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश में औसतन 947.4 मिमी0 वर्षा प्राप्त होती है, परन्तु विभिन्न अंचलों में प्राप्त होने वाली वर्षा के आंकड़ों में बहुत विविधता है। प्रदेश के उत्तर–पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के गोरखपुर एवं महराजगंज जनपदों में जहाँ औसतन 1364 मिमी0 वर्षा प्राप्त होती हे वहीं दक्षिण – पश्चिमी अर्ध–शुष्क मैदानी जलवायु क्षेत्र के आगरा एवं मथुरा जनपदों में मात्र 655 मिमी0 औसत वर्षा ही प्राप्त होती है। वर्षा के माहवार आंकड़ों के विश्लेशण से यह भी स्पष्अ है कि सामान्य मानसून की स्थिति में प्रदेशके उत्तर–पूर्वी एवं तराई जनपदां में माह जून में ही इतनी वर्षा प्राप्त हो जाती है जो, खरीफ मक्का, उर्दू, मूंग अरहर एवं अन्य कम पानी चाहने वाली फसलों को ऊपरी क्षेत्रों में बुवाई तथा धान की रोपाई हेतु खेतों को तैयार करने के लिए पर्याप्त है। अतः प्राप्त वर्षा का लाभ उठाते हुए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उपरोक्त फसलों की बुवाई शीघ्र करके गेहूं की फसल से पूर्व एवं इन फसलों के कटने के मध्य तोरिया एवं आलू की फसल सफलतापूर्वक ली जा सकती है।

दक्षिण–पश्चिमी अर्ध–शुष्क मैदानी क्षेत्र एवं बुंदेलखण्ड अंचल में मानसून जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में ही सक्रिय रहता है। अतः इन क्षेत्रों में कम पानी चाहने वाली तथा कम अवधि की फसल/फसल प्रजातियाँ लगाना ही उचित होगा।

प्रदेश के लम्बी अवधि के वर्षा के आंकड़ों की संगणना से यह भी तथ्य सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक तीन वर्ष में किसी एक वर्ष औसत वर्षा की मात्र 75 प्रतिशत या इससे भी कम वर्षा प्राप्त होने की संभावना रहती है। फलस्वरूप असामान्य मानसून की परिस्थितियों में फसलों की उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित होती है। प्रदेश को 9 एग्रोक्याइमेटिक जोन में कृषि जलवायु के आधार पर विभाजित किया गया है। अतः विद्यमान परिस्थितियों एवं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार आक्स्मिक कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है।

सामान्यता प्रदेशमें मानसून (वर्षा) की निम्न परिस्थितियां देखने में आती है :–

1. वर्षा समय पर प्रारम्भ होने के बाद लम्बे अन्तराल का गैप।
2. वर्षा विलम्ब से शुरू होने की दशा।
3. वर्षा की बीच–बीच में रूकने (सूखे/आवर्षण) की स्थिति।
4. वर्षा का समय से प्रारम्भ होकर समय से पहले समाप्त होने की स्थिति।
5. मानसून वर्षा के सामान्य से कम होने की सम्भावना की स्थिति।
6. सामान्य से अधिक वर्षा/जलमग्नता की स्थिति।

वर्षा समय पर प्रारम्भ होने के बाद लम्बे अन्तराल का गैप

ऐसी दशा में फसलों की बुवाई/रोपाई समय पर तो हो जाती है, किन्तु उसके पश्चात सूखा/अवर्षण की लम्बी अवधि में पर्याप्त नमी न होने की स्थिति में फसलें अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही सूखने लगती है। अतः आवश्यक है कि :–

1. जब तक पर्याप्त वर्षा न हो बुवाई प्रारम्भ न करें।
2. यदि बुवाई में विलम्ब हो रहा हो तो कम अवधि की संलग्न तालिका में अंकित प्रजातियों की बुवाई की जाय।

3. फसलों में घने पौधों का विरलीकरण (थिनिंग), खरपतवारों को रोकने हेतु अन्तःकर्षण एवं मल्ब को प्रयोग किया जाय। फसल में पौधों की संख्या कम रखी जाय तथा मल्ब के रूप में बायोमास (जैव उत्पाद) का प्रयोग किया जाय।

4. जीवन रक्षक सिंचाई हेतु क्यारी तथा बरहा विधि अथवा एकान्तर पंक्ति विधि को अपनायें।

5. खेतों, तालाबों, पोखरो, एवं झीलों इत्यादि में पानी का संरक्षण किया जाय, जिससे फसल की क्रान्तिक वृद्धि की दशाओं में उन्हें सिंचित किया जा सके।

6. संग्रहित/एकत्रित किये गये जल का दक्ष सिंचाई विधियाँ अपनाकर फसलों को बचायें।

7. फसलों द्वारा जल–हानि को कम करने के लिए ज्वार, मक्का तथा गन्ने की पुरानी पत्तियों को पौधों से अलग कर उन्हें मल्ब के रूप में प्रयोग करकं।

8. पोषक तत्वों (नत्रजन) का घोल बनाकर (2 प्रतिशत यूरिया) पर्णीय छिड़काव किया जाय।

9. खेतों की जुताई ढाल के लंबवत दिशा में की जाय।

10. नहरो/नलकूपों की नालियों को ठीक दिशा में रखा जाय जिससे उपलब्ध सिंचाई जल की कम से कम क्षति हो।

वर्षा विलम्ब से शुरू होने की दशा (मानसून देर से आना)

इसमें प्रायः सामान्य तिथि से 3 सप्ताह या उससे अधिक समय पश्चात् वर्षा का शुरू होना आता है। फसलों की बुवाई/रोपाई प्रभावित होने के साथ उत्पादकता में भारी कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में :–

1. धान की नर्सरी 15 दिन अन्तराल पर तैयार की जाय तथा नर्सरी में अवश्यकता से अधिक क्षेत्र रखा जाय ताकि विषय परिस्थितियों में उचित अवस्था की पर्याप्त पौध उपलब्ध रहे।

2. यदि वर्षा कुछ विलम्ब से अर्थात 30 जुन के बाद प्रारम्भ होता है तो, ऐसी स्थिति में धान की मध्यम अवधि की प्रजातियों जैसे सूरज–52, नरेन्द्र–359, पन्त–4, पन्त–10, पी0एन0आर0–381 का चयन किया जाय।

3. यदि वर्षा 10 जुलाई के बाद अर्थात् विलम्ब से प्रारम्भ होती है तो उस स्थिति में धान की कम अवधि की संस्तुत प्रजातियों जैसे नरेन्द्र–97, नरेन्द्र–118, अश्विनी, नरेन्द्र–80, गोविन्द, साकेत–4, रत्ना, आई0आर–36 तथा पन्त–12 का चयन किय जाय तथा विलम्ब की दशा में 10 अगस्त तक सीधी बुवाई की जाय।

4. यदि वर्षा विलम्ब से प्रारम्भ होती है और जुलाई माह में धान की रोपाई/बुवाई न होने के कारण खेत खाली रह जाते हैं तो उस दशा में उपरहार क्षेत्रों में कम समय में तैयार होने वाली बाजरे एवं ज्वार की संकुल प्रजातियों तथा उर्द, मूंग एवं तिल की बुवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

5. धान की खेती में घनी रोपाई कराई जाय तथा बीज दर 20 से 25 प्रतिशत बढ़ा दी जाय।

6. मानसून के अति विलम्ब की दशा तथा खरीफ फसलों की बुवाई/रोपाई न हो पाने की दशा में तोरिया, आलू एवं सरसों इत्यादि जैसी रबी की फसलों की शीघ्र बुवाई संस्तुत है, क्योंकि इससे उपलब्ध नमी का संरक्षण भी होगा।

7. रबी की सामान्य फसलों के स्थान पर तोरिया, अगेती आलू, सरसों, चना, मसूर इत्यादि की बुवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाय तथा इनकी बुवाई की आवश्यकताओं की वयवस्था सुनिश्चित की जाय।

8. सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने हेतु 2.5 किग्रा0 यूरिया एवं 2.5 किग्रा0 पोटाश का छिड़काव करें।

9. नमी संरक्षरण हेतु पेड़ों के चारों ओर थाले बनाये तथा मल्च का प्रयोग करें।

वर्षा का बीच–बीच में रूकने (सूखा/अवर्षण) की स्थिति में

अवषर्ण की अवधि 2.3 सप्ताह या अधिक होने के कारण बोई गई फसलों सूखने लगती हैं और उत्पादकता में भारी कमी आ जाती है। अतः खड़ी फसल को बचाने हेतु निम्न उपाय लाभकारी होंगे :–

1. अवर्षण/सूखा के कारण जिन खेतों की फसलें सूख गई हो, उनमें बाद में वर्षा होने पर कम समय तैयार होने वाली संकर बाजरा, ज्वार, उर्द, मूंग तथा तिल की बुवाई की जाय।

2. अवर्षण/सूखा की स्थिति के कारण खेत खाली रह जाने अथवा फसलों के सूख जाने की दशा में बुवाई हेतु विलम्ब से बोयी जाने वाली फसलों एवं फसल प्रजातियों का चयन किया जाय। विलम्ब से बुवाई हेतु अगस्त के प्रथम सप्ताह तक उर्दू की उत्तरा, टाइप–9, नरेन्द्र उर्द–1, पन्त यू–35 एवं पन्त यू–19 प्रजाति 10 से 20 अगस्त तक मूंग की बुवाई हेतु टाइप 44, पन्त मूंग–1, पन्त मूंग–2, सम्राट, मालवीय जनप्रिया, मालवीय जनचेना, मालवीय ज्योति एवं नरेन्द्र मूंग–1 अरहर की सितम्बर माह में बुवाई हेतु विकास,पूसा–9 एवं डी–11 तथा अण्डी (कैस्टर) की सितम्बर माह में बुवाई हेतु टाइप–3, टाइप–4 एवं कालपी–6 प्रजातियों का चयन करें।

3. सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने हेतु 2.5 किग्रा0 यूरिया एवं 2.5 किग्रा0 पोटाश का छिड़काव करें।

4. अगस्त माह के आखिर तक फसल सूख जाने अथवा बुवाई/रोपाई न हो पाने वाले खेतों में सितम्बर के प्रथम पखवारे में अगेती राई, सरसों, तोरिया इत्यादि की बुवाई की जाय।

5. नमी एवं जल संरक्षण एवं प्रबन्धन की क्रियाओं को अपनाया जाय।

6. ''कैच क्रॉप'' फसलों की बुवाई की जाय।

7. नहरों के अल्पिकावार रोस्टर तैयार करते समय क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाय। नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय तथा नहरों में अवैध कटानों पर नियंत्रण कराया जाय।

8. राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखा जाय तथा खराब होने वाले नलकूपों की त्वरित मरम्मत का प्रबन्ध हो। डीजल/विद्युत नियमित एवं निर्विघ्न आपूर्ति कराई जाय।

वर्षा/मानसून का समय से प्रारम्भ होकर समय से पहले समाप्त होने की स्थिति

ऐसी दशा में वर्षा 20 जून के आस–पास शुरू हो जाती है लेकिन अगस्त के तीसरे सप्ताह या सितम्बर के प्रारम्भ में ही समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में खरीफ की प्रमुख फसल धान को भारी क्षति होती है। अतः निम्न उपाय श्रेयस्कर होंगे।

1. नमी संरक्षण तथा जल प्रबन्धन की क्रियाएँ अपनायी जाय।

2. संग्रहित/एकत्रित जल का समुचित उपयोग, फसलों की जीवन–रक्षक सिंचाई हेतु किया जाय।

3. दलहन, तिलहन, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि की कम अवधि की प्रजातियों की बुवाई की जाय।

4. रबी एवं अगेती रबी की फसलों की तैयारी करें।

5. मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि की पुरानी/निचली पत्तियों को निकाला जाय।

6. मल्चिंग एवं खरपतवार नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

7. सिंचाई–जल की हानि न्यूनतम करने के लिये उपयुक्त नियन्त्रित सिंचाई विधियों तथा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर, सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग किया जाय।

8. नहरों/नलकूपों की नालियों को ठीक दशा में रखा जाय तथा नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

मानसून वर्षा के सामान्य से कम होने की सम्भावना की स्थिति

ऐसी स्थिति में सामान्य की अपेक्षा कम वर्षा होने का मई–जून माह में पूर्वानुमान प्रायः हो जाता है। स्वाभाविक है, कम वर्षा होने से खरीफ की फसलों की वृद्धि एवं उपज प्रभावित होती है। अतः उचित होगा कि–

1. फसल योजना में एक से अधिक फसलों का समावेश किया जाय तथा एकल फसल की अपेक्षा मिरित फसलों के उगाने को प्राथमिकता दी जाय।

2. कम अवधि की फसल प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए।

3. फसल योजना में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों का समावेश किया जाय।

4. जल–संग्रहण के उपाय अपनाएं तथा संचित जल का सिंचाई हेतु उपयोग करें।

सामान्य से अधिक वर्षा/जलमग्नता की स्थिति

सामान्य से अधिक वर्षा होने पर बहुत से क्षेत्रों में जल–भराव/ठहराव एवं जलमग्नता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि जलमग्नता की स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है, तो विशेषतया दलहनी, तिलहनी, मक्का एवं जवार की फसलों को भारी क्षति होती है। अतः निम्नलिखित उपाय किये जाने आवश्यक हैं :–

1. जल निकास की उचित व्यवस्था बनायी जाय तथा जल निकास के नालों एवं नालियों की उचित सफाई की जाय।

2. ऐसे क्षेत्रों में अन्य फसलों की अपेक्षा धान एवं गन्ना की खेती को प्राथमिकता के आधार पर किया जाय तथा धान की फसल में महसूरी, जल लहरी, स्वर्णा, मधुकर, जलप्रिया, जलनिधि, बाढ़ अवरोधी एवं गन्ने की फसल में यू0पी0 स9530 तथा को0 से0– 96436 प्रजातियों का प्रयोग करें।

3. जलमग्नता की स्थिति से प्रायः प्रदेश के पूर्वी जनपद प्रभावित होते हैं। अतः इन जनपदों के प्रभावित क्षेत्रों में धान की प्रजातियाँ निम्नानुसार हैः–

(1) निचले जल भराव वाले क्षेत्र :–

अ. 30–50 सेमी0 तक भराव–महसूरी, जल लहरी, स्वर्णा, साभा महसूरी।

ब. 50–100 सेमी0 चकिया 69, मधुकर, जलप्रिया।

(2) एक मीटर से अधिक गहरे पानी वाले क्षेत्र जल निधि, जलमग्न।

(3) बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बाढ़ अवरोधी एवं मधुकर।

4. धान की अगेती रोपाई (मध्य जून से जुलाई के प्रथम समाप्त तक) करें, यदि सम्भव हो तो पलेवा करके मई के अन्तिम सप्ताह में सीधी बुवाई करें तथा जल भराव के पूर्व पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्ध करायें ताकि जल–भराव के समय फसल की बढ़वार अच्छी हो।

5. अधिक वर्षा से जलमग्नता के कारण यदि फसलें नष्ट हो जाती हैं तो अगस्त के अन्तिम सप्ताह तक उनकी दोबारा बुवाई/रोपाई में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का प्रयोग किया जाय।

6. यदि अगस्त के महीने में जलमग्नता की स्थिति उत्पन्न होती है तो बाढ़ कम होने के तुरन्त बाद फसलों में यूरिया की टाप ड्रेसिंग करें।

7. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गन्ने की यू0पी0 9530 एवं को0से0 96436 प्रजातियाँ लगाये।

8. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अक्टूबर माह में बोई जाने वाली गन्ने की फसल को प्राथमिकता दी जाए जिससे बाढ़ का समय आते–आते फसल को विकास पर्याप्त हो चुका हो।

9. अधिक नमी के कारण तराई क्षेत्र में यदि अक्टूबर माह में गन्ने की बुवाई सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में पालीबैग विधि अपनाकर खेतमें ओट आने की दशा में पालीबैग विधि से तैयार गन्ने की पौध लगाना चाहिए।

10. बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गन्ने की पौध लगाना चाहिए।

11. जलमग्नता/बाढ़ की स्थिति के कारण यदि यूरिया की टाप ड्रेसिंग संभव न हो तो 5 प्रतिशत यूरिया के घोल का पर्णीय छिड़काव करें।

12. यदि जलमग्नता/बाढ़ की स्थिति सितम्बर के पूर्व आती है, तो तोरिया, उर्द, मूंग या सूरजमुखी की खेती पर जोर दिया जाय।

एग्रोक्लाईमेटिक जोनवार फसल योजना

क्र0 सं0	एग्रोक्लाईमेटिक जोन प्रमुख फसल पद्धति	फसल योजना		
		15 जुलाई से 31 जुलाई तक	1 अगस्त से 15 अगस्त तक	16 अगस्त से 31 अगस्त तक

1.	तराई क्षेत्र प्रमुख फसल पद्धति धान	• धान की मध्यम अवधि की प्रजातियों जैसे पन्त 10 नरेन्द्र–359, पूसा–44, पी.एन.आर.–381 एवं सरजू–52 उगायें। • मक्के की तरूण, नवीन एवं कंचन प्रजाजियाँ उगायें। • गन्ने की फसल में जीवन रक्षक सिंचाई करें। गन्ने की निचली पत्तियों का मल्च के रूप में प्रयोग करें। • गन्ने में सिंचाई करें तथा 5–7 किलो/हे0 की दर से पोटाश तत्व का छिड़काव करें।	• धान की शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ जैसे–गोविन्द, नरेन्द्र–118, नरेन्द्र–97, एवं साकेत–4 उगायें। • मक्के की सूर्या, आजाद उत्तम एवं नवज्योति प्रजातियाँ उगायें। • चारे की फसलें उगायें। • चारे में ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंगा, लोबिया, ग्वार इत्यादि की एकल अथवा की एकल अथवा दो या तीन फसलों की मिश्रित चारे की फसलों की मिश्रित चारें की फसल उगायें। इससे जोखिम कम होगा तथा पौष्टिक में वृद्धि होगी।	• चारे की बुवाई करें। • चारे में ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, लोबिया, गवार इत्यादि की एकल अथवा दो या तीन फसलों की मिश्रित चारे की फसल उगायें। • तोरियां आलू इत्यादि की फसलों की तैयारी करे।
2.	पश्चिमी मैदानी क्षेत्र प्रमुख फसल पद्धति धान/बाजरा/अरहर	• धान, बाजरा एवं मक्का की मध्यम अवधि की प्रजातियाँ उगायें। • धान पन्त–10 सरजू–52, पूसा–23, पूसा–44 एवं पन्त–4 • बाजरा–पूसा–23 पूसा–322 एवं डब्लू सी सी–75	• धान मक्का एवं बाजरा की शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ उगायें। • धान पन्त–10 सरजू–52, पूसा–44 एवं पन्त–4 • बाजरा–आई सी टी0पी0 8203 एव राज 171, मक्का, नवज्योति,	• अरहर की पूसा–9 एव डी0 ए0–11 प्रजातियाँ उगायें। • चारे में ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग लोबिया, ग्वार इत्यादि की एकल अथवा दो

		• मक्का प्रकाश,सरताज, नवीन एवं तरूण। • गन्ने की फसल में जीवन रक्षक	सूर्या, आजाद उत्तम एवं डी0 7651 • गन्ने की फसल में जीवन रक्षक	या तीन फसलों की मिश्रित चारे की फसल उगायें।
		• धान मक्का एवं बाजरा की शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ उगायें। • धान पन्त–10 सरजू–52, पूसा–44 एवं पन्त–4 • बाजरा–आई सी टी0पी0 8203 एव राज 171, मक्का, नवज्योति, सूर्या, आजाद उत्तम एवं डी0 7651 • गन्ने की फसल में जीवन रक्षक	• धान मक्का एवं बाजरा की शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ उगायें। • धान पन्त–10 सरजू–52, पूसा–44 एवं पन्त–4 • बाजरा–आई सी टी0पी0 8203 एव राज 171, मक्का, नवज्योति, सूर्या, आजाद उत्तम एवं डी0 7651 • गन्ने की फसल में जीवन रक्षक	• धान मक्का एवं बाजरा की शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ उगायें। • धान पन्त–10 सरजू–52, पूसा–44 एवं पन्त–4 • बाजरा–आई सी टी0पी0 8203 एव राज 171, मक्का, नवज्योति, सूर्या, आजाद उत्तम एवं डी0 7651 • गन्ने की फसल में जीवन रक्षक
		• मक्का प्रकाश,सरताज, नवीन एवं तरूण।		

असामान्य मानसून की दशा में फसल प्रबन्धन के सामान्य उपाय

1. विशेष सस्य क्रियायें

- फसलों द्वारा उपलब्ध नमी एवं पोषक तत्वों के पूर्णतः उपयोग हेतु फसलों को खरपतवार मुक्त रखा जाय।
- फसलों की पौध संख्या में कमी थिनिंग (विरलीकरण) करके की जाय।
- मक्का, ज्वार तथा बाजरा की फसलो में मूंग उर्द एवं लोबिया की सहफसली खेती की जाय, जिससे कि सूखे की स्थिति में जोखिम की सम्भावना कम रहें।
- असिचित दशा में संस्तुत नत्रजन की मात्रा को 40 प्रतिशत कम करके बुवाई/रोपाई के समय ही प्रयोग किया जाय तथा उसी समय फास्फोसरल एवं पोटाश की संस्तुत पूरी मात्रा का प्रयोग किया जाय।
- जितना सम्भव हो सके कार्बनिक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाय।
- धान, गन्ना, ज्वार, मक्का, बाजरा एवं दलहन, तिलहन में संस्तुत फसल सुरक्षा उपायों को अपनाया जाय।
- धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन एवं तिलहन के बीजों को बोने से पूर्व 2–2.5 ग्राम थीरम या कैप्टान प्रति किलो बीज दर से बीजोपचार किया जाय।

2. जल एवं नमी संरक्षण के उपाय

- खेती पूर्णतया समतल होने चाहिये, जिससे कि सिंचाई – जल का पूरे खेत अथवा खेत के टुकड़ों के समान रूप से वितरण हो सके।
- खेत बुवाई हेतु सर्वथा तैयार होना चाहिये, जिससे कि वर्षा शुरू होती बुवाई प्रारम्भ की जा सके।
- उपरहार भूमियों में सिंचाई के लिए नाली एवं बड़ी क्यारियाँ, मेड़ एवं नाली तथा कन्टूर ट्रैनच विधियों का प्रयोग किया जाय।
- समय–समय पर अन्तःकर्षण क्रियाओं से तैयार मल्च द्वारा भूमि सतह से होने वाली नमी की वाष्पोत्सर्जन द्वारा हानि को रोके।
- जहाँ तक सम्भव हो सके आर्थिक रूप से लाभदायक एवं क्षेत्री स्तर पर उपलबध पदार्थों का प्रयोग मल्च के रूप में फसलों की पंक्तियों में बुवाई करें।
- जहाँ तक सम्भव हो सके, वर्षा के बहते जल का संग्रहण/संरक्षण किया जाय, जिससे फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई एवं उनकी वृद्धि की क्रान्तिक अवस्थाओं पर की जाने वाली सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।
- खेत में ही वर्षा जल के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाय तथा बहते हुए वर्षा जल को संरक्षित करते हुए भूजल रिचार्ज कराया जाय।

- सिंचाई करते समय सिंचाई स्त्रोत से खेत तक सिंचाई – जल के पहुँचने में होने वाली जल की क्षति को कम करने के लिए सबसे आसान एवं सस्ती तकनीक पालीथीन शीट को सिंचाई नाली में फैला देना है। सिंचाई पूर्ण होने जाने पर इस पालीथीन शीट को उठा लेना चाहिए।

- जहाँ तक सम्भव हो सके फसलों को मेडों पर ही बोए, जिससे सिंचाइ करते समय एकान्तर नाली में ही पानी लगाकर सिंचाई–जल के खर्च को कम किया जा सके।

- वर्षा के जल का सदुपयोग किया जाय। यदि फसल मे सिंचाई की अवस्था समय पर 3 से 5 सेमी0 की वर्षा हो जाती है तो नुकसान न होने तक सिंचाई स्थगित रखी जाय।

- फसल की प्रारम्भिक अवस्था में जब पौधों की जड़ों की बढ़वार भी कम हुई हो, प्रायः हल्की सिंचाई का प्रयोग करें।

- भूजल ही सबसे ज्यादा भरोसे की सिंचाई जल स्त्रोत है, अतः इसके अन्यायपूर्ण दोहन से बचें। कम वर्षा का मतलब क्षेत्र विशेष में भूजल रिचार्ज कम होना दर्शाता है।

- कठोर अवमृदा/चट्टानी इलाकों के कुओं में जल की उपलब्धता में निरन्तरता बनाये रखने हेतु लगातार पम्पिंग की जगह थोड़े–थोड़े समय की पम्पिंग कुछ–कुछ समयान्तराल पर करना चाहिये।

3. जल संरक्षण तकनीक

अ. फरो इरीगेटेड रेज्ड बेड प्लांटिंग (एफ0आई0आर0बी0) सिस्टम–

एफ0आईआर0बी0 सिस्टम एक ऐसी तकनीक है, जिसमें फसलों की रोपाई/बुवाई उथली क्यारियों (रिज्ड बेड) पर की जाती है और सिंचाई केवल नालियों की की जाती है। ऐसी स्थिति में इस तकनीक से खेती करने पर खेत की तैयारी में कमी के साथ साथ डीजल की खपत एवं सिंचाई जल की मात्रा में भी काफी कमी लाई जा सकती है। इस तकनीक में बीज एवं नत्रजनधारी उर्वरक की बचत 35 प्रतिशत से अधिक एवं मृदा के प्रकार के अनुसार सिंचाइ जल की 10 से 40 प्रतिशत तक बचत होती है।

ब. बीजकी प्राइमिंग–

इस तकनीक में फसल बीजों की प्राइमिंग बुवाई के पूर्व रात भर पानी में भिगोने एवं तत्पश्चात बीज सतह की नमी को छाया में सुखाकर बोया जाता है। इससे जमाव शीघ्र तथा जमाव प्रतिशत में वृ0 होती है।

स. लेजर लैण्ड लैविलिंग–

खेत समतलीकरण की यह तकनीक 15 से 20 प्रतिशत तक सिंचाई जल की बचत के साथ ही उपज में 5 से 10 प्रतिशत तककी वृद्धि रहती है।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रोजगार गारण्टी योजना की उपयोगिता

अधिनियम की धारा 16 के तहत ग्राम पंचायत को ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिश के अनुरूप अपने क्षेत्र में आवश्यकतानुसार परियोजनाओं/कार्यों को चिन्हित कर योजना तैयार करना होगा कि उस क्षेत्र में बाढ़ से कौन सी दीर्घकालीन समस्याएं दूर की जा सकती है।

जल निकास की व्यवस्था

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आने से व्यापक जल प्लावन की स्थिति हो जाती है। बंधों के टूटने से दूसरी तरफ की बड़ी मात्रा में कृशिगत भूमि जल प्लावित हो जाती है जो बाढ़ जाने के बाद भी उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था न होने की वजह से कई महीनों तक जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। जिसके कारण किसान दूसरी फसल भी नहीं ले पाता है। नरेगा के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण तथा जल भराव से ग्रस्त क्षेत्रों से पानी निकालने की व्यवस्था पर भी जो दिया गया है। जल जमाव के कारण भूमि में लवणों की सघनता बढ़ जाने से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। और उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। नरेगा के माध्यम से प्रभावित गांव की कार्य योजना तैयार कर जल निकासी हेतु उचित प्रबन्ध किया जा सकता है। जिससे निम्न काम हो सकते हैं :–

- बड़ा कृशिगत क्षेत्र खेती योग्य बनाया जा सकता है।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन से आजीविका का संकट दूर होगा।
- दूसरी फसल मिलने की दर से खाद्यान्न संकट दूर होगा।
- मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी।
- पहुँच मार्ग से पानी हटने की दरार में आवागमन की सुविधा होगी।

खेतों से बालू व गाद निकालना :–

बाढ़ के दौरान कृशिगत क्षेत्र में बाढ़ के साथ आने वाली मिट्टी गाद व बालू खेतों में ही जमा रह जाता है। बाढ़ के उपरान्त तमाम ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं जहाँ खेतों में भारी मात्रा में बालू पटा रहता है और यह क्षेत्र खेती के अयोग्य हो जाता है। बाढ़ में बर्बाद हुई खरीफ की फसल के बाद किसान ऐसी स्थिति में उस खेत में कोई भी फसल तब तक नहीं ले कसता जब तक कि उस खेत से बालू/गाद न निकाला जाय। व्यक्तिगत स्तर पर शायद यह अभी तक सम्भव नही होता था और ऐसे क्षेत्र प्रायः खेती अयोग्य ही रह जाते हैं परन्तु नरेगा योजना के माध्यम से ऐसे खेतों से बालू/गाद न निकाला जाय। व्यक्तिगत स्तर पर शायद यह अभी सम्भव नहीं नहीं होता था और ऐसे क्षेत्र प्रायः खेती अयोग्य ही रह जाते हैं परन्तु नरेगा योजना के माध्यम से ऐसे खेतों में बालू/ गाद निकालने हेतु कार्य योजना ग्राम पंचायत द्वारा बनाकर उन जमीनों को पुनः योग्य बनाने हेतु प्रयास कर हम निम्न लाभ अर्जित कर सकते हैं।

- कृशिगत क्षेत्र में वृद्धि
- उत्पादन में वृद्धि

- कृषिगत क्षेत्र में वृद्धि
- उत्पादन में वृद्धि
- स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता
- स्थानीय परिसम्पत्ति का विकास
- पलायन की कमी।

पहुँच मार्गों की मरम्मत :

बाढ़ के समय जो सबसे बड़ी समस्या तात्कालिक रूप से सामने आती है। वह है गांव तक पहुँच मागो। का अवरूद्ध होना। बांध के कटने से बाढ़ का प्रवाह तेज होता है। जिससे कई मार्ग तो पूरी तरह नष्ट हो जाते है और बाढ़ के उपरान्त जल जमाव ज्यादादिन तक होने से भी मार्ग अवरूद्ध रहता है। आवागमन न होने की वजह से लोगों का सम्पर्क अन्य क्षेत्रों से बन्द हो जाता है और विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये स्थितियाँ लम्बे समय तक बनी रहती है। क्योंकि मार्गों को पुनः ठीक करने हेतु स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास न होने के कारण लोगों को सरकारी प्रयासों का इन्तजार करना पड़ता था। छोटे–मोटे रास्तों का पुर्ननिर्माण तो लोग कई स्थानों पर आपसी सहयोग व श्रमदान से कर लेते थे मगर मुख्य मार्गो हेतु सार्वजनिक निर्माणस विभाग पर ही निर्भर होते थे।

नरेगा योजना में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि सभी मौसम में गांवों तक पहुँच मार्ग बनाने व उनको ठीक करने हेतु स्थानीय स्तर पर ही कार्य किया जाएगा। ताकि गांव में रोजगार का सृजन हो। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ऐसे मार्गों की चिन्हित कर उसकी कार्ययोजना स्वीकृत करकर गांव में रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के माध्यम से पहुँच मार्गों को ठीक करा सकती है साथ ही उन्हें और ऊँचा भी कराया जा सकता है। ताकि आने वाले समय में बाढ़ में समय लोगों को गांव तक पहुँचने में परेशानी न हो। ऐसा करके निम्न रूप से लाभ हो सकता है।

- बाढ़ के समय सुरक्षित स्थानों तक पहुँचने में आसानी
- बाढ़ के दौरान राहत सामग्री गांव तक समय पहुँचाने में आसानी
- बाढ़ के बाद रोजगार स्थानीय स्तर पर

सिंचाई व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में यह अमूमन देखने को मिलता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों या इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों की कृषि योग्य जमीन तक उचित सिंचाई न होने की वजह से उन्हें खेती हेतु सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती है। इस योजना के तहत इन वर्गों के लोगों की जमीन पर लघु सिंचाई के तहत आने वाली सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है और ऐसे कार्यो को ग्राम स्तर पर ही रोजगार प्रदान कर किया जायेगा। नरेगा में स्वीकार्य सूक्ष्म तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना सिंचाई कार्य में सहयोग देकर उत्पादन में वृद्धि संभव करती है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र में रोज़गार गारण्टी की उपयोगिता

जलवायु में हो रहे बदलाव के एक प्रमुख परिणाम के रूप में सूखा को देखा जा सकता है। धरती के बढ़ते तापमान की वजह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होने से मिट्टी की आर्द्रता में कमी आ रही है। परिणामस्वरूप सूखा क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। मानसून की अनिश्चितता से वर्षा के क्रम में भी परिवर्तन हुआ है जिससे वर्षा की असमानता दिखाई देती है। कृषिगत सिंचाई हेतु भूगर्भ जल का दोहन बढ़ रहा है और ऐसे में जहां पहले से ही जलस्तर काफी नीचे है वहां और विकट स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करने हेतु आवश्यकता है कि हम इनके लिए अपने आप को तैयार करें। इस दिवस में कार्य कर हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से काफी हद तक निजात पा सकते हैं।

वृक्षारोपण

सूखे से बचाव के लिए नरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण को शामिल किया गया है। वृक्षों का वर्षा से सीधा सम्बन्ध है अगर वृक्ष नहीं तो सूखा अवश्यम्भावी है और लगातार सूखा मरूस्थल बनने की पूर्व चेतावनी की तरह है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तरह सूखा क्षेत्रों में सूखारोधी पौधों का बड़े पैमाने पर रोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण कर हम निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं–

- मिट्टी में जल ग्राहय क्षमता में वृद्धि
- बायोमास में वृद्धि जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक
- ग्रीन हाउस गैस को शोभित कर कुछ हद तक तापमान कम करने में सहायक
- रोजगार का सृजन प्राकृतिक संसाधन का सृजन
- लकड़ी और फल का विकल्प

निश्चित तौर पर वृक्षारोपण कर हम रोजगार के साथ–साथ अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और यह अब सम्भव है ग्राम स्तर पर ही।

मेडबन्दी

सूखाग्रस्त क्षेत्रों को छोटे–छोटें भागों में विभक्त कर मेड बांध देने से जमीन की जल शोभित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र जहां का भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे है और वहां सूखा की भी स्थिति बनी हुई है। ऐसे स्थानों को ग्राम समाज चिन्हित कर एक वृहद् कार्ययोजना नरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकती है। ऐसा करके किसान निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं :–

- खेत की उर्वर मिट्टी का बहाव नहीं होगा और जमीन की उर्वरता बनी रहेगी।
- वर्षा का पानी खेत में रूकने से मिट्टी की आर्द्रता बनी रहेगी।
- खेत में रूकने वाली पानी से भूगर्भ जल स्तर भी ठीक रहेगा।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध होगा और खेतों का विकास भी।

तलाब निर्माण व जीर्णोद्धार

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा जल संचय हेतु तालाब निर्माण, जीणोद्धार की योजना का प्रावधान नरेगा द्वारा अनुमन्य है। विशेषरूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र जल की कमी से जूझते रहते हैं। ऐसे में जो कुछ पुराने जल संचय के स्त्रोत हैं, वह भी लुप्त होते जा रहें हैं। ग्राम पंचायत ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर नये तालाब निर्माणअथवास पुराने तालाबों के पुर्नद्धार हेतु कार्य योजना बनाकर उसे प्रस्तुत कर सकती है। इस कार्य से क्षेत्र के लोग निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं–

- स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन
- वर्षा जल संचयन हेतु उचित व्यवस्था का निर्माण
- सिंचाई हेतु आत्मनिर्भरता/पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता
- भूगर्भ जलस्तर में सुधार
- मत्स्य पालन कर आजीविका के विकल्प तैयार किये जा सकते हैं।
- स्थानीय परिसम्पत्ति का निर्माण

मनरेगा योजनाएं उपरोक्त कार्यों के माध्यम से आपदा प्रबंधन में सहयोग कर सकती है। नरेगा जैसी योजना के साथ जुड़कर इसका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये तो तमाम समस्याओं से निजात पाया जा सकता है।
आवश्यकता है–

- समुदाय व जागरूक हो और अपने अधिकार को पहचाने।
- प्रशासन व समुदाय के बीच की साझेदारी को मजबूती प्रदान करें।
- अपनी अनुकुल क्षमता का विकास करें।
- कृषि से लगाव को पुर्नस्थापित करें।
- पारम्परिक तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा दें।

जागरूक रहो, सुरक्षित रहो।।

संगठन बनायेंगे, आपदा को दूर भगायेंगे।

जब हम सब होगें एक जुट
तभी दुर्घटनाओं से होंगे मुक्त।।
रोना छोड़ मिलाओ हाथ, विपदा से निपटेगे साथ
बाढ़ चली आती हर साल
जीवन कर देती बदहाल।।
पहले से सचेत रहना होगा।

तभी रहेगा जीवन सुरक्षित
मवेशी और फसल सुरक्षित।।
पूरी हमें जानकारी थी
इसलिए सभी तैयारी थी।।
नदियों के संग जीना सीखो,
बाढ़ में रहकर जीना सीखो।
सुरक्षा घटी दुर्घटना बढ़ी।
बाढ़ से अगर हो बचना
सब को मिलकर होगा लड़ना।
नियम कानून कभी न तोड़ो,
दुर्घटना से नाता तोड़ो
आपदा से बचने का ज्ञान न होता
तो जीवन का अन्त ही होता।
क्यों न हम जानकारी पाये
तैयारी कर जान बचाएं।।
केवल सरकारी सहायता पर नहीं आस
हमें है खुद पर पूर्व विश्वास
अपने जीवन को सुरक्षित बनाये
आपदा नियन्त्रण के तरीके अपनाएं।।
यदि याद रखे हम सभी उपाए
आग लगने पर न होगे निःसहाय।।
पहले से हम हो तैयार
आपदा से हो बेड़ापार।

बाढ़ में कैसे करें सुरक्षा जाने पर बूढ़ा व बच्चा

बाढ़ की स्थिति ने क्या करनाहैइसकी चर्चा परिवार के सभी लोग पहले से तय करें। इस योजना पर समय–समय पर (दो–तीन महीने में एक बार) बैठक कर बात रहे ताकि सभी लोगों को सभी बातें याद रहें समय के साथ योजना में जरूरी बदलाव भी करते रहें।

परिवार में बैठकर पहले ही तय कर लें कि परिवार से अलग हो जाने पर किस स्थान पहुँचना है।

परिवार में बूढ़े, गर्भवती महिलाओं या विकलांग व्यक्ति होने पर उनकी आवश्यकताओं को पहले ही चिन्हित कर ले और उसके लिये तैयार रहें।

नाव की समय रहते मरम्मत करें। नाव न होने पर स्थानीय संसाधनों जैसे–बाँस, खाली बोतल आदि से जीवन रक्षक उपकरण बनाना सीखें और बाढ़ से पहले इन उपकरणों को तैयार करें।

बाढ़ सहायता किट तैयार करें जिसमें थोड़ा सूखा भोजन, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस जरूरी दवाइयां पानी और कुछ रूपये आदि हों।

जरूरी कागजों को प्लास्टिक या पालिथिन के अन्दर रखें।

जरूरी फोन नम्बरों को याद रखें और घर के अन्य सदस्यों बच्चों को भी प्राप्त कराएं।

परिवार की आपदा प्रबंधन योजना बनाएं।

अपने और अपने परिवारको बाढ़ से सुरक्षित बनाएं।।

- जीवन स्तर में गिरावट

आपातकालीन वस्तुयें

आपदा और उसके एकदम बाद जीवन यापन के लिए परिवार स्तर पर कुछ आपातकाली आपूर्तियों का होना अत्यन्त आवश्यक है। इन वस्तुओं को पृथक रखें :

- बैटरी चलित छोटा रेडियो व टार्च।
- नयी बैटरी।
- मोमबत्ती व जलरोधी दियासलाई
- पीने का पानी व खाद्य सामग्री की यथाचित आपूर्ति
- सदी, खाँसी, पेचिस, सिरदर्द व बुखार की आम दवाएं।
- मजबूत जूते और यदि सम्भव हो तो रबर के दस्तानें।
- अभिलेखों, बहुमूल्य वस्तुओं व कपड़ा को सुरक्षित रखने के लिए जलरोधी थैला (Waterproof bag)
- साफ पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होने तक पीने योग्य पानी एकत्रित करने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी
- आपके आपातकालीन सम्पर्कों के दूरभाष व पते (जिन्हें आपात स्थित में सूचित किया जाना हो)

भूकम्प

भूकम्प आने पर क्या करें।

- जहाँ है वही रहें, संतुलित रहें। हड़बड़ी घातक हो सकती है।
- यदि घर के अन्दर है तो गिर सकने वाली भारी वस्तुओं से दूर रहें।
- खिड़कियों से दूर रहे काँच के टूटे टुकड़े क्षति पहुँचा सकते हैं।
- मजबूत मेज के नीचे छुपे याअन्दरूनी दीवार या स्तंभ के सहारे खड़े रहें।
- चेहरे व सिर को हाथों का सुरक्षा प्रदान करें व कम्पन रूकने तक सिर को हाथों की सुरक्षा मे रखें।

- अगर घर से बाहर है तो खुली जगह तालाबों, भवनों, पेड़ों, बिजली के खम्बों व तारों, खाई और तीव्र ढाल वाली चट्टानों से दूर रहें।
- अगर वाहन में है तो रूकें और अन्दर ही रहें।

भूकम्प सुरक्षा और हमारी तैयारी

- सुनिश्चित करें कि परिवार का प्रत्येक सदस्य जानता है कि भूकम्प के समय क्या करना है।
- घर के हर कमरे में सुरक्षित स्थान तय करें।
- बचने और सिर बचाने का अभ्यास करें।
- घर के अन्दर खतरनाक स्थानों को चिन्हत करें और भूकम्प के समय स्वयं को इन स्थानों से दूर रखें।
- बाहर सुरक्षित स्थान तय करें।
- घर छोड़ने के मार्ग में से किसी भी प्रकार का व्याधान नहीं होना चाहिए।
- आपको व आपके परिवार के समस्त सदस्यों को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए व कुछ जरूरी दवाईयाँ सदैव पास रखनी चाहिए।
- परिवार के सभी सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि भूकम्प के बाद कहाँ मिलना है।
- जानवरों के असंतुलित व्यवहार, बैचेनी व आक्रमकता को खतरे का पूर्वसूचना के रूप में ले वह सतर्क रहें।

घर को अधिक सुरक्षित बनाएं

- भूकम्प अवरोधी भूकम्प निर्माण तकनीक प्रयोग करें व पुराने घरों का नवीनीकरण भी इसी तकनीक से करें
- घर के अन्दर भारी अलमारी के निचले खानों में रखें।
- ज्वलनशील पदार्थों (खाना बनाने की गैस, पेट्रोल, मिट्टी तेल इत्यादि) का घर के अन्दर अधिक मात्रा में भण्डारण न करें।
- भारी टांगने वाला समान लेटने व बैठने के स्थान से दूर रखें।
- बिस्तर के नजदीक की खिड़कियों पर पर्दे डाल कर रखें।
- आवश्यक वस्तुएँ अलग से रखें।

भूकम्प के बाद क्या करें?

- सुनिश्चित करें कि परिवारस के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।
- भूकम्प के दौरान टूट गया सामान नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए सावधानी बरतें व जूतें पहन कर रखें।
- आपातकालीन सेवाओं के लिए मार्गों का अवरोधमुक्त रखें।

- उन अवसंरचनाओं को चिन्हत करें जहाँ लोगों के फसें होने की सम्भावना हों।
- बिजली के उपकरणों व खाना पाकने की गैस बन्द कर दें।
- पास–पड़ोसी में चोट खाये व्यक्ति की सहायता करें और आने वाले भूकम्प के झटकों को झेल सकता है।
- बैटरी चलित रेडियो की सहायता से सूचनाएं लें।
- सुनिशचित करें कि खाना बनाने के गैस का रिसाव नहीं हुआ है, तभी माचिस जलाएं या बिजली के बटन को दबांए।
- अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ फैल गया है तो तुरन्त साफ करें।
- अगर बहुत जरूरी न हो तो टेलीफोन का इस्तेमान न करें। किसी और को इस सेवा की ज्यादा जरूरत हो सकती हे।
- बाहरी सहायता पहुँचने में देर हो सकती है, अतः सयंम बनायें रखें।

भूकम्प के बाद क्या न करें?

- क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं को समीप भीड़ न लगाएं।
- पानी बरबाद न करें।
- गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने का प्रयास न करें।
- अफवाह न फैलाये, यह दण्डनीय अपराध है।

घर को भूकम्प सुरक्षित बनाने हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु

निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखते हुए भूकम्प अवरोधी भवन निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

- **समरूपता** : भवन के विभिन्न खण्डों को दानों अक्षों (axis) पर समरूप रखा जाना आवश्यक है।
- **निरन्तरता** : भवन के प्रारूप को वर्गाकरया आयताकार रखते हुए हर खण्ड की लम्बाई उसकी चौड़ाई से तीन गुणा तक सीमित रखी जानी चाहिए।
- **खण्डों के मध्य की दूरी** : मकान के बड़ा होने की स्थिति में उसे अलग–अलग खण्डों में विभाजित करते हुए प्रत्येक खण्ड में समरूपता और निरन्तरता के नियमों का अनुपालन करें।
- **सादगी** : मकान के मुख्य भाग से बाहर निकलने वाला भूकम्पीय सन्दर्भ में असुरक्षित हो सकते हैं। अतः इन्हें यथेचित रूप से मकान की मूल संरचना से सम्बद्ध किया जाना चाहिये।
- **भवन की नीव** : सुनिश्चित करें कि भवन का निर्माण हेतु चयनित स्थान पर एक ही प्रकार की भूमि हों।
- **कमजोर/मुलायम** मिट्टी के ऊपर भवन निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

- **नींव** की न्यूनतम गहराई 3 फीट (0.9 मीटर) होनी चाहिये।

ईटों की दीवार का निर्माण

-

,